IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

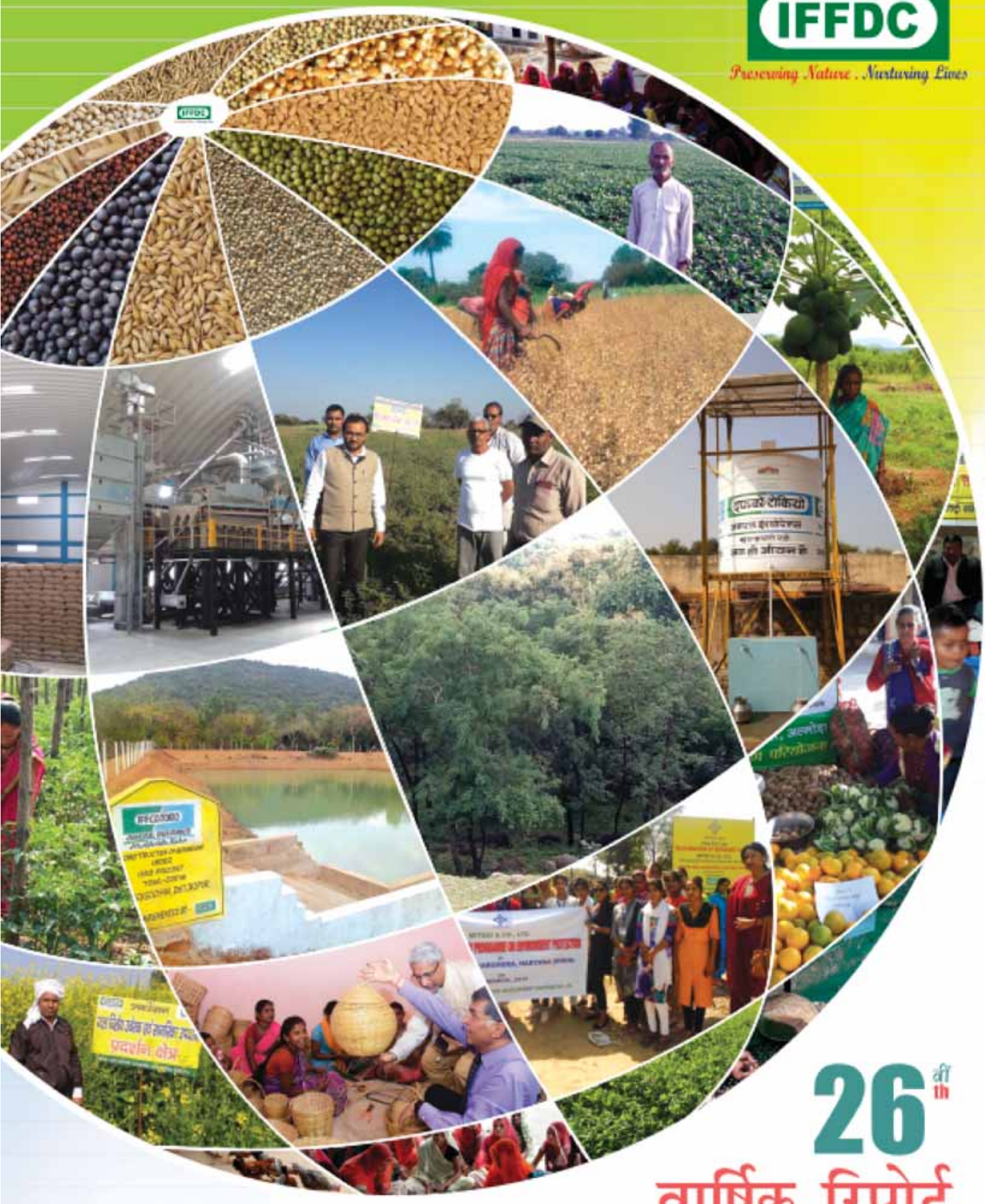

26वीं वार्षिक रिपोर्ट

26th Annual Report

2018-19

डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको बारा–झगरपुर बानिकी समिति अंतर्गत गांव सथनी बाला खेड़ा जिला उन्नाव में कृषक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

राष्ट्रपति भवन स्मार्ट ग्राम योजनांतर्गत कृषकों को मिनीकिट प्रदान करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी,
श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा तथा श्री योगेंद्र कुमार, विपणन निदेशक, इफको

विषय सूची Contents

6 निदेशक मंडल
Board of Directors

8 आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड
IFFDC Limited

12 हमारा दृष्टिकोण
Our Approach

14 परियोजनाओं का विवरण
Details of Projects

16 निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

18 प्रक्षेत्र वानिकी विकास
Farm Forestry Development

22 जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
Watershed Management (Ecological Resilience)

26 जलवायु रोधन अवधान परियोजना
Climate Proofing Interventions Project

28 जनजातीय व सीमांत समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)
Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)

32 समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास
Integrated Rural Livelihood Development

36 सार्वभौमिक अवधान
Cross Cutting Interventions

36 सामुदायिक संस्थायें
Community Institutions

38 जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण
Gender Mainstreaming and Women Empowerment

42 क्षमता निर्माण
Capacity Building

44 सी.एस.आर. पहल
C.S.R. Initiative

52 परामर्श कार्यक्रम
Consultancy Programme

60 बीज एवं अन्य कृषि आदान
Seed and other Agri-Inputs

60 बीज
Seed

66 उर्वरक एवं कृषि रसायन
Fertilisers & Agro-Chemicals

68 मानव संसाधन विकास
Human Resource Development

72 प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ
Publicity Activities

74 आभार
Acknowledgements

76 पुरस्कार तथा सम्मान
Awards and Recognitions

78 सहयोगी संस्थाएं
Support Organisations

80 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

आई.एफ.एफ.डी.सी. एक दृष्टि में

कार्य क्षेत्र
सम्पूर्ण भारतवर्ष

वार्षिक टर्नओवर
₹ 1803 करोड़

बंजरभूमि पर वृक्षारोपण (संचयी क्षेत्र)
29,420 हैक्टेयर

कुल विद्यमान वृक्ष
108 लाख

गठित स्वयं सहायता समूह एवं सदस्यता
1,795 समूह जिनकी कुल सदस्यता 18,288 (94% महिला सदस्य)

पोर्टफोलियो

प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन, जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय स्कन्दन), जलवायु अवरोधन, आदिवासी एवं सीमांत समुदाय के लिए पोषण और आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट), चिरंतर ग्रामीण आजीविका, सी.एस.आर. पहल, सार्वभौमिक अवधान (जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ना, सामुदायिक संस्थाओं का विकास, क्षमता निर्माण), बीज उत्पादन, कृषि–आदान आपूर्ति एवं परामर्श सेवाएं

पंजीयन

अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम 2002) के अंतर्गत

क्रियान्वयन के अन्तर्गत परियोजनायें
राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान से 29 परियोजनाएं

बीज उत्पादन
3.90 लाख क्विंटल (प्रमाणित बीज)

बीज विपणन
4.09 लाख क्विंटल (प्रमाणित बीज)

प्राथमिक समितियों के सदस्य
21,119 (38 प्रतिशत महिला सदस्य)

क्रियान्वित ग्रामीण विकास परियोजनाओं की लागत
लगभग ₹ 11 करोड़/प्रतिवर्ष

संवर्द्धित सामुदायिक संस्थाऐं
2697 (88,814 सदस्य)

सदस्य समितियाँ
172

जलग्रहण विकास अंतर्गत उपचारित क्षेत्र
17,283 हैक्टेयर

जल संसाधन विकास (संचयी संख्या)
258 चेक डैम, 1101 तालाब, 1192 कुएं तथा 256 एल.डी.पी.ई. टैंक

आजीविका उत्थान सुनिश्चितीकरण
5.0 लाख से अधिक परिवार

कुल कर्मचारी (सं.)
283 (विभिन्न विषयों जैसे कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं लेखा आदि से)

IFFDC *at a glance*

Area of operation
The whole Indian Union

Annual Turnover
₹ 1803 crore

Wasteland Afforested (Cumulative Area)
29,420 hectare

Total Existing Trees
108 lakh

Self Help Groups Formed & Membership
1,795 with total membership of 18,288 (94% women members)

Portfolios

Farm Forestry and Climate Change, Watershed Management (Ecological Resilience), Climate Proofing, Nutritional and Economic Security for Tribal and Marginalized Communities (NEST), Sustainable Rural Livelihoods, CSR Initiatives, Cross Cutting Interventions (Gender Mainstreaming, Community Institution Development, Capacity Building), Seed Production, Agri-Input Supply and Consultancy Services

Registration

On 22nd October, 1993 under Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (subsequently under MSCS Act, 2002)

Projects under Implementation
29 Projects in collaboration with various National agencies

Seed Production
3.90 lakh quintals (Certified Seed)

Seed Marketing
4.09 lakh quintals (Certified Seed)

Members of Primary Cooperatives
21,119 (38% Women Members)

Rural Development Projects Implemented
Worth about ₹ 11 crore/per year

Community Institutions Developed
2697 (88,814 members)

Member Cooperatives
172

Area treated under Watershed Development
17,283 ha

Water Resources Development (Cumulative No.)
258 Check Dams, 1101 Ponds, 1192 Wells and 256 LDPE Tank

Ensuring Livelihood Improvement
More than 5.0 lakh families

Total Employees (Number)
283 (from various disciplines viz; Agriculture, Agricultural Engineering, Forestry, Social Sciences, Management, Computer & Information Technology, Finance & Accountancy etc.

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

मिशन

जलवायु परिवर्तन में कमी व पारिस्थतिकीय स्कंदन हेतु संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक – आर्थिक स्तर का उत्थान।

विज़न

चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

उद्देश्य

- पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।
- एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक – आर्थिक विकास।
- सी.एस.आर. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कृषि उत्पादन, पशुधन विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन, खेलकूद, संस्थागत विकास एवं पर्यावरण सुधार की गतिविधियों का क्रियान्वयन
- स्वयं व अपनी सदस्य समितियों की ओर से आवश्यकता अनुसार बीज, कृषि आदानों, कृषि औजारों/मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबधी कार्य करना।
- सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।

वानिकी समिति अमरपुरा (राजस्थान) में उगाई गई नीम की नर्सरी पौध

Mission

To enhance the socio-economic status of the people through collective action by Sustainable Natural Resources Management for climate change mitigation and ecological resilience development.

Vision

Assisting the poor to enhance their capabilities for attaining their aspirations; Creating enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance resource base essential for leading a dignified life through sustainable community institutions.

Objectives

- Wasteland development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.
- Socio-economic development of the rural community through Integrated Natural Resources Management and Farming System Approach.
- To undertake CSR initiatives on Community Health and Sanitation, Safe Drinking Water, Agriculture Production, Livestock Development, Women Empowerment, Education, Skill Development & Employment Generation, Sports, Institutional Development and Environment Up-gradation.
- To undertake production, processing, distribution and marketing of seed and other need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machineries and other allied articles on its own or on behalf of its members.
- To provide Financial, Technical, Extension and Marketing services to members /community institutions.

Dense Forest developed on wasteland in Bijora PFFCS (M.P.)

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

निदेशक मंडल
Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G.P. Tripathi

उपाध्यक्ष / Vice-Chairman
दया कृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt

निदेशक / Director
योगेंद्र कुमार
Yogendra Kumar

निदेशक / Director
डी.एन. ठाकुर
D.N. Thakur

निदेशक / Director
नारायण लाल अहीर
Narayan Lal Ahir

निदेशक / Director
भागीरथ प्रसाद नगायच
Bhagirath Prasad Nagaich

निदेशक / Director
विजय बहादुर सिंह
Vijay Bahadur Singh

निदेशक / Director
प्रतिमा त्रिपाठी
Pratima Tripathi

निदेशक / Director
ललिता शर्मा
Lalita Sharma

निदेशक / Director
अंकित परिहार
Ankit Parihar

निदेशक / Director
आदित्य यादव
Aditya Yadav

प्रबंध निदेशक / Managing Director
एस.पी. सिंह
S.P. Singh

पूर्व अध्यक्ष
Ex Chairman

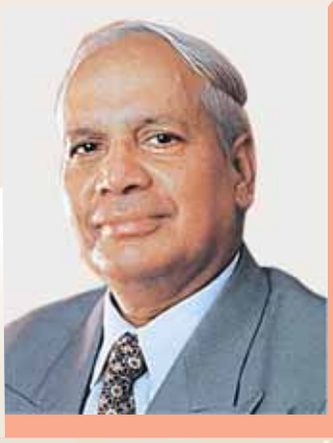

डा. वी. कुमार
Dr. V. Kumar
(अक्टूबर 22, 1993–फरवरी 11, 2003)
(October 22, 1993-February 11, 2003)

दयाकृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt
(फरवरी 12, 2003–जून 25, 2009)
(February 12, 2003-June 25, 2009)

पूर्व मुख्य कार्यकारी
Ex Chief Executives

स्व. डा. ओ.पी. गौड़
Late Dr. O.P. Gaur
(अक्टूबर 22, 1993–अगस्त 31, 2000)
(October 22, 1993-August 31, 2000)

अशोक आलम्बेन
Ashok Alambain
(सितम्बर 01, 2000–सितम्बर 03, 2002)
(September 01, 2000-September 03, 2002)

स्व. डा. पी.एस. मरवाहा
Late Dr. P.S. Marwaha
(सितम्बर 03, 2002–सितम्बर 02, 2008)
(September 03, 2002-September 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
(सितम्बर 03, 2008–अक्टूबर 13, 2008)
(September 03, 2008-October 13, 2008)

डा. के.जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede
(अक्टूबर 14, 2008–अगस्त 31, 2015)
(October 14, 2008-August 31, 2015)

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

हमारे बारे में

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, जबकि इसका कार्य वर्ष 1986–87 में पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इसकी प्रवर्तक संस्था, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं बंजर भूमि विकास का कार्य प्रारम्भ किया था, जिसे, देश भर में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वित कर आगे बढ़ाने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ जलग्रहण प्रबंधन, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा, आजीविका उत्थान, सी.एस.आर. पहल, सार्वभौमिक अवधान, बीज उत्पादन एवं कृषि आदान आपूर्ति आदि के द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें, समुदाय की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहभागी पद्धतियों को अपनाया गया।

पिछले एक दशक से, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं असम राज्यों में भी निरन्तर रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संस्था, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत 19 राज्यों के 9,514 से भी अधिक गांवों में कार्यरत है तथा इसने अब तक 300 करोड़ रुपये से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया है।

फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य के साथ, आई.एफ.एफ.डी.सी. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करने के लिए बीज उत्पादन एवं विपणन कार्यक्रम का संचालन कर रही है तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि–आदानों की आपूर्ति भी की जा रही है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की 25वीं वार्षिक आम सभा में डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको के साथ उपस्थित निदेशक मण्डल के सदस्य एवं प्रतिभागीगण

IFFDC Ltd.

About Us

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993 although its work had begun in 1986-87. Its promoter, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), had launched programmes of eco-restoration and wasteland development through farm forestry in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan and these programmes were subsequently handed over to the IFFDC for being scaled up and integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

IFFDC has diversified its portfolio and has broadened its focus to include in addition to Farm Forestry and Climate Change, activities such as Watershed Management, Climate Proofing, Nutritional and Economic Security, Livelihoods, CSR initiative, Cross Cutting Interventions, Seed Production and Agri-Input Supply etc. This has been done by adopting approaches that are participatory in nature and designed to cater to the emerging and evolving needs of the community.

Over the past decade, IFFDC has also expanded its territorial scope of action and started sustained operations in the States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamilnadu, Kerala and Assam. With its presence in more than 9,514 villages across 19 States covering all the agro-climatic zones, it has so far implemented rural development projects worth more than Rs. 300 crore.

With the objective to increase crop production & productivity, IFFDC is also undertaking Seed Production and Marketing Programme to provide quality seed and also supplying quality agri-inputs to farmers.

Dr. U.S. Awasthi, MD & Shri B.S. Nakai, Chairman, IFFCO observing IFFDC Exhibition Stall

वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.), 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002) के अंतर्गत सहकारिता एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22, 1993 को किया गया। इसकी पंजीयन सं. MSCS/CR/37/93 है।

सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), इसकी सदस्य हैं। 31 मार्च, 2019 को 172 सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

शेयर पूँजी

100 करोड़ रु. की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष 31.03.2018 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी 13.26 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है:–

प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹)	शेयर धारक	शेयरों की संख्या
50,000	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड	2,507
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	8
10,000	उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1
	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	1
1,000	प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि.	6,896

गवर्नेंस

ग्रामीण समुदाय के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गवर्नेंस संरचना सहकारिता के मूल्यों एवं सिद्धांतों के उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुराज्यीय सहकारी सिमिति अधिनियम/नियमावली 2002 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गयी। इसके आन्तरिक प्रबन्धन एवं कार्य, इसके उपनियमों के अनुसार ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था के ढाँचे में व्यवसाय पारदर्शिता, आन्तरिक नियंत्रण एवं समीक्षा प्रक्रियाएं समाहित हैं। समिति की नीतियाँ एवं कार्य पद्धतियाँ न केवल सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करती हैं बल्कि, इसके भागीदारों के सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

निदेशक मण्डल

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में विविधि पृष्ठभूमि वाले, प्राथमिक स्तर के निर्वाचित सहकारगणों के साथ–साथ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु नामित व सहयोजित 12 सदस्य हैं। जिनसे, अंशधारक सदस्यों की आवश्यकता एवं हितों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के क्रम में निदेशक मण्डल में दो स्थान महिला निदेशकों के लिए आरक्षित किये गये हैं।

क्रियान्वयन स्तर पर आई.एफ.एफ.डी.सी., सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, सामाजिक, सहकारिता, वित्त, तकनीकी, विपणन एवं सामान्य प्रबंधन में दक्ष तथा उच्च अनुभव रखने वाले प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है।

Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi-State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS Act 2002) with Registration No. "MSCS/CR/37/93".

Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of the IFFDC. As on March 31, 2019, IFFDC has 172 Cooperative Societies as its members.

Share Capital

Against an authorized share capital of Rs. 100 crore, the IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31.03.2018 is Rs. 13.26 crore illustrated as under:

Value of Each Share (₹)	Shareholders	No. of Shares
50,000	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	2,507
	National Cooperative Development Corporation	8
10,000	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.	1
	Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	1
1,000	Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd.	6,896

Governance

Committed to the integrated development of India's rural community, the IFFDC governance structure is designed adhering to the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Acts & Rules, 2002. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

With business systems and processes in place that are designed for transparency, internal control and enabling adequate review, IFFDC's policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members/stakeholders.

Board of Directors

IFFDC has 12 members on the Board of Directors from diverse backgrounds comprising of grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, who represent institutions that cater to the need and interests of its shareholders. Two seats on the Board are reserved for elected women Directors to represent the constituency of women.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & expertise in diverse fields related to social and rural development, such as agriculture, engineering, social cooperatives, finance, technology, marketing and general management.

हमारा दृष्टिकोंण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य विकास की गति में ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों का उत्थान करना है। इसकी यह धारणा है कि, ग्रामीण विकास, इन समुदायों की प्रत्येक स्तर पर सम्पूर्ण भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो, इसकी समग्र सहभागी पहुँचों में समाहित है तथा क्षमताओं के निर्माण में विशेष बल के साथ इसके विविध पोर्टफोलियो में अन्तःनिर्मित है। समुदायों को परस्पर सहबद्ध रखने और मुख्य रूप से इसके अवधानों को दीर्घावधि तक चिरन्तर बनाये रखने के लिए सहकारिता के मार्ग पर आधारित संस्थागत निर्माण करना ही इसके कार्यक्रमों का प्रमुख आधार रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास एवं सम्बन्धित धारणाओं की उभरती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रादुर्भावित विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करने के लिए तदानुसार अपनी रणनीतियाँ बनाईं। संस्था के पिछले दो दशकों के अर्जित अनुभवों ने इसके नये क्रियाकलापों को निश्चित किया, जिससे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्था को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिली।

प्रारंभिक तौर पर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सम्बोधित कर वर्तमान समय में, वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समयानुसार विभिन्न पोर्टफोलियों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करते हुए अपने ग्रामीण विकास के मुद्दों का विस्तारीकरण किया जिनमें अधिकांशतया इसके ग्रामीण विकास की कार्यसूची में से उभर कर आये हैं जो निम्नानुसार हैः

Our Approach

IFFDC's aim is to trigger development in rural areas and enhance livelihood options of rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the total involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach alongwith emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with specific issues arising as a corollary to the fast growing development needs and the aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past two decades has in turn helped to create for it a distinct niche in the rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time caught the attention of the global community, IFFDC has over the time expanded its areas of concern to include several portfolios, most of these emerging out of its primary agenda of rural development are as follows:

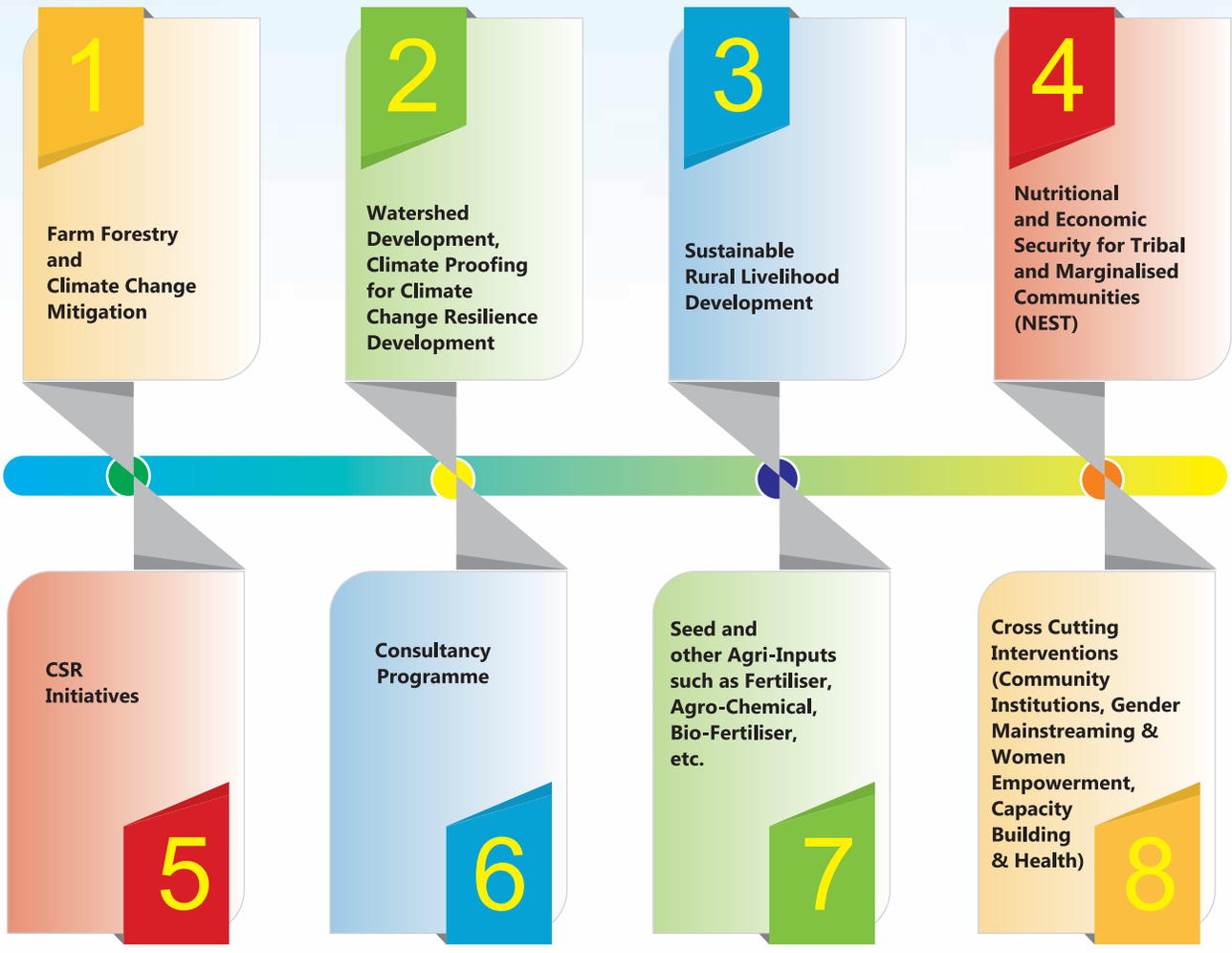

परियोजनाओं का विवरण

(अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. प्रक्षेत्र वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), ओडिशा
3. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), पश्चिम बंगाल
4. राष्ट्रपति भवन स्मार्ट ग्राम योजना– जिला गुड़गाँव, मेवात एवं नूँह
5. परम्परागत स्वर्ण जंयती उद्यान परियोजना, आँवला, बरेली (उ.प्र.)

(ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जल ग्रहण विकास परियोजनाः– पिपरपानी, विकास खण्ड–अमरवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)
2. वाडी परियोजनायेंः– प्रतापगढ़ (राजस्थान) एवं बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल)
3. कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ.) का गठन
4. जलवायु रोधन अवधान परियोजनाएं – फूलदा बंजारी एवं वीरपुर, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)

(स) राज्य सरकारों द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति (यू.जी.वी.एस.) द्वारा वित्तपोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पी.) जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) के विकासखण्ड चौखुटिया एवं भिखियासैंण में।
2. समग्र जलग्रहण प्रबंधन परियोजना, बड़ा मलहरा, छतरपुर (म.प्र.)

(द) अन्य एजेन्सियों द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन एवं मध्य प्रदेश में म.प्र. विशेष परियोजना
2. हाड़ौती क्षेत्र (राजस्थान) में कोटा डोरिया क्लस्टर विकास

(य) सी.एस.आर. परियोजनाएँ

1. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायतित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, राजस्थान, ओडिशा एवं असम
2. मित्सुई एंड कं. लि. द्वारा सी.एस.आर. अंतर्गत वित्त पोषित अवक्रमित वन का पुनरोद्धार परियोजना, हरियाणा
3. मित्सुई एंड कं. लि. के "मीट ट्रस्ट" से सहायतित पर्यावरण सुधार हेतु अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में बंजर भूमि पर विभिन्न पौध प्रजातियों की वृद्धि एवं विकास तथा जैव–विविधता संरक्षण का वृक्षारोपण के माध्यम से अध्ययन–हमीदपुर बाँध, नारनौल (हरियाणा)
4. मित्सुबिसी कार्पो. इण्डिया लि. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना–महाराष्ट्र

(र) नई परियोजनाओं की शुरुआत

1. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायतित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, राजस्थान एवं असम।
2. जलवायु रोधन व सत्त विकास परियोजना नाबार्ड द्वारा सहायतित।
3. मित्सुई एण्ड कं. लि. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत दिल्ली में नजफगढ़ नाला के तटबंध पर ग्रीन बेल्ट विकास
4. मित्सुई एंड कं. लि. के "मीट ट्रस्ट" द्वारा सहायतित रेवाड़ी, हरियाणा में अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में बर्मा नीम प्रजातियों के अनुकूलन का अध्ययन

Details of Project

(A) IFFCO Supported Projects

1. Farm Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand).
2. Rural Livelihood Development Project (RLDP), Odisha.
3. Rural Livelihood Development Project (RLDP), West Bengal
4. Rashtrapati Bhawan Smart Gram Yojana-Gurgaon, Mewat and Nuh Districts (Haryana).
5. Paramparagat Swarn Jayanti Udhyan Pariyojana, Aonla, Bareli (Uttar Pradesh)

(B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Project: -Piparpani, Block Amarwada, Dist. Chhindwara (M.P).
2. Wadi Projects: -Pratapgarh (Rajasthan) and Bankura (West Bengal).
3. Formation of Farmer Producer Organisation (FPO).
4. Climate Proofing Interventions Projects-Fulda Banjari and Veerpur, Dist. Pratapgarh (Rajasthan).

(C) Projects Supported by State Governments

1. Integrated Livelihood Support Projects (ILSP) for Chaukhutiya and Bhikiyasen Distt. Almora (Uttarakhand) funded by Uttarakhand GraminVikas Samiti (UGVS).
2. Integrated Watershed Management Project, Bada Malehra, Chhatarpur (M.P.)

(D) Projects Supported by Other Agencies

1. National Vegetable Initiative in Himachal Pradesh and M.P. Special Project in Madhya Pradesh supported by Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC).
2. Development of Kota Doria Cluster in Hadauti Region (Rajasthan).

(E) CSR Projects

1. IFFCO-Tokio's Integrated Rural Development Project Rajasthan, Odisha and Assam Funded by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.
2. Rejuvenations of Degraded Forest Project, Haryana Funded by Mitsui & Co. Ltd. under CSR initiative.
3. Study on Survival a growth of different plant species and Conversation of Bio-Diversity through plantation on degraded land in semi-arid zone for environment upgradation - Hamidpur Dam, Narnaul (Haryana) funded by "MEET Trust" of Mitsui & Co. Ltd.
4. Primary Health Project, Maharashtra by Mitsubishi Corp. India Ltd.

(F) New Projects Mobilised

1. IFFCO-Tokio's Integrated Rural Development Project Rajasthan and Assam Funded by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.
2. Climate Proofing & Sustainable Development Project, District Sagar (M.P.)
3. Green Belt Development Project in Delhi NCT at embankment of Najafgarh Drain funded by Mitsui & Co. Ltd. under CSR initiative.
4. Research Study on adaptability of Burma Neem species in semi-arid region of Rewari, Haryana funded by Meet Trust of Mitsui & Co. Ltd..

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकार बन्धुओं,

आपकी संस्था की वर्ष 2018–19 के लिए 26वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी समिति ने अब तक का सर्वाधिक कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। समिति ने ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल कर, उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुये, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने में समर्पित होकर गौरवशाली 26 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।

संस्था के कर्मचारियों के सतत् प्रयासों के कारण सरकार एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाऐं लाने में संस्था ने सफलता प्राप्त की है। आप सभी को ज्ञात है किए आपकी समिति द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

आपकी समिति ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर किसानों को वृहद् स्तर पर संकर प्रजाति व सब्जियों के बीजों सहित गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे निसंदेह उत्पादकता में वृद्धि एवं समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा में आवश्यक रूप से दीर्घकालिक अनूकूल प्रभाव होगा। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि, बहुत सी नयी परियोजनाओं और निरंतर चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके चिरन्तर संचालन में सफलता प्राप्त करने के साथ–साथ आपकी समिति को राजस्थान के बाराँ तथा अजमेर जिले तथा असम के बारपेटा जिले में इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा "इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना", राजस्थान में, नाबार्ड द्वारा "जलवायु अवरोधन अवधान परियोजनाएं" एवं इफको द्वारा हरियाणा में "राष्ट्रपति आदर्श ग्राम योजना" के क्रियान्वयन करने हेतु एक विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियोवार प्रगति इस प्रकार है:–

Director's Report

Honourable Co-operators,

It is my great privilege to place before you the 26th Annual Report of your Society for the year 2018-19. I would like to begin with congratulating each and every one of you on completion of 26 glorious years of your society as it earned ever highest profit before tax. It fully dedicated to guiding the rural community, metaphorically speaking, out of 'Darkness' into 'Light', or in other words, bringing them out of poverty to self respect and the ability to shape their destinies, by equipping them with skills and building their capacity.

It was possible only due to sincere efforts by your Society's dedicated staff, their will and perseverance to mobilise projects from different funding agencies as well as Government. You are all aware of the good work being done by your Society across the country and covering a wide range of activities. I would like to highlight a few special areas of achievements in the last year that are noteworthy.

A major contribution has been the further upscaling of the Seed Production Programme to make available wide range of quality seed including hybrid seeds & Vegetable seeds to farmers, which will undoubtedly go a long way towards improving productivity and impact favourably for food security. It is also a matter of great pride for me to inform you that along with various new & ongoing projects that has been successful in initiating and sustaining, your Society has been assigned a significant responsibility for implementing CSR Project "IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project" (IIRDP) in Baran and Ajmer Districts of Rajasthan and Barpeta District of Assam by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Limited, "Climate Proofing Initiatives Projects" in Rajasthan by NABARD and "Rashtrapati Bhawan Smart Gram Yojna" in Haryana by IFFCO. Portfolio-wise progress during the year is as follows:-

प्रक्षेत्र वानिकी विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी विकास है जिसमें, किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सामुदायिक वनों का चिरंतर आधार पर प्रबन्धन करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन पी.एफ.एफ.सी.एस. को आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए सहायता की जा रही है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरीतिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनःरक्षित हुई है। वर्तमान में, विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ केवल चुनिंदा कटाई घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है, जिसे समुदाय के लाभ हेतु अन्य वातावरणीय सेवाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान, अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई व अतिक्रमण को रोकना, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है। वानिकी समितियों को चिरन्तरता हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शीघ्र बढ़वार वाली व्यावसायिक उन्नत पौध प्रजातियों के रोपण व कृषि आदानों के व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद् स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि की पहचान कर अधिग्रहित की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है। सामुदायिक वानिकी के प्रबंधन हेतु 152 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.) विकसित की गयी हैं। इन वानिकी सहकारी समितियों के अंतर्गत वानिकी उन्नयन पर "अनुसंधान व विकास" का कार्य भी किया जा रहा है। वर्तमान में इफको के सहयोग व वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में राजस्थान व मध्य प्रदेश की वानिकी सहकारी समितियों में नीम पॉलिप्लॉइड्स की 24 संततियों के अनुकूलन पर प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान ट्रायल लगाई गई। उच्च तकनीकी से गुणवत्तापूर्ण नर्सरी पौध तैयार करने हेतु मैगलगंज (उ.प्र.) में एक टिश्यू कल्चर लैब भी स्थापित किया गया है।

राजस्थान की वानिकी समिति सांगवा में बंजर भूमि पर जैतून का वृक्षारोपण

Farm Forestry Development

IFFDC's flagship programme of Farm Forestry focuses on mitigating climate change effects through developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village panchayats and Government. The concerned communities are organised into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed community forests, on a sustainable basis.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical, financial, capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its intervention, green cover has not only been improved in more than 500 villages, but degraded lands have also been restored. Economic returns from existing forests, presently restricted to selective felling, grasses and Minor Forest Produce (MFPs) etc., however, it needs to be accelerated for other environmental services/benefits to the community.

The integrated approach of the IFFDC also led to attention being given to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment, better forest yield for improving economic returns to the stakeholders, options such as trading of carbon credits generated through these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc. The PFFCS are being encouraged to undertake plantation of improved fast growing plant species and business of Agri-inputs for Economical Self-sufficiency and sustainability.

IFFDC identified large tracts of wasteland for afforestation, which had been lying almost barren for decades in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. These acquired wastelands are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh. 152 Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) have been Developed for management of the community forestry. The research and development work on Forestry improvement is undertaken by these PFFCS. Nowadays, the research trial of 24 progenies of Neem Polyploids is being undertaken in the PFFCS of Rajasthan and Madhya Pradesh with the help of IFFCO and under the technical guidance of Forest Research Institute, Dehradun. A Tissue Culture Lab has been setup at Maigalganj (U.P.) for propagating High Quality Saplings.

Melia Composita (Burma Neem) Plantation under Agro-forestry in PFFCS Medhawa, Distt. Pratapgarh (Uttar Pradesh)

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	वृक्षारोपण (लाख)
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, उन्नाव	12,951	51.39
उत्तराखण्ड	नैनीताल, चम्पावत	206	0.87
राजस्थान	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद	9,713	20.85
मध्य प्रदेश	सागर, छतरपुर, टीकमगढ़	6,550	35.44
	योग	29,420	108.55

प्रगति

- कुल 239 हैक्टेयर (155 हैक्टेयर उत्तर प्रदेश, 22 हैक्टेयर उत्तराखण्ड, 18 हैक्टेयर मध्य प्रदेश तथा 44 हैक्टेयर राजस्थान) क्षेत्र पर वनीकरण किया गया। पौध रोपण की लागत कम करने एवं जीवित दर बढ़ाने हेतु राजस्थान में प्रोसोपिस के बीजों की सीधी बुवाई की गयी है।
- 3.45 लाख पौधे (2.52 लाख उत्तर प्रदेश, 0.21 लाख मध्य प्रदेश, 0.50 लाख राजस्थान एवं 0.22 लाख उत्तराखंड में) विभिन्न समितियों में रोपित किये गये जिसमें से 0.91 लाख पौधों की गैप फिलिंग की गई। इनमें मुख्यतः मिलिया (बर्मा नीम), क्लोन यूकेलिप्टस, सागवान, उन्नत बांस व तेजपत्ता आदि शामिल हैं।
- वन अनुसंधान देहरादून से प्राप्त मिलिया के उन्नत बीज (70 किग्रा) की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की विभिन्न समितियों में नर्सरी लगाई गई है।
- इफको को देश में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण हेतु 11.29 लाख नीम के पौधों की आपूर्ति की गई है।
- विभिन्न वानिकी समितियों की 117 वार्षिक आम सभायें तथा 717 कार्यकारी बैठकों का आयोजन किया गया।
- स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों की 4118 बैठकें संपन्न की गयीं।
- 27 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।
- जैविक खेती, सब्जी की खेती, वानिकी समिति प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, फल संरक्षण, लघु उद्योग विकास इत्यादि पर 20 परीक्षणों का आयोजन किया गया।
- 8 महत्वपूर्ण दिवस जैसे पर्यावरण दिवस, किसान दिवस, गणतंत्र दिवस, विश्व महिला दिवस, बाल दिवस आदि विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों को मनाया गया।
- 5 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों व 3 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- समितियों में 53 वर्मी कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण किया गया।
- राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य की समितियों के 54 अध्यक्षों एवं सचिवों के लिए दो एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन राजस्थान व गुजरात में किया गया।
- एस.पी.यू. मैगलगंज (उ.प्र.) मे टीशू कल्चर लेंब स्थापित किया गया जहॉ कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और 200 नए बॉस के टीशू कल्चर वाले पौधे आगे संवर्द्धन के लिए मदर कल्चर के रूप मे तैयार किए गए।

परिणाम

- प्राथमिक वानिकी समितियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं।
- समस्याग्रस्त भूमियां (क्षारीय, लवणीय, बीहड़ और जल भराव भूमि) अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने से ये एक उत्पादक सम्पत्ति के रूप में सिद्ध हो रही हैं।
- कृषि वानिकी गतिविधियों द्वारा पारिस्थतिकीय संतुलन बनाये रखने में मदद हो रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के हरित संपदा कार्य से लगभग 14.27 टन प्रति हेक्ट. प्रति वर्ष कार्बन संचयन करने में मदद हो रही है।
- प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रक्षेत्र वानिकी गतिविधियों के द्वारा स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।
- पी.एफ.एफ.सी.एस. व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना एवं आजीविका के साधनों में वृद्धि हेतु चक्रीय कोष मददगार सिद्ध हुआ है। संचालित लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन से कृषकों की आय को दुगुनी करने के ध्येय को मदद मिल रही है।

PROJECT DETAILS

State	District	Total Covered Area (ha)	Total Plants Planted (Lakh)
Uttar Pradesh	Sultanpur, Raebareli, Allahabad, Kaushambi Pratapgarh, Lucknow, Amethi, Unnao	12,951	51.39
Uttarakhand	Nainital, Champawat	206	0.87
Rajasthan	Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand	9,713	20.85
Madhya Pradesh	Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh	6,550	35.44
	Total	**29,420**	**108.55**

Progress

- 239 ha area (155 ha in Uttar Pradesh, 22 ha in Uttarakhand, 18 ha in Madhya Pradesh and 44 ha in Rajasthan) has been covered under plantation. To reduce the cost of plantation and increase survival of plants, direct seed sowing of Prosopis has been adopted in Rajasthan.
- 3.45 lakh plants (2.52 lakh in Uttar Pradesh, 0.21 lakh in Madhya Pradesh, 0.50 lakh in Rajasthan and 0.22 lakh in Uttarakhand) have been planted by different PFFCS, out of which 0.91 lakh plants have been planted under gap-filling. Major species are Melia (Burma Neem), Eucalyptus, Teak, Improved Bamboo and Tejpatta etc.
- Nursery of Improved Neem Seed (70 kg) received from FRI, Dehradun has been raised in different PFFCS at U.P., M.P. and Rajasthan.
- 11.29 lakh saplings of Neem have been supplied to IFFCO for plantation at different places in the country.
- 117 Annual General Body Meetings and 717 Executive Committee Meetings of different PFFCS were organised.
- 4118 meetings of SHGs were organised for strengthening of SHG.
- 27 New Self Help Groups have been formed.
- 20 Trainings have been organised on different aspects like Organic Farming, Vegetable Cultivation, PFFCS Management, Bee-keeping, Fruit Preservation, Micro-enterprises Development etc. for the PFFCS members.
- 8 different Important Days i.e. Environment Day, Farmers Day, Republic Day, International Women's Day and Children Day etc. were celebrated.
- 5 Health Checkup Camps and 3 Veterinary Camps were organised.
- 53 Vermi Compost Pits have been constructed in PFFCS.
- Two Exposure Tour have been organised in Rajasthan and Gujarat for 54 Chairmans and Secretaries of Rajasthan and Madhya Pradesh States Societies.
- Tissue Culture Lab has been setup and operationalised at SPU Maigalganj (U.P) and the 200 new Bamboo tissue cultured saplings were prepared as mother culture for further multiplication.

Outcome

- PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to fuel wood, fodder and other needs of the community.
- Problematic lands (Sodic, Saline, Ravines and Water logged, etc) are now converted into cultivable lands and have proved to be productive assets.
- Farm forestry activities have helped to bring ecological balance. The green cushion facilitated by IFFDC has resulted in an estimated present net carbon sequestration of 14.27 MT per ha/year.
- Farm forestry Programme has resulted to create additional employment opportunities to local community especially women through various farm forestry activities.
- Revolving Fund is helping to PFFCS as well as SHG members to established micro-enterprises and generating livelihood options. The operationalised microenterprises are helping to the aim of doubling the Farmer's income.

जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने काफी समय पूर्व ही अपने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में इस गतिविधि को समाहित करके अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास आदि के महत्व को अपना लिया था। आई.एफ.एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का बहुत अनुभव है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू–उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण विकास का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संसाधनों के क्षरण को पुनर्स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अभिमुखीकरण कर संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

जलग्रहण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नाबार्ड एवं राज्य सरकारों के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में, ग्रामीण समुदाय का क्षमता विकास करते हुए चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण समितियों (वी.डब्ल्यू.सी.) का विकास एवं परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से 17,283 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

आई.आर.डी.पी. परियोजना जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) में जल संरक्षण हेतु निर्मित चेकडैम

Watershed Management (Ecological Resilience)

IFFDC recognised the importance of integrating other thematic interventions like Water Resource Development into this activity. In particular, the IFFDC's experience of its watershed management programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is noteworthy. Village Watershed Committees and Water Users Committees are developed for implementing this programme. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning and development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to rehabilitate and conserve land and water resources in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, the IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilizing resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies for the restoration of depleting water resources.

The Watershed programme is being implemented with the financial support of NABARD and State Govt. presently. The focus is on building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Committee (VWC) and ensuring gender equity in all stages of the project cycle. 17,283 ha area has been treated by various soil & water conservation measures activities.

Soil -water conservation work under Watershed Development Project-Piparpani, Distt. Chhindwara (M.P.)

परियोजना विवरण

सहायक संस्था	राज्य	जिला	उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.)
नाबार्ड	छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,609
	मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा	2,654
	राजस्थान	प्रतापगढ़, उदयपुर	1,652
	तेलंगाना	आदिलाबाद	1,837
राज्य सरकारें	म.प्र. (मनरेगा)	भोपाल, श्योपुर, छतरपुर	3,417
	म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	छतरपुर, रीवा	5,114
		कुल	**17,283**

प्रगति

- प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ जैसे – खेत की मेड़बंदी, लगातार समोच्च खाई (सी.सी.टी.), लूज स्टोन चेकडेम (एल.एस.सी.डी.), नाली वंधान और चैकडेम द्वारा 205 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।
- मृदा जल संरक्षण के उद्देश्य से 1,861 घन मी. स्टोन बंड एवं 620 घन मी. स्टोन गल्ली प्लग के निर्माण का कार्य किया गया है।
- 8 नये चेक डैम का निर्माण किया गया।
- 30 ग्राम जलग्रहण समिति बैठकों, 1 स्वास्थ्य शिविर व एक साख जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 20 वर्मी–कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण किया गया।
- सूर्य की रोशनी हेतु 60 अंधेरे घरों की छतों पर पारदर्शी टाइलें लगाई गईं।

परिणाम

- कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि हुई तथा किसान अपनी दूसरी फसल लेने में सफल हुए, जिससे अधिक आमदनी हुई है।
- मृदा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के करने से कृषि योग्य भूमि में अतिरिक्त क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हुई है।
- विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण की गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के भूमिहीन कृषक एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।
- सिंचित क्षेत्र से पशुओं के लिए उन्नत गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हुआ जिससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- भारत सरकार के उद्देश्यों "प्रत्येक बूँद से अधिक फसल" एवं "2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना" में योगदान प्रदान करने में सहायता मिली।

समन्वित जलग्रहण प्रबंधन परियोजना, बड़ा मलहरा, छतरपुर (म.प्र.) के अंतर्गत निर्मित चेकडैम

PROJECT DETAILS

Supporting Agency	State	District	Treated Area (ha)
NABARD	Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,609
	Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara	2,654
	Rajasthan	Pratapgarh, Udaipur	1,652
	Telangana	Adilabad	1,837
State Govt.	MP (MGNREGA)	Bhopal, Sheopur, Chhattarpur	3,417
	MP (IWMP)	Chhattarpur, Rewa	5,114
		Total	**17,283**

Progress

- 205 ha area has been treated with effective soil & water conservation measures like Farm Bunding (FB), Continuous Contour Trench (CCT), Loose Stone Check Dam (LSCD), Gully Plugs (GP) and Check Dam (CD).
- 1,861 Cum. Stone Bund (SB) and 620 Cum. Stone Gully Plugs (SGP) have been constructed for soil water conservation purpose.
- 8 new Check Dams have been constructed.
- 30 Village Watershed Committee (VWC) meetings, 4 Health Camps and 1 Credit Awareness Programme have been organised.
- 20 Vermi-Compost pits have been constructed.
- Transparent Roof Tiles on the roofs of 60 darkened houses have been installed for proper sunlight.

Outcome

- Increase of water table of the wells has been observed and farmers are able to harvest their second crop successfully leading to more returns.
- Additional area has been brought under cultivation by adopting various soil conservation measures.
- Landless farmers and women have been endowed with employment opportunities in the area through various soil-moisture conservation activities.
- Treated area has produced good quality fodder for cattle by which health of cattle has been improved.
- It helped in contributing to the objectives of Govt. of India i.e. "More Crop from Each Drop" and Doubling Farmers Income by 2022.

Pond constructed under Watershed Development Project-Piparpani, Distt. Chhindwara (M.P.)

जलवायु रोधन अवधान परियोजना

वीरपुर वाटरशेड तथा फूलदा-बंजारी वाटरशेड, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) में "जलवायु रोधन अवधान"

हमारे देश में, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसेः जल का अभाव, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, भारी ओलावृष्टि आदि को काफी समय पूर्व ही महसूस कर लिया गया था। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से विकासशील देशों में विशेषतया ग्रामीण गरीब समुदाय ही प्रभावित होता है। क्योंकि, जलवायु परिवर्तन से इनके अस्तित्व जैसे कि, इनके जीवनयापन के लिए की जाने वाली कृषि की समस्यायें बढ़ जाती है। नई चुनौतियों का सामना करने अथवा दुर्लभ सकारात्मक परिवर्तनों का उपयोग करने के लिए भी इनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। जलवायु अवरोधन अवधान परियोजना को क्रियान्वयन करने का मुख्य उद्देश्य, परियोजना क्षेत्र में कमजोर ग्रामीण समुदाय की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को विकसित करना है ताकि, वे जलवायु परिवर्तनशीलता व परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें।

संस्था द्वारा नाबार्ड के इंडो–जर्मन वाटरशेड डवलपमेंट फण्ड की सहायता से राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ के वीरपुर वाटरशेड एवं फूलदा–बंजारी वाटरशेड क्षेत्र में "जलवायु रोधन अवधान की दो नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की अवधि एक वर्ष अर्थात् जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक है।

प्रगति

- गोरदा व भेरूसागर में 2 एनीकट की मरम्मत की गई व 16 कुँओं का गहरीकरण कराया गया जिससे 133 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ा।
- एक सौर आधारित स्वचालित मौसम पूर्वानुमान वेधशाला की स्थापना की गई एवं उसे इफको किसान संचार लिमिटेड के पोर्टल से जोड़ा गया। जिससे किसानों को स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान की सूचना मिल रही है।
- फल प्रजातियाँ जैसे सीताफल, रेड लेडी पपीता, अमरूद व अनार के 400 पौधों का रोपण कराया गया।
- मृदा कटाव में कमी लाने के लिए गली प्लग की मेड़ पर मेंहदी व जट्रोफा के 2000 कलमों का रोपण कराया गया।
- किचन गार्डन विकसित करने हेतु 400 किसानों को सब्जियों के उन्नत बीज प्रदान किए गए।
- जलवायु परिवर्तन अवरोधन के विभिन्न उपायों हेतु की गई गतिविधियों पर एक फिल्म बनाई गई।

परिणाम

- जलवायु परिवर्तन व इसके प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन (सूखे की स्थिति) की स्थिति से निपटने के तरीकों व तकनीकियों के बारे में जलग्रहण समुदाय को जानकारी होगी।
- प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी जलग्रहण समुदाय की आजीविका कम प्रभावित होगी।
- विकसित जल संसाधनों से परियोजना क्षेत्र में फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- परियोजना अवधानों की चिरन्तरता के लिए जलग्रहण समुदाय की ग्राम स्तर पर अपनी संस्था होगी।
- परियोजना क्षेत्र के आसपास के समुदाय भी, परियोजना के प्रभावों का प्रसार होने से, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को सीख सकेंगे।

जलवायु अवरोधन अवधान परियोजना, प्रतापगढ़ (राजस्थान) में जल संग्रहण हेतु निर्मित लूज स्टोन चैकडेम

Climate Proofing Interventions Project

Climate Proofing Interventions in Veerpur Watershed and Fulda-Banjari Watershed, District Pratapgarh (Rajasthan)

The negative impacts of climate change such as water shortage, rise in sea levels, extreme precipitation, heavy storms etc. already felt in many places of our country. The rural poor people in developing countries particularly suffer from the negative impacts of climate change. This is because climate change aggravates their already existential problems, for instance in subsistence farming. They also have the worst prerequisites for facing up to new challenges or even making use of the rare positive changes. The main objective of implementing the Climate Proofing Initiative Project is to enhance the adaptive capacities of vulnerable rural communities in project area, so that, they are better equipped to cope up with climate variability and changes.

The two projects on "Climate Proofing Interventions" in Veerpur Watershed and Fulda-Banjari Watershed in District Pratapgarh of Rajasthan are being implemented with the help of NABARD under its Indo-German Watershed Development Fund. The projects period is for one year i.e. January 2018 to December 2018.

Progress

- 2 Anicuts (Gordha & Bherusagar) have been repaired and 16 wells have been renovated, which resulted, an increase of 133 ha. additional irrigated area..
- One Solar Based Automatic Weather Observatory Machine has been installed and linked with IFFCO Kisan Sanchar Limited Portal for providing local weather forecasting information to the farmers.
- 400 horticulture plants (Custard Apple, Red Lady Papaya, Guava, and Pomegranate) have been planted.
- To reduce soil erosion, 2000 cuttings of henna and jatropha were planted on the bund of the gully plug.
- For developing Kitchen garden, kits of improved seed of Bittergourd, Chilli, Tomato, Cauliflower and Okra have been provided to 400 families.
- A film on different activities for developing climate proofing measures has been prepared.

Outcome

- The Watershed Community will be well aware about Climate Change, its effect and tools & techniques to deal with Climate Change (drought conditions).
- The livelihood of the Watershed Community will be less affected in adverse Climatic Conditions.
- Developed Water Resources will help in increasing crop yields in the project area.
- Watershed Community will have its own institution at village level for sustainability of the project interventions.
- The nearby community of the project area will also learn various measures to deal with Climate Change through dissemination of the project impact.

Bhairusagar Anicut repaired for increasing water storage under Climate Proofing Initiative Project at Pratapgarh (Rajasthan)

जनजातीय व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "जनजातीय व सीमान्त समुदाय को पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा" प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. (नाबार्ड) की आर्थिक सहायता से आदिवासी क्षेत्रों में लघु फलोद्यान/वाड़ी विकास के लिए परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना में, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषणता एवं इन समस्याओं के उचित समन्वित समाधानों को ज्ञात करने हेतु वृहद् परिदृश्य में देखने की आवश्यकता को समाहित किया गया है। इन परियोजनाओं में, ग्रामीण आदिवासी परिवारों को आत्मीयता वाले समूहों जिसे 'वाड़ी टुकड़ी' कहा गया, में संगठित कर उनकी प्रति परिवार एक एकड़ चयनित जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने के साथ–साथ अन्तः कृषि एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करने के क्रम में क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गयी। इसमें परिवार के उपभोग के अलावा 'वेल्यू चेन' का निर्माण कर उत्पादन को उच्च स्तर पर बढ़ाने पर बल दिया गया। जिससे, आय एवं आजीविका में वृद्धि होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आय संवर्द्धन से लेकर भूमि उत्पादकता में वृद्धि करने तक समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विविध गतिविधियाँ भी शामिल की गयी हैं।

वाड़ी परियोजना बाँकुड़ा (प. बंगाल) में आदिवासी कृषक द्वारा विकसित वाड़ी

Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)

To provide nutritional and economic security for tribal and marginalised communities. IFFDC has initiated projects with financial assistance from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the development of Small Orchard/Wadi in the tribal belts. The project addresses the growing concerns related to malnutrition in women and children in rural areas and the need to look at these problems in a wider perspective, to find appropriate integrated solutions. These projects envisage the mobilisation and organising of tribal families into affinity based groups called 'WadiTolee' and building their capacity to grow fruit trees, alongwith inter-cropping and other allied activities, on designated piece of one acre land of each selected family . The emphasis is on up-scaling beyond family consumption to build a 'value chain' that will serve to enhance income and livelihoods. The project has diverse ramifications for integrated rural development from supplementing incomes to increasing land productivity.

Wadi Developed for Tribal Family for Nutritional and Economic Security in Pratapgarh (Raj.)

'वाड़ी' कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:– (क) बागवानी विकास (फल/औषधीय फसल एवं वानिकी पौधरोपण) मुख्य अवयव हैं, तथा (ख) मृदा संरक्षण, (ग) जल संसाधन प्रबन्धन (संरक्षण एवं उपयोग), (घ) उन्नत कृषि, (घ) मानव संसाधन विकास (समुदाय विकास), (च) महिला विकास, (छ) सामुदायिक स्वास्थ्य (ज) भूमिहीन लोगों के लिए लघु उद्योग विकसित करना। विभिन्न राज्यों ने वाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,515 परिवारों को जोड़ा गया है।

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	लक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार
मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा	2,000	1,887*
राजस्थान	प्रतापगढ़	2,750	2,791
छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,000	2,000*
पश्चिमी बंगाल	बांकुड़ा	1,500	837
तेलंगाना	आदिलाबाद	500	500*
झारखंड	पलामू	500	500*
	योग	**9,250**	**8,515**

* बंद हो चुकी परियोजनाएं।

प्रगति

- 1335 वाड़ियों में आम, अमरूद, नींबू व अनार के 22,807 पौधे लगाकर गैप फिलिंग की गई।
- स्वयं सहायता समूह प्रबंधन, सिलाई एवं वाड़ी रखरखाव पर 4 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।
- 4 स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों एवं 4 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- विभिन्न एस.डब्ल्यू.सी. गतिविधियों के माध्यम से 107 वाड़ियों को उपचारित किया गया।
- किसानों के खेतों पर गुणवत्तायुक्त खाद उत्पादन के लिए 120 वर्मी खाद इकाईयों की स्थापना की गई।
- नौंगवू की उच्च उत्पादक प्रजातियों की तोरई और लौंकी के सब्जी बीजों की 50 किट, 50 किसानों को प्रदान की गईं।
- जल स्त्रोत विकास हेतु, 8 कुएँ का निर्माण/गहरीकरण और 2 सबमर्सिबल पम्प स्थापित किए गए है।

परिणाम

- परियोजना क्षेत्र के गांवों में फलदार वृक्षारोपण से निरन्तर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- किसानों द्वारा उन्नत कृषि गतिविधियाँ अपनाने से सब्जी उत्पादन द्वारा अधिक पैदावार और अधिक आय प्राप्त हो रही है।
- जल संसाधन विकास गतिविधियों के कारण सब्जी के क्षेत्रफल और अन्तःवर्ती फसल उगाने के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- उच्च गुणवत्ता के उद्यान विकसित होने से किसान स्वयं को मालिक मानकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ गयी है।

The major components of the Wadi Programme include: (a) Orchard development (fruit/plantation/herbal crops & forest plants) as the core component (b) Soil conservation (c) Water resources management (conservation and use) (d) Improved agriculture (e) Human Resource Development (Community Development) (f) Gender Mainstreaming, (g) Community Health (h) Micro-enterprises Development for landless people. 8,515 families have been covered under wadies programme in different States.

PROJECT DETAILS

State	District	Target Families	Families Covered
Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara	2,000	1,887*
Rajasthan	Pratapgarh	2,750	2,791
Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,000	2,000*
West Bengal	Bankura	1,500	837
Telangana	Adilabad	500	500*
Jharkhand	Palamu	500	500*
	Total	**9,250**	**8,515**

* Projects closed.

Progress

- Gap Filling in 1335 Wadis were done by planting 22,807 saplings of Mango, Guava, Lemon & Pomegranates have been planted.
- 4 trainings on different issues i.e. SHG Management, Tailoring and Maintenance of Wadi have been organized.
- 4 Health Awareness Programme and 4 Veterinary Camps were organised.
- 107 Wadi have been treated with different Soil-Water Conservation activities.
- 120 Vermi Compost Units have been established on farmer's field for producing quality compost.
- 50 kits of Nongwoo vegetable HVY seeds of Sponge Gourd and Bottle Gourd have been provided to 50 farmers.
- 8 Dug well have been construction/deepened and 2 Submersible Pumps were installed for Water Resource Development.

Outcome

- Horticulture plantation in the project villages has created opportunities for additional income in the future on sustainable basis.
- Improved Agronomic practices adopted by the farmers has resulted in better crop production and better income from vegetable production.
- Water Resource Development activities provided opportunities to cultivate additional crop of vegetables as intercropping.
- Farmers are proud at becoming owners of established good quality orchards, which has also increased the value of their field.

समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में समावेशी विकास को मुख्य ध्येय रखकर की गयी पहलों के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानों, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानों तक सीमित पहुँच एवं इसके साथ–साथ सूखा के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण से गरीबी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगों को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ–साथ अपनी चिरन्तर आजीविका के लिए रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, विपणन सहायता आदि पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये।

परियोजना विवरण

परियोजना	राज्य	जिला
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	ओडिशा	पुरी, खोरदा, केन्द्रपाडा, गंजाम एवं जगतसिंहपुर
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, पुरुलिया, दक्षिणी 24 परगना, अलीपुरद्वार, एवं जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग

इसमें, कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास आदि की उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ, जो कि, अभी तक किसानों के खेत तक नहीं पहुँची, के संवर्द्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है।

जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा) में सब्जी उत्पादन द्वारा आय अर्जन

Integrated Rural Livelihood Development

Despite initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and micro-finance, as well as vulnerability to drought and other natural calamities.

IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that, women and men together can access new opportunities for income generation and employment for their sustainable livelihoods.

IFFDC is undertaking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing input costs, value addition, marketing support etc. for enhancing livelihood of the marginalised community.

PROJECT DESCRIPTION

Project	State	District
Rural Livelihood Development Project	Odisha	Puri, Khordha, Kendrapada, Ganjam and Jagatsinghpur.
Rural Livelihood Development Project	West Bengal	Bankura, Purulia, South 24 Parganas, Alipurdwar, Jalpaiguri and Darjeeling.

The focus is on promotion of available appropriate technologies for farming system development, water resource development etc. that have not yet percolated to the farmers' fields. In this regard, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstrative effect.

Tissue Culture Banana Cultivation for Income Generation in RLD Project villages in Ganjam District (Odisha)

प्रगति

- 22 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन / अंगीकरण किया गया।
- परियोजना गांवों में, 2,881 फलदार पौधे जैसे आम एवं केला रोपित किये गये हैं, जिन्हें किसान आई.एफ.एफ.डी.सी. के तकनीकी मार्गदर्शन में प्रबन्धित कर रहे हैं।
- 14 स्वास्थ्य एवं पोषक जागरूकता शिविर व 13 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- समूह सदस्यों के कौशल उन्नयन हेतु 10 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।
- किसानों को 1948 सब्जी की किट एवं दलहन की उच्च उत्पादक किस्म की 1418 किटें प्रदान की गयीं।
- समूह सदस्यों को आय अर्जन हेतु 16 सिलाई मशीनें व मछली के 40,000 बीज प्रदान किए गए।
- 6 पैडी थ्रेसर एवं 8 पंप सेट कृषकों को प्रदान किए गए।
- 54 गरीब परिवारों को उनकी आजीविका हेतु 108 मुर्गी पालन इकाईयाँ (प्रति इकाई 25 चूजे) प्रदान की गईं।
- 26 वर्मी कम्पोस्ट / पी.एस.एन. गड्ढों की स्थापना की गई।
- जल संरक्षण हेतु 1 चेक डैम, 11 हैंड पम्प व 8 तालाबों / हाफा का निर्माण कराया गया एवं जल स्त्रोत विकास हेतु पंप सेट के साथ 3 सोलर बोर वैल की स्थापना की गई।
- 3 स्नान घाट एवं 3 मंडप बनाये गये।

परिणाम

- कुँओं और ट्यूबवैल के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब किसान 2 से 4 बार अपनी फसलों को अतिरिक्त सिंचित करने लगे हैं। बंदगोभी, अदरक, मटर, आलू, लहसुन एवं गन्ने आदि की नयी फसलों का परियोजना क्षेत्र में प्रचलन हुआ है।
- क्षेत्र के किसानों को अब सुनिश्चित जल संसाधनों के कारण जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध हुई है जिसके माध्यम से, वे अपनी पहली फसल को बचा रहे हैं। इन तालाबों के द्वारा पास के कुँओं के पुनर्भरण में भी सहायता मिली है जिसके परिणामस्वरूप, अब दो फसलें ली जा रही हैं।
- सभी परियोजना गांवों में संस्थागत रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी तत्काल जरूरतों को पूर्ण करने और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- विभिन्न आयजनित गतिविधियों और लघु–उद्यमों के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है जिससे, सदस्यों की आत्मनिर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- जागरूकता कार्यक्रमों के कारण, सामाजिक बुराइयों को कम करने और आजीविका में सुधार करने में समुदाय को मदद हो रही है।
- किसान उच्च पैदावार देने वाली किस्मों और नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिससे, किसानों को अधिक उत्पादन और आय के कारण उनकी आजीविका बेहतर हो रही है।

उत्तरी बंगाल में ग्रामीण आजीविका विकास परियोजनांतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आय अर्जन हेतु मधुमक्खी पालन

Progress

- 22 new Self Help Group (SHG) were formed/adopted.
- 2,881 fruit plants viz Mango and Banana have been planted in the project villages and are being maintained by the farmers under the technical guidance of the IFFDC.
- 14 Health & Nutritional Awareness Camps and 13 Veterinary Camps were organised.
- 10 trainings of SHGs have been organised for skill development.
- 1948 Vegetable Kits and 1418 HYV Pulses Kits have been provided to farmers.
- 16 Sewing Machines and 40,000 fingerlings have been provided to SHG members for income generation.
- 6 paddy threshers and 8 pump sets have been provided to farmers.
- 108 poultry units (25 chicks in each unit) to 54 poor families for their livelihood.
- 26 vermi-compost pits/PSN pits have been established.
- For water harvesting, 1 check dam, 11 handpumps and 8 ponds/hafa were constructed and 3 solar bore well units with pumpsets have been established for water resources development.
- 3 Bathing Ghats and 3 Mandaps have been constructed.

Outcome

- Due to increase in water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to provide 2-4 times more irrigation to their crops. New crops i.e. Cabbage, Ginger, Peas, Potato, Garlic and Sugarcane have been introduced in the project area.
- Farmers have assured water resource through farm ponds which can save their first crop through life saving irrigation. These ponds have also helped in recharging the nearby wells which helped in cultivation of second crop.
- All the project villages are institutionalized through Self Help Groups (SHG) by providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises
- Enhanced income of members through various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income leading to better livelihoods.

Beans cultivation in Rural Livelihood Project, Bankura (West Bengal)

सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं उन्हें ''सार्वभौमिक अवधानों'' के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार हैं:–

अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक संम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संवर्द्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह सहकारिता की अवधारणा पर आधारित हैं। परन्तु, इनका नामकरण उनके उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया, के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), आजीविका समितियाँ (एल.सी.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), जल उपभोक्ता कमेटी (डब्ल्यू.यू.सी.) आदि हैं।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं, समुदाय की उनके वातावरण में आजीविका को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायें:

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थायें	कुल संख्या	कुल सदस्य
1.	पी.एफ.एफ.सी.एस.	152	19,331
2.	पी.एल.डी.सी.एस.	14	1,788
3.	स्वयं सहायता समूह	1,795	18,288
4.	किसान क्लब	258	2,599
5.	वाड़ी समूह / टुकड़ी	180	2,475
6.	जल उपभोक्ता समिति	186	2,183
7.	ग्राम जलग्रहण समिति	63	709
8.	कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	38	35,397
9.	आजीविका समिति (एल.सी.)	11	6,044
	कुल योग	**2,697**	**88,814**

- वर्ष के दौरान 841 सदस्यों को जोड़कर 58 नये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया जिनका पोषण किया जा रहा है।

CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" which are as under: -

A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and to provide sustainable mechanisms for continuing the development process after withdrawal of project based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalizing its development interventions. The promoted groups are strongly rooted in the cooperative principles but differently named depending on the purpose for which formed, under its different projects viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producers Organisation (FPO), Livelihood Collectives (LCs), Farmer Clubs, Wadi Groups, Self Help Group (SHG), Water Users Committee (WUC) and so on.

PROGRESS

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to uphold institutions at the local level and to provide support to the development process and help them sustain after withdrawal of the project. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Developed and Nurtured under different Projects

S.No.	Community Institutions	Total No.	Total Members
1.	PFFCS	152	19,331
2.	PLDCS	14	1,788
3.	SHG	1,795	18,288
4.	Farmer Clubs	258	2,599
5.	Wadi Groups/Tukdi	180	2,475
6.	Water User Committee	186	2,183
7.	Village Watershed Committee	63	709
9.	Farmers Producers Organisation (FPO)	38	35,397
10.	Livelihood Collective	11	6,044
	Total	**2,697**	**88,814**

- During the year, 58 new Self Help Groups (SHGs) have been formed and nurtured, consisting of 841 members.

ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोड़ना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु, महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रुचि पैदा करने से कहीं अधिक है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को समान एवं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए, उनकी अपनी संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,795 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 18,288 है, जिनमें 94 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 522.0 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 245.50 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। रु. 82.27 लाख की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म–वित्त–प्रक्रिया' सहयोग हेतु चक्रीय कोष संचालित किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्र में, महिलाओं में कौशल विकास व अतिरिक्त आय अर्जन के लिए और अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए ''नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया'' (निपफी), सीबार्ट, ट्राईफेड की उन्नत तकनीकियाँ जैसे हैंडलूम, बाँस के उत्पाद निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण तथा दिया–बाती निर्माण आदि अपनाये गये, जिससे, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड व बी पॉजिटिव कं. के तकनीकी सहयोग से स्थापित की गयी मधुमक्खी पालन इकाईयों से महिलाओं के आय–अर्जन में वृद्धि हो रही है।

स्वयं सहायता समूहों के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे–प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, जल उपयोग समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनांतर्गत स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा सैनेटरी नैपकिन का निर्माण

B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about adding merely a 'woman's component' or even a 'gender equality component' into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation, bringing the experience, knowledge, and interests of women and men to bear on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions and constitute the cross cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment.

PROGRESS

The IFFDC is nurturing 1,795 SHG with a total membership of 18,288 of which 94% are women. The cumulative savings of these groups has reached Rs. 522.0 lakh. Loans taken by members are around Rs. 245.50 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. These SHG are being nurtured through Regular Meetings, Skill Development and Capacity Building Programmes. Furthermore, the revolving fund amounting to Rs. 82.27 lakh has been operationalised for facilitating Micro-Credit Mechanism in the rural areas.

To develop skill and open new avenues of income generation to the women members, the innovative technologies of "National Innovation Foundation - India" (NIFI), CIBART, TRIFED on Handlooms, Bamboo Products, Sanitary Napkin Manufacturing, Agarbatti Making and Wick making etc. have been adopted in the project area. Moreover, the Bee-keeping units setup with the technical guidance of National Bee Board and Bee Positive Co. are resulting in additional income generation.

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, WUC, etc. During the year following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Bamboo Products making for Income Generation by SHG Members in Charigochhia, District Jajpur, Odisha under IIRDP

महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरणः

क्र.सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धि (संख्या)
1	स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (सं.)	184
2	पीने का स्वच्छ जल सहयोग (परिवार सं.)	1,874
3	धूम्ररहित चूल्हा निर्माण (परिवार सं.)	1,401
4	महिला विकास गतिविधियाँ (सं.)	300
5	शौचालय निर्माण (परिवार सं.)	328
6.	महिला श्रम बचत गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	1,031
7.	मधुमक्खी पालन इकाईयाँ (सदस्य सं.)	47
8.	आय अर्जन गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	743

परिणाम

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे हैं।
- स्वयं सहायता समूह, उन्नत कृषि से सम्बन्धित मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुंआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों की पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- लामबंदी से स्वयं सहायता समूह में सम्बद्धता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
- महिला श्रम में कमी हेतु आयोजित की गयी गतिविधियों से उनकी मेहनत व समय में बचत हुई। इस बचत के समय को महिलाऐं स्वयं के विकास व आय अर्जन में उपयोग कर रही हैं।
- शौचालय निर्माण से खुले में शौच की प्रवृत्ति में कमी आयी है। लड़कियाँ व महिलाऐं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं जिससे, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है।
- नयी तकनीकी जैसे बायो–डाईजेस्टर शौचालय के प्रयोग से मानव विष्टा पूर्ण तरह से विघटित हो जाती है, परिणामस्वरूप भू–जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। अन्ततोगत्वा, इससे भारत सरकार के कार्यक्रम ''स्वच्छ भारत अभियान'' में योगदान करने में सहायता मिलती है।

ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, ओडिशा के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए सिलाई प्रशिक्षण

Details of Gender mainstreaming related activities:

S. No.	Activities	Achievement (Nos.)
1.	Health Checkup & Sanitation Awareness Progremme (No.)	184
2.	Safe Drinking Water (No. of Families)	1,874
3.	Construction of Smokeless Chullhas (No. of Families)	1,401
4.	Women Development Activities (No.)	300
5.	Toilets Construction (No. of Families)	328
6.	Women Drudgery Reduction Activities (No. of Members)	1,031
7.	Bee-keeping Units (Member No.)	47
8.	Income Generation Activities (No. of Members)	743

Outcome

- Self Help Groups (SHG) are helping in addressing the fulfillment of immediate needs as well as the strategic interests of women and helping to bring them into the mainstream.
- In addition to issues related to improved farming, SHG are also discussing their problems related to health, functional literacy, education of children, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Mobilization of SHG has created a sense of cohesiveness, ownership and belongingness amongst community members.
- SHG have been institutionalized in all project villages at present, which is ensuring that the women and marginalized communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.
- The women drudgery reduction activities helped in saving time and labour of the women. The women are utilising the saved time in their own development & income generation.
- Open defection is reduced due to construction of toilets. Girls and women are feeling safe which has helped in improving their self-esteem.
- Use of new technology i.e. Bio-Digester Toilets helped in total decomposition of human waste consequently the quality of ground water does not deteriorate ultimately it contributes significantly to the agenda of Government of India for "Swachh Bharat Abhiyan".

Bamboo Products manufacturing by women members of SHG for income generation under IFFCO's RLDP, Siliguri, North Bengal

स. क्षमता निर्माण

आई.एफ.एफ.डी.सी. में क्षमता निर्माण एक सार्वभौमिक अवधान के रूप में आवश्यक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। जिससे, संस्था के कर्मियों/भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान, दक्षता एवं मनोभावों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने प्रशिक्षणों में, निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन अथवा प्रशिक्षण प्रणाली दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में धारणा प्रणाली के प्रयोग से अनवरत परिवर्तित हो रहे वातावरण में प्रयोग की जा सकने वाली आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्रियों का नियमित विकास सुनिश्चित हो जाता है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्थानीय लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया– वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य व्यक्तियों एवं समूहों का क्षमता निर्माण है। इन भूमिकाओं में स्वयं सहायता समूह एवं अन्य समूहों का निर्माण ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण शामिल है। सभी क्षेत्रीय टीमों ने अपने स्तर पर इनकी क्षमता निर्माण अथवा उन्हें गतिविधि में संलग्न करने हेतु कड़े प्रयास किए। वर्ष के दौरान, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 32 प्रशिक्षण, पी.एफ.एफ.सी.एस. प्रबंधन पर 15 प्रशिक्षण, सदस्यों के लिए 12 प्रशिक्षण/एक्सपोजर भ्रमण तथा कौशल विकास पर 45 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

परिणाम

- स्वास्थ्य (पशु चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य) एवं जागरूकता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे समुदाय में स्वामित्व की भावना पैदा हुई जिसके परिणामस्वरूप, क्रियान्वित गतिविधियों के पूर्ण स्थायित्व में मदद मिली।
- स्थानीय स्तर के 200 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा–प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवकों/कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, समूह प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

एफ.आर.आई. देहरादून (उत्तराखण्ड) में वानिकी समितियों के कार्यकर्ताओं के लिए मिलिया कम्पोजिटा नर्सरी पर प्रशिक्षण

C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic inputs to personnel/stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's use of System Approach to Training ensures that training programs and the required support materials are developed continuously to adapt to the variety of needs and rapidly changing environment.

PROGRESS

The IFFDC has laid emphasis on grooming people from the community for performing transformational roles that aim at capacity building of groups and individuals. These roles include promotion of SHGs and other groups and training of village level local service providers. All the teams took initiatives to engage and groom such people. During the year 32 trainings for SHG Members, 15 trainings on PFFCS Management, 12 Training/Exposure Tours and 45 Trainings on Skill Development were organised.

Outcomes

- Capacity building programmes have played a crucial role in the field of health (veterinary & human health) and awareness, which helped in inculcating a sense of ownership in the community that helps in turn in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 200 local-level service providers are trained and groomed as para-professionals such as Krishakmitras, Jankars, volunteers / community facilitators group motivators, etc, and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women.

Training on Leadership Development for PFFCS Chairmen at RICM, Chandigarh

सी.एस.आर. पहल

''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व'' (सी.एस.आर.) प्रबंधन की एक अवधारणा है जिसमें, कम्पनियाँ अपने व्यापार के संचालन तथा अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक एवं पर्यावरण चिन्ताओं को समन्वित करती है। सी.एस.आर. सामान्यतः एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एक कम्पनी आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक अनिवार्यता में एक सन्तुलन प्राप्त करने के साथ–साथ शेयरधारकों की अपेक्षाओं को भी सम्बोधित किया जाता है। भारत में सी.एस.आर. को परम्परागत परोपकार की एक गतिविधि के रूप में देखा गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत् सी.एस.आर. का विचार प्रस्तुत किया गया था तथा अब यह, ऐसी सभी कम्पनियों के लिए अनिवार्य हो गया है जिनका वार्षिक टर्नओवर रु. 1,000 करोड़ से अधिक, अथवा रु. 500 करोड़ से अधिक का निवल मूल्य अथवा शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ से अधिक का हो। इस एक्ट के अनुसार, ऐसी कम्पनियों को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की कम से कम 2 प्रतिशत राशि को सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

अधिकांश कारपोरेट, सी.एस.आर. नीति की अनुपालना कर रहे हैं तथा उनके केन्द्रित क्षेत्रों में सामाजिक व पर्यावरण विकास के विभिन्न सी.एस.आर. गतिविधियों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सी.एस.आर. आधारित कार्यक्रमों को सूत्रीकरण करने व उनके क्रियान्वयन करने तथा इस प्रकार की पहलों के परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन के लिए विशेष मनोवृत्ति, रणनीति, कौशल तथा क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. के पास वांछित योग्यता, मनोवृति, कौशल क्षमता तथा अनुभव है, अतः कार्पोरेट्स को परिणामोन्मुखी तरीके से उनके सी.एस.आर. प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया। कार्पोरेट्स के सी.एस.आर. पहल की साझेदारी में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार करने के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं चिरन्तर आजीविका विकास की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. की ग्रामीण आजीविका पहुँच में लोगों को विकास के केन्द्र में रखा जाता है तथा सम्पत्ति कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि, महिलाएँ व पुरुष, रोजगार व आय अर्जन के लिए नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सके।

"फानी" चक्रवात के दौरान शरणस्थली के रूप में प्रयुक्त आई.आई.आर.डी.पी. परियोजना जाजपुर, ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में निर्मित सामुदायिक भवन

CSR INITIATIVES

"Corporate Social Responsibility" (CSR) is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives simultaneously, addressing the expectations of shareholders and stakeholders. CSR in India has traditionally been seen as a philanthropic activity. Under the Clause 135 of the Companies Act, 2013 has introduced the idea of CSR and now it is mandatory for the companies with an annual turnover of more than 1,000 crore INR, or a net worth of more than 500 crore INR, or a net profit of more than five crore INR. The Act encourages companies to spend at least 2% of their average net profit in the previous three years on CSR activities.

Most of the corporates are complying with the CSR policy and implementing various CSR activities/projects for social and environment development in their focused area. Formulation and Implementation of CSR based programme also requires specific attitude, strategy, skill and capabilities for outcome oriented implementation of such initiatives. IFFDC has the aptitude, attitude, skill, capability and experience in implementing such programmes and has started facilitating Corporates in achieving their CSR commitments in result oriented mode. Efforts are being made by IFFDC towards poverty alleviation and sustainable rural livelihood development through extending its services in partnership with Corporates under their CSR initiatives. IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills so that women and men can access new opportunities for income generation and employment.

Solar Drinking Water unit at Charigochhia, Distt. Jajpur (Odisha) helped the community during "Fani Cyclone" when electric supply was disrupted

सी.एस.आर. परियोजना

इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.)

इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड (आई.टी.जी.आई.) ने इनके "सी.एस.आर. पहल" के अन्तर्गत "इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना" के अंतर्गत 16 गाँवों में जैसे ओडीशा राज्य के जाजपुर जिले के अंतर्गत 5 गाँव, राजस्थान राज्य के बाराँ जिले के 2 गाँव, अजमेर जिले के 5 गाँव एवं असम राज्य के बारपेटा जिले के 5 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है।

यह परियोजना आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन गांवों में ग्रामीण सहभागी अध्ययन (पी.आर.ए.), आंकड़े एकत्रीकरण व विश्लेषण, समस्याओं की पहचान, मुद्दों का प्राथमिकीकरण, क्रान्तिक समस्या विश्लेषण (सी.पी.ए.) आदि जैसी (सहभागी प्रक्रियाओं) के माध्यम से तैयार की गयी।

परियोजना का क्रियान्वयन 8 घटकों (i) सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (ii) स्वच्छ पेयजल, (iii) कृषि उत्पादन (iv) पशुधन विकास, (v) महिला सशक्तिकरण, (vi) कौशल विकास व रोजगार सृजन, (vii) संस्थागत विकास एवं (viii) पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत 62 गतिविधियों से अधिक के साथ किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान परियोजना की प्रगति :

- स्वच्छ पेयजल हेतु 11 सोलर आधारित जलापूर्ति इकाईयाँ स्थापित की गईं।
- 12 स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया गया।
- स्कूलों में पेयजल एवं स्वच्छता पर 4 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- 200 किचन गार्डनों का विकास किया गया एवं 20 कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण किया गया।
- 8 स्वयं सहायता समूह गठित किए गये। समूहों के सदस्यों हेतु प्रबंधन व कौशल विकास पर 17 प्रशिक्षणों एवं 1 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया।
- जल स्त्रोत विकास हेतु एक चैक डैम एवं एक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया।
- कृषि विकास के अंतर्गत गरीब परिवारों को, 500 कि.ग्रा. मक्का, 4.8 कि.ग्रा. सब्जी एवं 5800 कि.ग्रा. गेहूँ बीज तथा 39 स्प्रेयर प्रदान किए गए।
- परियोजना गांवों के प्रत्येक परिवार को 462 एल.ई.डी. बल्ब प्रदान किए गये तथा 11 एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट स्थापित की गयीं।
- 5 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।

आई.आई.आर.डी.पी., बाराँ (राज.) परियोजनांतर्गत स्वच्छ पेयजल हेतु स्थापित सोलर फिल्टर पेयजल यूनिट

CSR PROJECT

IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP)

IFFDC is implementing Integrated Rural Development Project in 16 villages i.e., 5 villages of Distt. Jajpur in Odisha, 2 villages of Distt. Baran and 4 villages of Distt. Ajmer in Rajasthan and 5 villages of Distt. Barpeta in Assam with the financial support of IFFCO-Tokio under its CSR initiative.

The project was developed with "Participatory Process" by adopting the steps like Participatory Rural Appraisal (PRA), Data Collection & Analysis, Problem identification, Prioritization of the issues, Critical Problem Analysis (CPA) etc in these villages by the IFFDC.

The Project is being implemented with more than 62 activities covered under eight components viz; (i). Community Health and Sanitation, (ii). Safe Drinking Water, (iii). Agriculture Production, (iv). Livestock Development, (v). Women Empowerment, (vi). Skill Development and Employment Generation, (vii). Institutional Development, (viii). Environment Up-gradation.

The Progress of the Project during the year :

- For safe drinking water, 11 Solar Based Water Supply Units have been installed.
- 12 Health Check -up camps were organised.
- 4 Awareness Programme on drinking water and personal hygienic in schools.
- 200 Kitchen garden developed and 20 compost pits constructed.
- 8 Self Help Groups (SHGs) have been formed. Similarly, 17 trainings on SHG management & skill development and 1 Exposure Visit has been organised.
- For water resource development one Check Dam and one Protection Wall have been constructed.
- Under Agriculture Development, 500 Kg Maize, 4.8 Kg Vegetable and 5800 Kg Wheat seeds & 39 sprayers were provided to poor families.
- 462 LED Bulbs to each family of project villages and 11 LED Street Lights were installed.
- 5 Veterinary camps were organised.

Pond renovated with Bathing Ghat at Charigochhia, Distt. Jajpur (Odisha)

- महिला सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे सिलाई, हैंडलूम, नृत्य एवं गायन, अगरबत्ती एवं रुई की बाती बनाना आदि आयोजित किए गए।
- स्वयं सहायता समूहों को 14 सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।
- बाँस उत्पादों पर कौशल विकास के लिए, एक महीने की अवधि का बाँस शिल्प पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 25 सदस्यों को बाँस के उत्पाद निर्माण पर प्रशिक्षित किया गया।
- मुर्गीपालन हेतु गरीब परिवारों को प्रतापधन नस्ल के 800 चूजे, 25 पिंजड़े, आहार बॉक्स, ड्रिंकर एवं आहार प्रदान किया गया।
- दिन में घरों में अंधेरा दूर करने के लिए 100 गरीब परिवारों के घरों की छतों पर 200 पारदर्शी फाइबर शीटों की स्थापना की गई।

प्रभाव

- परियोजना परिवारों व विद्यार्थियों में साफ सफाई, स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा स्वच्छ पेय जल के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई। परियोजना क्षेत्र के 324 परिवारों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया तथा शौचालयों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इससे परियोजना क्षेत्र की लड़कियों व महिलाओं में विशेषतौर पर आत्मसम्मान व सुरक्षित वातावरण की भावना विकसित हुई।
- 7 गाँवों के 884 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है जिससे जलजनित बीमारियाँ कम हुई हैं।
- एल.ई.डी. बल्ब, सोलर लाईट व सोलर स्ट्रीट लाईट के प्रयोग से बिजली के खर्चे व ऊर्जा की बचत हुई।
- निर्धूम चूल्हा व फाइबर शीट से महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा ऊर्जा की बचत हुई।
- महिलाओं विशेषतया समूह सदस्यों ने कौशल विकास व आय अर्जन की गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जन के वैकल्पिक स्त्रोत विकसित किये। सिलाई–कढ़ाई व अगरबत्ती निर्माण के लघु उद्योग से 27 महिला सदस्यों को प्रति माह रु. 500–5000 तक की अतिरिक्त आय अर्जित होना प्रारंभ हो गया।
- ओडिशा में "फानी चक्रवात" के दौरान परियोजना गतिविधियाँ स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए निम्न प्रकार से जीवनदायिनी सिद्ध हुईः

1. ओडिशा के जिला जाजपुर के विकासखण्ड बड़चना में इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक केन्द्र आदिवासी ग्रामवासियों के लिए जीवनदायिनी आश्रयस्थल के रूप में उपयोग आये।
2. आपदा के समय मोमबत्ती की कीमत 100 रुपये व माचिस की कीमत 50 रुपये प्रति नग हो गई थी। परियोजनांतर्गत आई. एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्थापित 70 सोलर स्ट्रीट लाईटों में से बची लाईटों व 230 घरेलू सोलर लाईटों व टॉर्च की मदद से वहाँ के गाँव व गरीब आदिवासी परिवारों के घरों में रोशनी की जगमगाहट रही।
3. चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में पानी की एक बोतल की कीमत 100 रुपये हो गई थी तथा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप्प हो चुकी थी ऐसे समय में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा परियोजनांतर्गत पाँच सोलर आधारित पेयजल इकाईयों ने वहाँ के निवासियों को स्वच्छ पेयजल निःशुल्क प्रदान किया जिससे वहाँ के निवासियों का जलजनित बीमारियों से बचाव हुआ।
4. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत गांव सालापाड़ा में निर्मित चेकडैम "फानी चक्रवात" से प्रभावित समुदाय के पुनर्वास के लिए जीवन रेखा के रूप में फसल उत्पादन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है।

मसानी बाँध, धारूहेड़ा, जिला–रेवाड़ी (हरियाणा) में "निम्नीकृत वन का पुनरोद्धार" परियोजना

मैसर्स मित्सुई एंड कं. लि. द्वारा मसानी बाँध, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) में "निम्नीकृत वन के पुनरोद्धार" हेतु एक परियोजना उनके सी.एस.आर. पहल के अंतर्गत स्वीकृत की गयी है। यह परियोजना अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जायेगी। इस परियोजना के उद्देश्य पर्यावरण सुधार हेतु "प्रकृति पथ" विकास व वृक्ष आच्छादन वृद्धि के लिए वृक्षारोपण करना है।

- गैपफिलिंग के अंतर्गत, नीम, अमलतास, पिलखन एवं बरगद जैसे दीर्घावधि वाले स्वदेशी प्रजाति के 1310 पौधों का रोपण किया गया।
- गैपफिलिंग के अंतर्गत, मसानी बाँध के प्रकृति पथ के दोनों तरफ 400 पुष्पीय/सुगंधीय झाड़ियाँ (बोगनविलिया, चांदनी) रोपित किए गए।
- वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाने का कार्य पूर्ण किया गया।
- प्रकृति संरक्षण एवं विभिन्न वनस्पितियों के लोगों में जागरूकता लाने के लिए, विभिन्न प्रजातियों की पहचान के लिए 50 सूचक पट्टिकायें लगाई गईं।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, 2 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 100 स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

- Various Skill Development Trainings on Tailoring, Handloom Weaving, Music and Singing, Agarbatti, Wick making etc. have been organised for women members.
- 14 Sewing Machines have been provided to SHG.
- For skill development on Bamboo products, one training on Bamboo Craft for one month period was organised, in which 25 members were trained for making Bamboo articles.
- 800 chiks of Pratapdhan breed, 25 cage, feeder box, drinker and feed were provided to poor families for poultry rearing.
- To abolish the darkness during day time of the houses, 200 transparent fibre sheets have been installed on the roofs of 100 poor families.

Impact

- The project families and school children are getting aware about the cleanness, health & sanitation and safe drinking water. 324 families of the project area stopped open defecation and started use of toilets. It developed self-steemed and safe environment to the girls & women in particular.
- 884 Families in 7 villages are getting safe drinking water which helped in reducing water borne diseases.
- Use of LED bulbs, Solar Lights and Solar Street Lights resulted into saving of electricity expenses and energy.
- Smokeless Chulha and fibre roof sheets impacted positively on the women health and also save energy.
- The women particularly the SHG members have developed alternative income generation sources through skill development & other income generation activities. 27 women members are earning additional income ranging Rs. 500 to 5000 per month through micro enterprises development.
- During "Fani Cyclone" in Odisha the project activities helped the community for their survival as follows:

  1.Community Centre constructed under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project by IFFDC helped as lifesaving shelter to Tribal People of Villages in Badchana Block of Jajpur District, Odisha.

  2.The price of Candle was Rs. 100 and Match Box was Rs. 50 per piece. The undamaged Solar Street Lights out of 70 and 230 Solar Lanterns & Torches provided under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project by IFFDC lighten the villages and houses of Tribal People in Badchana Block of Jajpur District when most area of Odisha was in darkness.

  3.The price of 1 litre mineral water bottle was Rs 100 and electricity collapsed in affected area. The 5 undamaged Solar Water Filter Units installed under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project by IFFDC supplied Safe Drinking Water free of cost to the tribal villages in Badchana Block of Jajpur District and prevent from water borne diseases.

  4.Anicut constructed under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project by IFFDC prove life line for "Fani Cyclone" affected community in their rehabilitation through crop cultivation in village Salapada in Badchana Block of Jajpur District of Odisha.

Rejuvenation of Degraded Forest at Masani Dam, Dharuhera, District Rewari (Haryana)

A project on "Rejuvenation of Degraded Forest at Masani Dam, Dhruhera, District Rewari (Haryana) has been approved by MITSUI & Co. Ltd. from its Environment Fund Fiscal 2016 under CSR Initiative. The project is being implemented for two years i.e. October 2016 to September 2018. The objective of the project is to undertake plantation work on the degraded forest area for developing nature trail and increase tree cover for environment improvement.

- Under gap filling, plantation of 1310 saplings of indigenous long rotation species like Neem, Amaltas, Pilkhan and Bargad etc. have been planted.
- Under gap filling, 400 sapling of flowering/fragrant shrubs (Rat ki Rani, Chandni) have been planted along the Nature Trail path of the Masani Dam.
- Fencing of plantation are with barbed wire has been completed.
- For creating the awareness among the people on nature conservation and different flora & fauna, 50 signage boards have been installed for identification of different species.
- For creating the awareness on Environment protection, 2 awareness programmes have been organised, in which, 100 school children participated.

पर्यावरण सुधार हेतु अर्द्ध–शुष्क क्षेत्र में बंजर भूमि पर विभिन्न पौध प्रजातियों के वृद्धि एवं विकास तथा जैव–विविधता संरक्षण का वृक्षारोपण के माध्यम से अध्ययन

मित्सुई एंड कं. लि. के मीट ट्रस्ट द्वारा अपने सी.एस.आर. पहल के अंतर्गत हमीदपुर बाँध, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में "पर्यावरण सुधार हेतु अर्द्ध–शुष्क क्षेत्र में बंजर भूमि पर विभिन्न पौध प्रजातियों के वृद्धि एवं विकास तथा जैव–विविधता संरक्षण का वृक्षारोपण के माध्यम से अध्ययन" हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। यह परियोजना अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक दो वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिनन पौध प्रजातियों की वृद्धि एवं विकास पर अध्ययन करना है।

- गैपफिलिंग के अंतर्गत, नीम, इमली, मिलिया, गूलर, फाइकस एवं शीशम के दीर्घावधि वाली स्वदेशी प्रजाति के 1385 पौधों का रोपण किया गया।
- पौधों की नियमित रूप से सिंचाई की जा रही है।
- वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाने का कार्य पूर्ण किया गया।

कृषकोपयोगी - आपणु बाजार

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का क्रियान्वयन विकास खण्ड चौखुटिया व भिकियासैंण में वर्ष 2014–15 में किसानों के लिए समर्पित तकनीकी एजेन्सी आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस परियोजनांतर्गत 6044 सदस्यों को संगठित कर 654 उत्पादक समूहों में जोड़ा तथा इन्हें 11 आजीविका सहकारिताओं में गठित किया। यहाँ क्षेत्रीय किसानों के लिए बना मण्डी हाउस "आपणु बाजार" का सन् 2013 में निर्माण किया गया जो चौखुटिया विकासखण्ड के बेतनधार न्याय पंचायत में नागाड़ ग्राम में स्थित है। "आपणु बाजार" का निर्माण कृषि संबंधित सेवाओं व कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण व वितरण के लिए किया गया था पर किसानों को जानकारी के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था। इस "आपणु बाजार" के समुचित उपयोग के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषकों के हितार्थ इस परियोजना के अंतर्गत करने के लिए एक सोच उभरी।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इस परिसर का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु किया जाने लगा। अब चुनौती थी कि, इसको परियोजना के अर्न्तगत गठित "माँ अगनेरी स्वायत्त सहकारिता, वेतनधार" को कार्य करने के लिए कराया जाये ताकि, जिन उद्देश्यों के लिए यह बनाया गया था उन्हें पूरा किया जा सके। परियोजना टीम के लिए कई चुनौतिया आयी परंतु परियोजना टीम एवं जिलाधिकारी, अल्मोडा, मुख्य विकास अधिकारी अल्मोडा के संयुक्त प्रयासों से आपणु बाजार के प्रांगण को वर्ष 2018 में माँ अगनेरी सहकारिता वेतनधार को प्रदान किया गया। आई.एफ.एफ.डी.सी. व सहकारिताओं की टीम ने काफी मंथन करके आपणु बाजार में "हिंलास साप्ताहिक हाट" प्रत्येक शनिवार को लगाने का निर्णय लिया। इसका विधिवत उद्घाटन 24 अप्रैल, 2018 मुख्य जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा किया गया एवं कार्य प्रारंभ करवाया गया। हाट के प्रथम दिवस में टर्न ओवर चौदह हजार पाँच सौ बीस रुपये का व लाभ सात सौ बत्तीस रुपये का रहा। अब वहाँ निरन्तर साप्ताहिक हाट लगायी जा रही है जिसमें उत्पादक समूहों के सदस्यों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को उचित दामों में विक्रय किया जा रहा है। अप्रैल 2018 से जनवरी, 2019 तक 4161 किसानों ने हाट में प्रतिभाग कर 4,06,280/– रुपये का व्यवसाय कर 33,968/– रुपये का लाभ अर्जित किया है। जिससे क्षेत्र में उत्साह का एक माहौल देखने को मिल रहा है।

इस सफलता के मद्देनजर माँ अगनेरी सहकारिता के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया कि क्षेत्र में उत्पादित धान को बिचौलियों द्वारा मनमानी दरों पर क्रय किया जा रहा है अतः कृषकों को धान का उचित दाम दिलवाने हेतु सहकारिता के माध्यम से क्रय कर "हिलांस" ब्रांड का चावल बाजार में उतारा जाये। इसके लिए परियोजना द्वारा महिला समूहों को भूसा ग्राइडर व राइस सेलर मशीन प्रदान की गई। आपणु बाजार में स्थापित राईस सैलर में 68 समूहों के 548 सदस्यों से 6,73,800/– रुपये का 582 क्विंटल धान क्रय किया गया जिसको प्रसंस्कृत करके हिलांस ब्रांड का 381.75 क्विंटल चावल तैयार कर 7,63,500/– रुपये का विक्रय कर 55,363/– रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। धान के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त 108 क्विंटल प्राप्त भूसे की बिक्री कर 66,650/– रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार आपुण बाजार के कैम्पस में कृषि विभाग के सहयोग से 80 प्रतिशत के अनुदान से 10 लाख रुपये के यन्त्र जैसे पैडी थ्रेसर, वीडथ्रेसर, सीडड्रिल, रोटा वेटर, कल्टीवेटर, पावरबीडर, वाटर पंप, ट्रेक्टर आदि सहकारिता द्वारा प्राप्त किए गए जिन्हें किसानों को खेती के लिए एक निश्चित सेवा दर पर कृषि कार्यों के लिए दिये जा रहे हैं। इस सहकारिता द्वारा अभी तक कुल 12,56,180/– रुपये का व्यवसाय किया गया जिससे 1,55,981/– रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ एवं 4,818 सदस्य लाभान्वित हुए। किसी ने सच ही कहा है "सफलता इंचों में मिलती है मीलों में नहीं।" परियोजना का यह एक सपना था कि आपणु मण्डी के इस अनुपयोगी परिसर को किसानों के लाभार्थ उपयोग में लाया जाये। इससे किसानों में सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

Study on survival and growth of different plant species and conservation of bio-diversity through plantation on degraded land in semi-arid zone for environment upgradation

The MEET Trust of MITSUI & Co. has awarded a Research & Development Project on "survival and growth of different plant species and conservation of bio-diversity through plantation on degraded land in semi-arid zone for environment upgradation" at Hamidpur Dam, Narnaul, Distt. Mahendragarh (Haryana) under its CSR Initiative. The project is being implemented for two years i.e. April 2017 to March 2019. The objective of the project is to study of the growth and development of different plant species.

- Under gap filling, plantation of 1385 saplings of indigenous long rotation species like Neem, Tamarind, Melia, Gular, Ficus and Shisham have been planted.
- Irrigation of the plantation is being carried out regularly.
- Fencing of plantation are with barbed wire has been completed.

Toil Changed the Destiny

Ms Sunita Bai Bhil 28 year's young lady is very much contenting now with her changed status in the village. She proudly narrates her story that now she is earning enough from tailoring and bag making works to take care her family which was not earlier. She belongs to a tribal family of a very remote village named Bor Khedi of Block Chhipa Barod in District Baran of Rajasthan State. The Bor Khedi is a tribal dominated village where livelihood was mostly depends on wage labour due to lack of livelihood resources and more than 80% of the families were migrating to the cities like Kota, Baran, Ahmedabad, Surat from project area but now the situation has totally changed.

Ms Sunita has a different story as she or her husband was not migrating for wage labour due to illness of her husband. In the village, she could hardly earn to fulfil even the food requirement of the family. The condition of the family became miserable because whatever she was earning from the wage labour was inadequate for proper treatment of her husband. Most of her earning was spent on the treatment. She was helpless and in problem.

IFFDC started IRD project in Bor Khedi village with financial assistance of IFFCO-Tokio in April 2017. Based on the survey and need of the project area, IFFDC field team was putting efforts for Women empowerment through using various effective tools and trying to find out diversified livelihood options within villages. This initiative includes formation of SHGs, Capacity building and thereafter support to members.

Ms. Sunita Bai found this is the only the ray of hope and joined the SHG and took up training on tailoring for 3 months. She has started tailoring beside making bags and working so hard for long time at home. Quality of clothes tailored by her was so good and she became famous in the area. She started earning around Rs 300/- to 350/- per day. This resulted in some saving and therefore she taken her husband to specialist doctor for proper treatment. After some time her husband also started wage labour work. She was able to construct her house also. Income from both side helped them to start a new shop in village. Now, they are earning their livelihood and status in the village is also enhanced. The family become now a Happy Family.

Now Ms Sunita has big smile as her family is living happily in the village and she stated that AAP KI MADAD AUR HAMARI MEHNAT RANG LAYI. She extends her gratitude to IFFDC and the IFFCO-TOKIO project to change their lives.

परामर्श कार्यक्रम

ग्रामीण विकास की, पहले से ही परीक्षित रणनीतियाँ, दृष्टिकोण, प्रक्रियाऐं, विधियाँ एवं तकनीकियाँ, ग्रामीण विकास के अवधानों के प्रसार, पुनरावृत्ति एवं यथानिर्मित क्रियान्वयन में सहायता करती हैं। बहुत सारी एजेन्सियाँ हैं जो कुछ अलग करना चाहती हैं, परन्तु उनके पास उसके लिए आवश्यक क्षमता एवं दक्षता नहीं होती है। अतः यह कार्य किसी अन्य संस्था को परामर्श के आधार पर सौंप दिया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने ''परामर्श कार्यक्रम'' के तहत् ऐसी संस्थाओं को उनकी प्रतिबद्धताओं को नये तरीके से पूरा करने के लिए सहायता करने का कार्य प्रारम्भ किया है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कृषि विकास, समुदाय गतिशीलता, संस्थागत विकास, तथा अनुश्रवण एवं प्रभाव आंकलन क्षेत्रों में गहन अनुभव हासिल किया है। कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. अन्य एजेंन्सियों के साथ विशिष्ट मुद्दों के रुप में कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। कुछ परियोजनाओं में कुछ मुद्दों के विशेष या आंशिक रूप से संपादन का कार्य भी किया जा रहा है। उक्त प्रकार की परियोजनाओं को परामर्श कार्यक्रम में स्थान दिया गया है।

प्रगति

हाड़ौती (राजस्थान) में कोटा डोरिया क्लस्टर विकास

रूडा द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. को हाडौती क्षेत्र के कोटा, बाराँ और बूंदी जिलों में कोटा डोरिया बुनकरों के लिए "कोटा डोरिया क्लस्टर विकास" नामक परियोजना का कार्य सौंपा गया है। लुप्तप्राय 500 बुनकरों को 38 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया। इन बुनकरों की, बाजार की मांग के अनुसार डिजायन वाली कोटा–डोरिया साड़ियाँ बुनने पर क्षमता निर्माण किया गया। जिससे, इन लुप्तप्राय बुनकरों को मुख्य धारा में लाने में सहायता हुई। वर्ष के दौरान, कोटा–डोरिया बुनकरों के कौशल विकास हेतु इन स्वयं सहायता समूहों के 35 सदस्यों "साड़ी की डिजाइन, विकास एवं बुनाई" पर प्रत्येक 3 माह अवधि के 6 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इसके अलावा, 3 कारीगर सहायता केन्द्रों की स्थापना की गयी जहाँ इन कारीगरों की कोटा डोरिया साड़ी बुनाई व डिजायन विकास सम्बन्धित समस्याओं के समाधन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। चंदेरी साड़ी की नवीनतम डिजाइन पर ज्ञानवर्धन हेतु 25 बुनकरों के दो एक्सपोजर भ्रमण चंदेरी (म.प्र.) में कराये गये तथा आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित कोटा–डोरिया के 13 साड़ी बुनकरों को कोटा–डोरिया साड़ियों की ऑनलाईन बिक्री के क्रम में अमेजोन, व फिलिपकार्ट के पोर्टल पर ज्योग्राफीकल इंडीकेशन के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी।

कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) संवर्द्धन परियोजना

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) के द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन (एन.वी.आई.) एवं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विशेष परियोजना के तहत कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के गठन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को पार्टनर संस्था के रुप में चयनित किया गया है। नाबार्ड की सहायता से आई.एफ.एफ.डी.सी., हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भी एफ.पी.ओ. संवर्द्धन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा बाजार में कृषकों की पहुँच को बढ़ाना है।

- कृषक उत्पादक संघों में 500 किसानों कों सदस्यता प्रदान कराई गई अब कुल सदस्यों की संख्या 1470 है।
- इन कृषक उत्पादक संघों को उर्वरक, बीज व पौध संरक्षण दवाईयों के लाइसेंस प्रदान कर व्यवसाय जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाईयाँ, पशु आहार की बिक्री तथा दुग्ध संग्रहण आदि प्रारंभ करवाये गए। इन कृषक उत्पादक संघों ने वर्ष 2018–2019 के दौरान कुल 30.60 लाख रुपये का टर्नओवर किया।

उत्तराखण्ड में जिला अल्मोड़ा के चौखुटिया एवं भिखियासेन विकासखण्डों में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पी.)

आई.एफ.एफ.डी.सी. को 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पी.)' के अल्मोड़ा जिले के दो विकास खण्डों, क्रमशः चौखुटिया और भिखियासेन में क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। यह परियोजना, उत्तराखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सृजित ''उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति (यू.जी.वी.एस.) देहरादून'' के माध्यम से कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष (आई.एफ.ए.डी.) द्वारा वित्त पोषित है।

CONSULTANCY PROGRAMME

Already tested strategies, approaches, processes, methodologies and technologies of rural development are helpful in dissemination, replication and tailor-made implementation of rural development initiatives. Many agencies, desirous of making a difference, do not possess the requisite capacity or skills for doing so and assign specific tasks on consultancy basis. IFFDC has started facilitating such agencies in achieving their commitments in innovative ways under its "Consultancy Programme".

IFFDC has gained experience in the field of Farm Forestry Development, Agriculture Development, Community Mobilisation, Institution Development, Monitoring and Impact Assessment. Professional skills of its staff members have been recognised by other institutions, Government and other agencies. The IFFDC is implementing some projects in association with the other agencies as a service provider for specific tasks or jobs. In some projects, it has been assigned a part of the work or specific component of the whole project for implementation. Such projects are included under the head of Consultancy Projects.

PROGRESS

Development of Kota Doria Cluster in Hadauti Region (Rajasthan)

IFFDC has been engaged by Rural Non Farm Development Agency (RUDA) with the Kota Doria Weavers in Kota, Baran and Bundi districts of Hadauti region. 500 weavers who on the verge of extinction were organized into 38 Self Help Groups. The capacity of these weavers are being built on weaving the Kota-doriya Sari on market demand designs. It helped in mainstreaming the endangered art. During the year, 6 trainings (each for 3 months period) for 35 members of these SHGs on "Design Development & Weaving of Sari" have been organized to enhance the skill of the Kota Doria Weaving Artisans. Moreover, 3 Artisan Support Centers were established where the artisans gets help to resolve problems pertaining to design and weaving of Kota-Doria Sari. Two Exposure visit of 25 Artisans was organised to Chanderi (MP) for observing the latest design of Chanderi Saree Art and IFFDC promoted 13 Artisan of Kota Doria Sari Weaving were got registered under Geographical Indication (G.I.) on the portal of Amazon and Flipkart for online sale of Kota Doria Saree. The project is closed successfully.

Farmer Producers Organisation (FPO) Promotion

The IFFDC has been engaged by Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC) as an implementing partner for National Vegetable Initiative (NVI) in Himachal Pradesh and M.P. Special Project in Madhya Pradesh for Promotion of Farmers Producer Organisations (FPO). IFFDC is also implementing FPO Promotion Project in Rewari District of Haryana with support of NABARD. The main objective of the programme is to increase marketing access and enhancement of production.

- 500 Farmers have been mobilized for membership in FPOs. Now, the total members are 1470.
- These Farmer Producer Organizations (FPOs) have obtained licenses of Fertilizer, Seed, Pesticide and started business like sale of seed, fertilizer, insecticide, cattle feed and collection of milk. During the year 2018-2019, the business turnover of these FPOs is Rs. 30.60 lakh.

Integrated Livelihood Support Project (ILSP) Chokhutiya and Bhikiyasen Block of Almora (Uttarakhand) From Uttarakhand Gram Vikash Samiti (UGVS)

IFFDC has been selected as a Technical Agency (TA) to implement the "Integrated Livelihood Support Project (ILSP) funded by International Fund for Agriculture Development (IFAD) through Uttarakhand Gramin Vikas Samiti (UGVS) Deharadun which is a creation of Ministry of Rural Development, Govt. of Uttarakhand in two blocks viz; Chaukhutia and Bhikiyasen of Almora district.

प्रगति

- 11 आजीविका समितियों ने नोडल एजेंसी के रूप मे कार्य करना शुरू कर दिया है। 11 आजीविका समितियों को कृषि उत्पादों (अदरक, हल्दी, मिर्च, काला सोयाबीन, गहत इत्यादि) संग्रह के व्यवसाय हेतु सहायता की जा रही है। इन समितियों ने वर्ष के दौरान 116 लाख रुपये का टर्नओवर किया।
- कृषि उपज के विपणन हेतु संग्रहण के क्रम में एक संग्रह केंद्र व 11 मिनी संग्रह केंद्रों का निर्माण किया गया।
- 11 आजीविका समितियों की वार्षिक आम सभा की बैठकों का आयोजन किया गया।
- पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु 28 एल.डी.ई.पी. टैंकों का निर्माण किया गया।
- जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु कृषकों के खेतों के चारों ओर 14,124 रनिंग मी की सुरक्षा बाड़ लगवायी गई।
- 2 साप्ताहिक हाट बाजार एवं 7 इनपुट आउटपुट सेंटर प्रारंभ किया गया।
- उत्पादक समूहों के किसानों की सब्जियों के भण्ड़ारण हेतु, 1.5 मिटिक टन क्षमता वाला शीत भण्ड़ारगृह का निर्माण किया गया।
- आजीविका समितियों द्वारा किसानों को किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मिनी ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, पावर बिडर, स्प्रे पंप, कल्टीवेटर, रोटावेटर आदि मशीनरी व यंत्र प्रदान किए गए।
- एक मसाला प्रसंस्करण इकाई व एक आटा चक्की प्रारंभ की गई।

आई.एल.एस.पी. परियोजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु निर्मित एल.डी.पी.ई. टैंक

Progress

- 11 Livelihood Collective (LCs) have started working as nodal agency. 11 Livelihood Collectives are being supported for promotion of business of collection of agriculture produces (Ginger, Turmeric, Chilli, Black Soyabean, Gahat etc.) and achieved the annual turnover of Rs. 116 lakh.
- One Collection Center and 11 Mini Collection Centers have been constructed to collect the crop yields for marketing..
- 11 Annual General Meetings (AGMs) of Livelihood Collectives have been organised.
- For developing irrigation facility for the step cultivation in hilly areas 28 LDPE tanks have been constructed.
- To protect the crops from wild animals 14,124 RM fencing have been done around the Farmer's fields.
- 02 Weekly Haat Bazaars and 7 Input Output Center (I.O.C) have been started.
- One Cold Storage with capacity of 1.5 MT has been established for storage of Vegetable of the farmers from Producer's Groups.
- Agricultural Machineries like mini tractors, Seed Drill, Power Bidder, Seed Drill, Aspee Pump, Cultivator, Rotavator etc have been provided to LCs for renting out to farmers.
- One Spices processing Unit and one Flour Mill have been started.

Green Peas cultivation for Livelihood Sustenance by Producer Group under ILSP Project Distt. Almora (Uttarakhand)

परम्परागत स्वर्ण जयंती उद्यान परियोजना (इफको द्वारा वित्त पोषित)

इफको की सहायता से इफको आँवला संयंत्र, बरेली में "परम्परागत स्वर्ण जयंती उद्यान परियोजना" प्रारंभ की गई। इसका उद्घाटन माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, इफको ने पारिजात प्रजाति का पौधा लगाकर किया।

- 40 विभिन्न परम्परागत पौध प्रजातियाँ जैसे महुआ, केसिया सामिया, देशी आम, बड़हल, खिरनी, फालसा, चिलबिल, केजूरीना, सिरिस, देशी सेमल आदि के 2271 पौधों का रोपण किया गया।
- रखरखाव के कार्य जैसे सिंचाई, स्टेकिंग, निराई व गुड़ाई तथा थाँवला बनाना आदि किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति भवन स्मार्ट ग्राम योजना – गुड़गाँव व मेवात जिले

इफको द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन सितंबर 2016 से किया जा रहा है तथा अब यह परियोजना जुलाई 2018 से क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को प्रदान की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य "वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि करना" है। यह परियोजना 15 गाँवों (जिला गुड़गाँव में 12 गाँव तथा जिला मेवात में 3 गाँव) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की मुख्य गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार है:

- इफको सचल मृदा परीक्षण वाहन की सहायता से 368 मृदा नमूनों की जांच की गई तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर किसानों को प्रदान किए गए।

परंपरागत स्वर्ण जयंती उद्यान विकास–इफको आँवला, बरेली (उ.प्र.) अंतर्गत रोपित विभिन्न पौध प्रजातियाँ

Paramparagat Swarn Jayanti Udyan Pariyojana (Funded by IFFCO)

"Paramparagat Swarn Jayanti Udyan Parjojana" has been started at IFFCO Aonla Plant, Bareilly with the support of IFFCO. Honorable Managing Director, IFFCO inaugurated it by planting Parijat sapling.

- Total 2,271 plants of different 40 traditional tree species have been planted likes Mahua, Cassiya Samia, Desi Mango, Badahar, Khirani, Falsha, Chilbill, Kaijurina, Siris and Desi Semal etc
- Stalking, Irrigation, Hoeing and weeding and Basin Making of the plantation are being undertaken.

Rashtrapati Bhawan Smart Gram Yojana in Gurgaon & Mewat Districts

The project has been implemented by IFFCO since September 2016 and now it is implementing by IFFDC from July 2018. The Goal of the project is "To increase agriculture production to contribute towards doubling the farmer's income by 2022". The project is being implemented in 15 villages (12 villages in District Gurgaon and 3 villages in District Mewat). The progress of major activities is given below:-

- 368 soil samples have been analysed by IFFCO. Mobile Soil Testing Van and prepare soil health cards & given to farmers.

Demonstration on Use of WSF & Sagarika on Hybrid Mustard (HM Super 222) under Rashtrapati Bhawan Smart Gram Project-Sohna (Haryana)

- 8 गांवों के 230 हैक्ट. क्षेत्र में हरी खाद को बढ़ावा देने हेतु 318 किसानों को 46 क्विंटल मूंग की एस एम एल – 668 एवं एम. एच.–421 प्रजाति का बीज प्रदान किया गया।
- जल बचत एव सिंचाई लागत को कम करने हेतु, 100 किसानों को 100 एच.डी.पी.ई. स्पिंकलर इकाईयॉ सेटों (जैन इरिगेशन द्वारा निर्मित) प्रदान की गयी।
- 750 कृषकों को 750 क्रांतिक आदान किट जिसमें सरसों (प्रजाति एच एम सुपर–222 तथा 45 एस 42) का बीज, संकर बाजरा (प्रजाति 86 एम 84) का बीज, जिंक, सल्फर, 18 : 18 : 18, 0 : 0 : 50, जैव एन पी के, सागरिका एवं 17 : 44 : 0 प्रदान किये गये।
- नई फसलों को प्रचलन में लाने हेतु, ईसबगोल (प्रजाति सिलेक्सन–1) का 4 किग्रा बीज, जौ (प्रजाति बी एच – 946) का 1020 किग्रा बीज, डॉलर चना का 100 किग्रा बीज, मसूर (प्रजाति के एल एस–218) का 2010 किग्रा बीज, मूंगफली (प्रजाति जी–10) का 100 किग्रा बीज तथा मोठ (प्रजाति आर एम ओ – 257) का 8 किग्रा बीज 61 कृषकों को प्रदान कर कुल 106 एकड़ क्षेत्र में बुवाई कराई गई।
- जैव उर्वरकों, जल विलेय उर्वरकों व सागरिका के प्रयोग का संवर्द्धन करने हेतु 10 गांवों में 300 कृषकों को इफको उत्पादों के 300 किट जिसमें प्रत्येक किट में 1 किग्रा 18 : 18 : 18 व 1 किग्रा 17 : 44 : 0 तथा 1 किग्रा 0 : 0 : 50 के साथ 500 मि.ली. सागरिका प्रदान कर 300 एकड़ क्षेत्र में इसके उपयोग के प्रदर्शन लगाये गए।
- चारा विकास के अंतर्गत, 112 कृषकों को 100 किग्रा सोरगम सुडान घास (एस एस जी), 300 किग्रा बरसीम, 50 किग्रा रिजका, 50 किग्रा कासनी तथा 250 किग्रा जई के उन्नत बीज प्रदान कर 122 एकड़ क्षेत्र में बुवाई कराई गई।
- 03 किसान दिवसों का आयोजन किया गया जिसमें 154 किसानों ने भाग लिया। इन किसानों ने तिल, शकरकंद व सरसों की फसलों पर प्रदर्शन क्षेत्रों में इफको के उत्पाद सागरिका व जल विलेय उर्वरकों के प्रयोग से प्राप्त अच्छे परिणामों का अवलोकन किया।
- फसलों को कीड़ों व बीमारियों से बचाने के लिए, 11 ग्रामों के 100 किसानों को 100 एसपी बैटरी संचालित स्पेयर प्रदान किये गये।
- एक तालाब का पुनरोद्धार किया गया जिससे आसपास के कुँओं को रिजार्च करने में मदद मिली।

प्रभाव

- सरसों का उत्पादन 21 क्विं. प्रति हैक्ट. से बढ़कर 25 क्विं. प्रति हैक्ट. हो गया। इसी प्रकार, गेहूँ की औसत उपज 47 क्विं. से बढ़कर 55 क्विं. प्रति हैक्ट. हो गया।
- जल विलेय उर्वरकों व सागरिका के प्रयोग से शकरकन्द का औसत उत्पादन 22 क्विं. से बढ़कर 26 क्विं. प्रति हैक्टेयर हो गया।
- क्षेत्र में नयी फसलों जैसे जौ, मसूर, मोठ, ईसबगोल, डालर चना व मूँगफली आदि की बुवाई करायी गयी जिससे फसल विविधीकरण हुआ एवं किसानों को फसलों के और अधिक विकल्प सृजित हुये।
- स्प्रिंकलर पद्धति के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने से लगभग 200 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ी इससे फसल उत्पादकता में 10–15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- स्प्रे मशीन के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया जिससे किसानों को अपनी फसल को कीड़ों से बचाने, समय की बचत करने एवं जल विलेय उर्वरकों के प्रयोग में सहायता हुई।
- परियोजना क्षेत्र में पहली बार 5 एकड़ में टमाटर की स्टेकिंग विधि खेती करायी गयी जिससे फल की गुणवत्ता अच्छी हुई एवं अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ।

- 46 quintals seed of Moong variety SML-668 and MH-421 has been provided to 318 farmers for encouraging the green manure in 230 hectare area in 8 villages.
- 100 HDPE Sprinkler sets (Make Jain Irrigation System Limited) have been provided to 100 farmers for saving the water and reducing the irrigation Cost.
- 750 CIP Kits of Mustard (variety-HM Super-222 & 45 S 42, Bajra (Variety-86M84), Zinc, Sulphur, 18:18:18, 0:0:50, Bio NPK, Sagarika and 17:44:0) have been provided to 750 farmers.
- Introduced New Crops i.e. 04 Kg. seed of Isbagol (variety-Selection-1), 1020 Kg. seed of Barley (Variety-BH-946), 100 Kg. seed of Dollar Chana, 2010 Kg. seed of Masoor (Variety-KLS-218), 100 Kg. seed of Ground nut (variety-G-10) and 8 Kg. seed of Moth (variety-RMO-257) have been provided to 61 farmers on 106 acre area.
- Under Promotion of Biofertiliser, WSF and Sagarika, 300 kits of IFFCO products have been provided to 100 farmers for demonstration on 300 acre area in ten villages. Each CIP kit contains 18:18:18 (1Kg.), 17:44:0 (1Kg.), 0:0:50 (1Kg.) and Sagarika (500ml).
- Under Fodder Development, 100 kg seed of Sorghum Sudan Grass (SSG), 300 kg seed of Barseem, 50 kg seed of Rijka (Lucern), 50 kg seed of Kasani and 250 kg seed of Jai have been provided to 112 farmers for 122 acre area.
- 03 Field days have been organized, in which, 154 farmers were participated. The participants visited the demonstration trial of Til , Sweet Potato and Mustard crops. They observed the excellent result of Sagarika and Water Soluble fertilizers of IFFCO on the crops.
- 100 Aspee Electro Battery Operated Sprayers (Modal-AEL001/8AHBR, Tank Capacity-16 Litre) have been provided to 100 farmers of 11 villages for protecting the crops from insects & diseases.
- One pond has been renovated which is helping in the charging the nearby wells.

Impact

- Average yield of Mustard in the area increased from 21 Quintal per hectare to 25 Quintal per Hectare (Increased 19%). Similarly, the average yield of Wheat increased from 47 Quintal per hectare to 55 Quintal per Hectare (increased 17%)
- Due to use of WSF & Sagarika, average yield of Sweet Potato increased from 22 quintal per hectare to 26 quintal per hectare (increased 15.2%).
- New Crops, Barley, Lentil, Moth, Isbagol, Dollar Chana and Groundnut were introduced in the project area resulted in to increase in crop diversification. Now, the farmers have more crops in their basket for cultivation.
- Utilization of Sprinkler Systems by the farmers helped in increased about 200 Acre additional area under irrigation consequently, the crop productivity enhanced 10-15%.
- Utilization of Sprayer Machines by the farmers helped in protected the crops from insects, save time and easy in Water Soluble Fertilizers on their Crops.
- First time in project area introduced stacking method in tomato crop in 5 acre area which helped in improve fruit quality and also yielded more crops.

बीज एवं अन्य कृषि आदान

(अ) बीज

(i) उत्पादन

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि–जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह कार्य करने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारे देश में अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी, बढ़ती हुई जनसंख्या व कृषि उत्पादन की गति को देखते हुए इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बीजों को ही प्रयोग में ले रहे हैं। फसल की अधिक उपज हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है।

राज्य विपणन प्रबंधक, इफको, लखनऊ गेहूँ बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का अवलोकन करते हुए

SEED & Other Agri-Inputs

(A) SEED

(I) Production

Seed is the critical determinant of agricultural production on which depends the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15% – 20% depending upon the crop and further up to 45% with efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a one time affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops befitting to the needs of the farmers and efficient system of production and supply of seeds to farmers.

It has become evident that in order to achieve the food security in future for growing population, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. This would require a major increase in the production of quality seed. Although, the growth of Seed sector in India is remarkable but still there are areas where endeavours required to be made to cope up with the pace of increase in population and agriculture production.

Many of the farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to use the Farm Saved Seeds (FSS) generation after generation. For a good crop harvest, availability of quality seeds is a prerequisite.

Dr. S.S. Tomar, Additional Commissioner (Crops) visiting Gram Seed Production Fields at Akkasar, Bikaner

इस समस्या के समाधन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसान केन्द्रित बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को 'बीज उत्पादक समूहों' (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है।

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे, उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादक समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत, विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति तथा बीज उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में योगदान किया।

संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. को पाँच केन्द्रीय बीज उत्पादक

बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, उदयपुर, राजस्थान में उड़द की फसल

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme. Seed is being produced on farmer's fields under technical supervision of IFFDC and the State Seed Certification Agencies (SSCA). Interested farmers fulfilling the criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are built for seed quality control alongwith technical aspects of seed production. The seed is then processed either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants under its supervision as per the "Seed Certification Standards". After certification by the SSCA, the seed is being marketed to the farmers through the existing cooperative network.

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Maharashtra, Karnataka, Bihar, West Bengal and Himachal Pradesh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity.

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, IFFDC is focusing on formation of Seed Growers Groups (SGG) for effective communication with the farmers, helps in capacity building and also ensure quality seed production. These SGGs are being nurtured through regular meetings, training and other awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc. Wider publicity of IFFDC seeds is being undertaken through organising various activities. IFFDC also contributed towards doubling the farmers income by providing quality seeds and also providing incentives to the seed grower farmers.

Linkages Development

IFFDC has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed and also with the State Seed Certification Agencies for

Wheat Crop ready for harvest at Seed Production Field, Kota, Rajasthan

एजेंसियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम योजनाओं के अंतर्गत अपनी सेवायें प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से प्रजनक बीज खरीद, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण एवं मिनीकिट वितरण पर केंद्रित है।

बीज ग्रेडिंग इकाई एवं गोदाम

उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन एवं किसानों तक बीज पहुँचाने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. क्रियान्वयन क्षेत्र में नए बीज प्रसंस्करण संयंत्रों एवं वैज्ञानिक भंडारण की स्थापना की प्रक्रिया में है। इसकी ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश), चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश), रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब), दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) एवं कोटा (राजस्थान) पाँच प्रसंस्करण इकाईयाँ हैं, जिनमें वैज्ञानिक भंडारण भी किया गया है।

वर्ष के दौरान प्रगति

उत्पादन

- खरीफ 2018 के दौरान कुल 8,746 क्विंटल प्रमाणित बीज (3,195 क्विंटल धान, 1,282 क्विंटल सोयाबीन, 3,250 क्विंटल मूँग, 901 क्विंटल उड़द, 102 क्विंटल ग्वार एवं 16 क्विंटल तिल) का उत्पादन किया गया जो कि खरीफ 2019 में विपणन के लिये उपलब्ध हो जायेगा।
- रबी 2018–19 के दौरान लगभग 3.74 लाख क्विंटल उत्पादित प्रमाणित बीज (3.55 लाख क्विंटल गेहूँ, 11,623 क्विंटल चना, 6,300 क्विंटल जौ, 1,074 क्विंटल सरसों, 41 क्विंटल मटर एवं 25 क्विंटल बरसीम) रबी 2019–20 में विपणन के लिए उपलब्ध होगा।
- इसी प्रकार, लगभग 7,117 क्विंटल आधार बीज (5,837 क्विंटल गेहूँ, 830 क्विंटल चना एवं 450 क्विंटल जौ) आई.एफ.एफ. डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

(ii) विपणन

- खरीफ 2018 के दौरान, कुल 8,751 क्विंटल (1,332 क्विंटल धान, 2,097 क्विंटल सोयाबीन, 2,091 क्विंटल मूँग, 501 क्विंटल संकर धान, 415 क्विंटल संकर बाजरा, 366 क्विंटल संकर मक्का, 892 क्विंटल सुडान सोरगम घास, 875 क्विंटल उड़द, 167 क्विंटल जूट एवं 15 क्विंटल प्याज) बीज की बिक्री किसानों को सहकारिता नेटवर्क के माध्यम से की गई है।
- रबी 2018–19 के दौरान कुल 4.0 लाख क्विंटल (3.82 लाख क्विंटल गेहूँ, 1,142 क्विंटल जौ, 15,378 क्विंटल चना, 138 क्विंटल मसूर, 846 क्विंटल सरसों, 99 क्विंटल जीरा एवं 76 क्विंटल संकर सरसों) बीज को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।
- रबी 2018–19 के दौरान कुल 84 किग्रा (15 किग्रा मक्का, 14 किग्रा भिंडी, 13 किग्रा लौकी, 8 किग्रा तोरई, 8 किग्रा मूली, 8 किग्रा गाजर, 5 किग्रा करेला, 3 किग्रा कद्दू, 3 किग्रा टमाटर, 2 किग्रा मिर्च, 2 किग्रा खीरा, 1 किग्रा पत्ता गोभी, 1 किग्रा स्क्वॉश एवं 1 किग्रा फूल गोभी) सब्जी बीज को इंडियन कोआपरेटिव डिजिटल प्लेटफार्म, आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचाइजियों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।
- वर्ष 2018–19 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम में आठ फसलों की दस नई किस्मों को जोड़ा गया है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान, बीज उत्पादन में वर्ष 2009–10 के स्तर में 8.0 गुना की वृद्धि हुई है।

बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार–प्रसार

- वर्ष 2018–19 के दौरान, कुल 100 सदस्यों के साथ 8 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। मृदा परीक्षण के लिए कुल 738 मिट्टी के नमूनों को किसानों के खेतों से एकत्रित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण कराया गया तथा उसके अनुसार, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग सुनिश्चित किया गया। 390 किसान प्रतिभागियों के साथ 26 बीज उत्पादक समूहों की बैठकों का आयोजन भी किया गया।
- कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में 3 भ्रमणों और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में 4 भ्रमणों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 60 उत्पादक सदस्यों को आई.के.एस.एल. के मूल्यवर्धित संदेश सेवाओं की नियमित जानकारियों से जोड़ा गया जिसके माध्यम से उन्हें फसल एवं बीज उत्पादन की उन्नत तकनीकियों एवं पद्धतियों की जानकारी प्रदान की गयी।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज के प्रचार–प्रसार के लिए, 9 किसान–दिवसों, 4 फसल संगोष्ठियों, 32 विशेष बिक्री अभियानों, 60 ट्रैक्टर ट्राली पेंन्टिंग एवं 9,486 वर्ग फीट क्षेत्र पर दीवाल पेन्टिंग कराई गयी तथा 7 किसान मेलों में प्रदर्शनियों का आयोजन तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड व बैनर आदि लगाये गये।

getting Certification of the IFFDC produced seeds. IFFDC has also been recognised as one of the five central seed producing agencies. As a central seed producing agency IFFDC is delivering its services under different schemes of National Food Security Mission (NFSM) - Pulses & Oilseeds, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Govt. of India, New Delhi. These scheme are mainly focused on procurement of Breeder seeds, production of foundation and certified seed and minikit distribution.

Seed Grading Units & Godown

For quality seed production and timely supply at the doorsteps of the farmers, the IFFDC is in the process of setting up new Seed Processing Plants and Scientific storages in the area of operation. It's five Seed Processing Units at Takha, Etawah (Uttar Pradesh), Chapartala (Dist. Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh), Rampura Phul, Bhatinda (Punjab), Durjanpur, Hisar (Haryana) and Kota (Rajasthan) have been developed alongwith scientific storage.

Progress during the year

Production

- During Kharif 2018, total 8,746 qtls certified seeds (3,195 qtls Paddy, 1,282 qtls Soybean, 3,250 qtls Moong, 901 qtls Urd, 102 qtls Guar and 16 qtls Sesame) have been produced, the same will be available for marketing during Kharif 2019.
- During Rabi 2018-19, approximately 3.74 lakh qtls Certified Seeds (3.55 lakh qtls Wheat, 11,623 qtls Gram, 6,300 qtls Barley, 1,074 qtls Mustard, 41 qtls Pea and 25 qtls Berseem) produced will be available for marketing during Rabi 2019-20.
- Similarly, approximately 7,117 qtls Foundation Seed (5,837 qtls Wheat, 830 qtls Gram and 450 qtls Barley) has been produced by IFFDC for further multiplication.

(ii) Marketing

- During Kharif 2018, total 8,751 qtls seeds (1,332 qtls Paddy, 2,097 qtls Soybean, 2,091 qtls Moong, 501qtls Hybrid Paddy, 415 qtls Hybrid Bajra, 366 qtls Hybrid Maize, 892 qtls Sudan Sorghum Grass, 875 qtls Urd, 167 qtls Jute and 15 qtls Onion) has been sold to the farmers through cooperative network.
- During Rabi 2018-19, total 4.00 lakh qtls (3.82 qtls lakh Wheat, 1,142 qtls Barley, 15,378 qtls Gram, 138 qtls Lentil, 846 qtls Mustard, 99 qtls Cumin and 76 qtls Hybrid Musard) seeds have been sold to the farmers through cooperative network.
- During Rabi 2018-19, total 84 kg (15 Kg Sweet Corn, 14 kg Okra,13 kg Bottle Gourd, 8 kg Sponge Gourd, 8 kg Radish, 8 Kg Carrot, 5 kg Bitter Gourd, 3 kg Pumpkin, 3 kg Tomato, 2 kg Hot Pepper, 2 kg Cucumber, 1 kg Cabbage, 1 kg Squash and 1 kg Cauliflower) vegetable seeds have been sold to the Indian Cooperative Digital Platform, IFFDC KSKs and through cooperative network.
- Ten new varieties of eight crops have been added in the Seed Production Programme during the year 2018-19.
- The growth in seed production during the year 2018-19 is 8 times more than 2009-10 level.

Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- 8 Seed Grower Groups with 100 members have been formed during 2018-19. 738 soil samples collected from farmers' fields have been analysed through soil testing laboratories and balanced fertilisers application accordingly ensured. 26 meetings of SGGs with participation of 380 farmers have also been organized.
- 3 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 4 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production. Moreover, 60 member growers have been linked with IKSL's value added messaging services and are benefitted through regular information about need based improved packages and practices of crop/seed production.
- Wider publicity of IFFDC Seed has been undertaken through organising 9 Field-days, 4 Crop Seminars, 32 Special Sales Campaigns, 9,486 Sq. Ft. Wall Paintings & 60 Tractor Trolley Paintings, participating in 7 Exhibition Stalls in Farmers Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

(ब) उर्वरक एवं कृषि रसायन

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र आदि) द्वारा दूरदराज के किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

प्रगति

वर्ष के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा निम्न बिक्री माध्यमों से कृषकों को 14.35 लाख मैट्रिक टन इफको उर्वरकों का विपणन किया गया।

कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में 14 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा उच्च उत्पादन किस्म बीज, इफको उर्वरक और जैव उर्वरकों की आपूर्ति के साथ–साथ कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 18,363 मैट्रिक टन इफको खाद (12,580 मैट्रिक टन यूरिया, 1,596 मैट्रिक टन एन.पी.के., 4,155 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी., 26 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और 6 मैट्रिक टन अन्य खाद) 8,726 क्विं. गेहूँ एवं धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति किसानों को इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी।

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति तन्त्र

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 40 समितियों ने 4,621 मैट्रिक टन इफको उर्वरक जिसमें 3,341 मैट्रिक टन यूरिया, 258 मैट्रिक टन एन.पी.के., 1,020 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी., 2 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और विभिन्न फसलों के 4,506 क्विं. गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति की गयी।

कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। देश भर में संचालित इस प्रकार के 7,182 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 14,12,335 मैट्रिक टन इफको उर्वरक जिसमें 9,29,895 मैट्रिक टन यूरिया, 2,38,060 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी. 2,39,793 मैट्रिक टन एन.पी.के., 2,038 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक, 2,549 मैट्रिक टन अन्य खाद तथा गेहूँ, धान, मूँग, संकर धान, संकर बाजरा, सरसों, जौ, संकर सरसों, संकर मक्का, सुडान सोरगम घास, चना एवं जीरा के 1,42,404 क्विं. गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई। वर्ष 2018–19 के दौरान 877 फ्रेंचायजी बनाये गये।

कृषक सेवा केन्द्र, सलोन, रायबरेली (उ.प्र.) का एक दृश्य

(B) FERTILISERS & AGRO-CHEMICALS

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Centers, PFFCS Network, Krishak Seva Kendra etc).

PROGRESS

During the year, 14.35 lakh MT IFFCO Fertilisers has been marketed by IFFDC through following channels :

Agro-Forestry Service Centers

The IFFDC is operating 14 Agro-Forestry Service Centers (AFSC) in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and West Bengal. These AFSCs are providing inputs like, HYV seed, IFFCO fertilisers, bio-fertilisers and IFFCO-MC Agro-Chemicals alongwith technical guidance to farmers. During the year, 18,363 MT IFFCO fertilisers (12,580 MT Urea, 1,596 MT NPK, 4,155 MT DAP/NP, 26 MT WSF, 6 MT other fertiliser), 8726 qtls Certified Seeds of Wheat and Paddy etc have been supplied to the farmers through these AFSCs.

PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertilisers and other Agri-inputs for economic self-sufficiency. 40 PFFCS have marketed 4,621 MT IFFCO fertilisers comprising of 3,341 MT Urea, 258 MT NPK, 1,020 MT DAP/NP, 2 MT WSF and also 4,506 qtls of quality seeds of various crops.

Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamilnadu, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Chhatisgarh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra especially in the areas / districts where cooperative societies are weak. 7182 such Centers operating in all over India supplied 14,12,335 MT of IFFCO fertiliser i.e. 9,29,895 MT Urea, 2,38,060 MT DAP/NP and 2,39,793 MT NPK, 2038 MT WSF, 2549 MT other fertilisers and 1,42,404 qtls of quality seeds of Wheat, Paddy, Moong, Hybrid Paddy, Hybrid Bajra, Mustard, Barley, Hybrid Mustard, Hybrid Maize, Sudan Sorghum Grass, Gram and Cumin etc has been marketed. 877 Franchisee has been added during 2018-19.

Shri G.P. Tripathi, Chairman, IFFDC addressing the farmers on the occasion of Seed Production and Rabi Seed Security Seminar

मानव संसाधन विकास

प्रारम्भ से ही आई.एफ.एफ.डी.सी. में प्रोफेशनल को सभी स्तरों पर पर्याप्त अवसर दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को आई.एफ.एफ.डी.सी. में कर्मचारियों की कुल संख्या 283 है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रेरित तथा समर्पित मानव पूँजी के पोषण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रगतिशील, समग्र और स्थाई दृष्टिकोण को अपनाया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने कर्मचारियों की प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए आवश्यकता आधारित विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया है। वर्ष के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 28 आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित कीं जिसमें कुल 712 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनका कुल प्रशिक्षण मानव दिवस 1597 रहा। इस प्रकार औसतन 2.52 प्रशिक्षण प्रति कर्मचारी को दिए गए। प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

परियोजना सम्बन्धी प्रशिक्षण

- बंजर भूमि पर बाँस वृक्षारोपण की उन्नत तकनीकी पर एक प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) में आयोजित किया गया जिसमें वानिकी समितियों के 41 सदस्यों ने भाग लिया।
- वानिकी समितियों के लिए एक प्रशिक्षण वृक्ष कटाई की तकनीकी, मूल्यवर्धन, विपणन एवं इससे संबंधित नियम एवं कानून पर एफ.एम.डी.आई., गुड़गाँव में आयोजित किया गया जिसमें 37 सदस्यों ने भाग लिया।
- सी.एस.आर. परियोजना निर्माण के लिए कोष जुटाना पर एक प्रशिक्षण का आयोजन एफ.एम.डी.आई., गुड़गाँव में किया गया जिसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- नीम की उन्नत नर्सरी लगाने की तकनीकी पर एक प्रशिक्षण का आयोजन हरखूमऊ वानिकी समिति, अमेठी (उ.प्र.) में किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों की वानिकी समितियों से 35 सदस्यों ने भागीदारी की।
- वानिकी समितियों के अध्यक्षों, निदेशकों के लिए "नेतृत्व विकास" पर 3 प्रशिक्षणों का आयोजन आर.आई.सी.एम., चंडीगढ़ एवं एन.सी.सी.ई., नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 104 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "टिश्यू कल्चर लैब प्रक्रिया एवं कल्चर तैयार करने" हेतु एक प्रशिक्षण स्प्रिंगलीफ बायोटेक, नोयडा (उ.प्र.) में आयोजित किया गया जिसमें आई.एफ.एफ.डी.सी. के 2 स्टॉफ को प्रशिक्षित किया गया।
- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में "मिलिया प्रजातियों की नर्सरी तैयार करने की तकनीकी" पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें वानिकी समितियों के 28 सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- परियोजना कार्यालयों के स्टॉफ हेतु एक प्रशिक्षण "परियोजना का निर्माण व प्रबंधन" पर सी.आई.ए.ई., भोपाल (म.प्र.) में आयोजित किया गया जिसमें 25 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- सचल मृदा परीक्षण वाहन के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण "मृदा एवं पौध पोषक तत्व" पर राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर में आयोजित किया गया जिसमें 7 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बीज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण

- "बीज गुणवत्ता नियंत्रण" पर दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "बीज उत्पादन तकनीकियाँ, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं पैकिंग" पर तीन प्रशिक्षणों का आयोजन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, कृषि महाविद्यालय उदयपुर व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किया गया जिसमें 80 संभागियों ने प्रतिभाग किया।
- "बीज कम्प्यूटरीकरण" पर 5 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "कृषि वानिकी सेवा केंद्र के स्टॉफ के लिए बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज" पर टॉपिक, गुड़गाँव में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

Human Resource Development

Since inception, IFFDC has been providing great opportunities to the professionals at all levels. There are total 283 employees as on 31st March, 2019. IFFDC has adopted a forward looking, people centric approach for nurturing and developing motivated and committed human capital with an aim to achieve the goals of IFFDC. It places major emphasis on capacity building through need-based and specialised training of its staff for effective functioning. During the year, IFFDC organised 28 need based trainings and workshops in which 712 participants were imparted capacity building inputs which comes total 1587 training mandays. Thus, on an average 2.52 trainings per employee were imparted. The details of trainings & workshop organised during the year are as follows :

Project related trainings

- A training on "Plantation Raising Technology of Bamboo in Wasteland" was organized at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.), in which 41 members of PFFCS were participated.
- A training on "Tree Harvesting Techniques, Value Addition, Marketing & its Pertaining Laws & Act" was organized at FMDI, Gurgaon, in which 37 participants from different PFFCS were participated.
- A training on "Fund Raising for CSR Project Development" was organized at FMDI, Gurgaon, in which 29 Field Staff from Project Offices were participated.
- A training on "Neem Nursery Raising Techniques" was organized at PFFCS, Harkhumau, Amethi (U.P.) in which, 35 members of PFFCS from different States were participated.
- Three trainings on " Leadership Development for PFFCS Chairmen/Directors were organized at RICM, Chandigarh & NCCE, New Delhi, in which 104 participants were participated.
- A training on "Tissue Culture Lab Procedures & Culture Preparation" was organized at Springleaf Biotech, Noida (U.P.), in which 2 Staff of IFFDC were participated.
- A training on "Nursery Raising Technology with Special Reference to Melia Species" was organized at Forest Research Institute, Dehradun, in which 28 participants were participated.
- A training on "Project Formulation & Management " was organized at CIAE, Bhopal (M.P.), in which 25 Staff from Project Offices were participated.
- A training on "Soil & Plant Nutrients was organized at RCA, Udaipur, in which 7 MSTV Staff were participated.

Seed related trainings

- A training on "Seed Quality Control" was organized at Deen Dayal Upadhyaya Rajya Gramya Vikas Sansthan (DDUSIRD), Lucknow, in which 21 participants were participated.
- Three trainings on "seed Production Technologies, Storage, Processing & Packing of Seed were organized in Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur, Agricultural University, Udaipur & HAU Hisar, in which, total 80 participants were participated.
- Five trainings on "Seed Computerization were organized, in which 66 participants were participated.
- A training on "Basic Computer Knowledge for AFSC Staff" was organized at Topic, Gurgaon, in which 14 participants were participated.

लेखा संबंधित कार्यक्रम

- बजट, कर–जी.एस.टी. पर दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 84 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "विक्रय एवं देनदार प्रणाली" पर एफ.एम.डी.आई., गुड़गाँव में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया इसमें 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

व्यवहारिक कार्यक्रम

- "तनाव परिवर्तन व जोखिम प्रबंधन" पर ब्रम्हकुमारी अकादमी, माउंट आबू में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कार्य संस्कृति, कार्य आचार एवं कार्य जीवन संतुलन ब्रम्हकुमारी अकादमी, मानेसर में दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एफ.एम.डी.आई., गुड़गाँव में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया इसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अन्य कार्यक्रम

- बजट निर्माण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 2019–20 का संस्था का बजट तैयार किया गया।

विशेष अवसर

श्री आदित्य नाथ योगी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने 07 अप्रैल, 2018 को इलाहाबाद में गंगा हरीतिमा में योगदान करने हेतु, साई नदी के निकट वानिकी विकास का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, श्री विजय बहादुर सिंह, निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं अध्यक्ष, मलिकमऊ प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समिति (उ.प्र.) को "गंगा सेवक" के रूप में सम्मानित किया।

Accounts related programme

- Two trainings on "Budget, Taxation- GST were organized, in which 84 participants were participated.
- A training on "Sales and debtors System "was organized at FMDI, Gurgaon, in which 28 participants were participated.

Behavioural Programmes

- A training on "Strees Change & Risk Management was organized at Brahma Kumaris Academy at Mount Abu, in which 32 participants were participated.
- Two trainings on "Work Culture, Work Ethics & Work Life Balance" were organized at Brahma Kumaris Academy at Maneswar, in which 56 participants were participated.
- A training on "Neuro Linguistic was organized at FMDI, Gurgaon, in which 23 participants were participated.

Other Programme

- A workshop on Budget preparation was also organised in which Organisational Budget for 2019-20 was prepared.

Special Occasion

Dr. U.S. Awasthi, Managing Director, IFFCO observing IFFDC Exhibition on the occasion of IFFDC 25th Annual General Meeting

प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कई महत्वपूर्ण अनुभव व सीख प्राप्त कीं जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र की अन्य संस्थाओं, भागीदारों व अन्य सहयोगियों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। इन अनुभवों व सीखों का आदान–प्रदान करने तथा प्रभाव व जुड़ाव का एक दायरा विकसित करने के लिए प्रचार–प्रसार के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गये:–

- इफको की 47वीं वार्षिक आम सभा में आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी लगायी गयी। श्री बी.एस. नकई, अध्यक्ष, इफको एवं डॉ. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको ने आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी का भ्रमण किया तथा किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और देश के गरीब ग्रामीण समुदाय के लाभ हेतु इसका वृहद् स्तर पर प्रसार करने के लिए उत्साहित किया। 600 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें इफको निदेशक, प्रतिनिधि तथा युवा प्रबन्धक शामिल थे, ने आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रदर्शनी का भ्रमण किया।
- पूसा, नई दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेला में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसका विभिन्न राज्यों से आये लगभग 1600 किसानों अवलोकन किया।
- राष्ट्रपति भवन आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अंगीकृत गांव ताजनगर, गुड़गाँव (हरियाणा) में आयोजित "मधुमक्खी पालन व वृक्षारोपण संगोष्ठी" के अवसर पर आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई जिसका उद्घाटन श्री जलज श्रीवास्तव, आई.ए.एस., अतिरिक्त सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किया। इस प्रदर्शनी का आसपास के गांवों से आये लगभग 600 किसानों ने अवलोकन किया।
- राष्ट्रीय दूरदर्शन, डी.डी. किसान चैनलों व आकाशवाणी द्वारा समय–समय पर आई.एफ.एफ.डी.सी. गतिविधियों का प्रसारण किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. ने बीज के विपणन हेतु अपना ध्यान सहकारी विपणन तन्त्र पर केंद्रित किया है। विपणन चैनल को मजबूत बनाने हेतु 9,486 वर्ग फीट दीवार पेन्टिंग एवं 60 ट्रैक्टर ट्राली पेन्टिंग एवं साहित्य वितरण आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष के दौरान 7 मेला/प्रदर्शनी विभिन्न राज्यों में लगायी गयीं, जिससे संस्था द्वारा संचालित की जा रही सामाजिक गतिविधियों एवं बीज व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गयी।

इफको की 47वीं वार्षिक आमसभा के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको

Publicity Activities

In the process of implementing various interventions in its selected thematic areas, IFFDC has gained valuable experiences and lessons, which can be replicated by other partners and stakeholders. To share/disseminate such experiences and learning, and also to develop a circle of influence and networking, the following steps have been taken under publicity component:

- During the 47th IFFCO Annual General Meeting an exhibition of IFFDC was laid. Shri B.S. Nakai, Chairman, IFFCO and Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO visited the IFFDC exhibition stall and appreciated the efforts being made and encouraged their dissemination on a large scale for the benefit of the poor rural community of the country. About 600 participants including IFFCO Directors, Delegates and young managers visited IFFDC's stall.
- An exhibition stall of IFFDC in "Krishi Unnati Mela" at Pusa, New Delhi was undertaken which observed by 1600 farmers from different states.
- Shri Jalaj Shrivastava, IAS, Additional Secretary, Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Deptt., Govt. of India inaugurated the IFFDC Stall laid at village Tajnagar, Distt. Gurgaon (Haryana) under Rashtrapati Bhawan Smart Gram Yojana during "Plantation & Beekeeping Seminar" which was visited by 600 farmers from nearby villages.
- IFFDC activities were Broadcast time to time on National television like Doordarshan, DD Kisan Channel and also by All totally to 100 minutes.
- IFFDC has focused on Cooperative Marketing Channel for Seed Marketing. To strengthen Marketing Channel, 9,486 Sq. Ft. Wall Paintings and 60 Tractor Trolley Paintings and literature have been distributed for publicity.
- During the Year, IFFDC Organised 7 exhibitions in different states in which social activities and seed business activities of the organisation was explained.

Shri Jalaj Shrivastava, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Cooperation & Family Welfare, Govt. of India addressing the participants on the occasion of World Bee Day 2018 Celebration

आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन विशेषतः डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इफको का अभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून, इफाड, लघु कृषक व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर; मित्सुई इंडिया एण्ड क. प्रा. लि.; राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारतीय बाँस स्त्रोत व तकनीकी केन्द्र (सिबार्ट), बी–पॉजिटिव कं. प्रा. लि., मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लिमि., परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि. तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों (राजस्थान और मध्य प्रदेश) के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में निरन्तर आर्थिक सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला। हम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संस्था के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को दिया।

निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी और उनकी टीम को उनके द्वारा समिति के विकास के प्रति समर्पित भाव के लिए हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान), नरेद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) तथा नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया (निफी) के प्रति विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रदत्त सहयोग एवं आवश्यक सहायता के लिए आपका निदेशक मण्डल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन, नई दिल्ली, राज्य कृषि विभागों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों, कार्यक्रमों व परियोजना प्रभावों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए दिये गये सहयोग हेतु मीडिया विशेषतौर पर डी.डी. नेशनल, डी.डी. किसान चैनल व ऑल इंडिया रेडियो का भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(गुरू प्रसाद त्रिपाठी)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

Acknowledgements

The Board of Directors wishes to deep gratitude for the dedicated efforts made by the employees of the Society at all levels during the year. Their committed efforts and hard work have made such encouraging results and achievements by the Society possible.

Your Directors wish to acknowledge continued financial support and valuable guidance extended by IFFCO Board and Management, particularly by Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO, who has been the guiding and motivating spirit in the growth of IFFDC to high levels. We also thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd., Uttarakhand Gramin Vikas Samiti, Dehradun, IFAD, Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC), RUDA, Jaipur, Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., National Bee Board, Center for National Bamboo Resource & Technology (CIBART), Bee Positive Co. Pvt. Ltd., Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., Paridyam Healthcare Pvt. Ltd. and State Governments of Rajasthan, Uttarakhandand Madhya Pradesh for their support in the implementation of project activities. We also express gratitude to the Ministry of Rural Development (GoI) for reposing confidence in the organisation and assigning IFFDC the most prestigious task of monitoring centrally sponsored schemes and programmes being undertaken in various states.

The Board of Directors also wishes to express hearty congratulations to the Chief Executive and his team for their dedicated commitment to the betterment of society.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by various Research Institutes and Agriculture Universities, especially by Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.), Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana) and also the National Innovation Foundation - India (NIFI).

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the National Food Security Mission, National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), New Delhi, various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

The Board of Directors is thankfull to the Media specially the D.D. National, D.D. Kisan Channel and All India Radio for providing support in wider publicity of the activities, programmes and project's impact of IFFDC.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to the Member Societies for their continued support and for reposing trust in the management of the Society.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and On Behalf of the Board of Directors

(Guru Prasad Tripathi)
Chairman, IFFDC

पुरस्कार तथा सम्मान

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड को एक संस्था के रूप में निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है :

1. पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड 2015 हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए कारपोरेट कैटेगरी के तहत आई.एफ.एफ.डी.सी. को चयनित किया गया।
2. गरीब आदिवासी समुदाय की चिरन्तर आजीविका विकास के लिये उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में आजीविका विकास क्षेत्र में 'टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड' 2 अक्टूबर 2011 को माननीय डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया गया।
3. डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव (डी.ए.आर.ई.) एवं महानिदेशक आई.सी.ए.आर., डॉ. बंगाली बाबू राष्ट्रीय निदेशक एन.ए.आई.पी. नई दिल्ली एवं डॉ. ओ.पी. गिल कुलपति एम.पी.यु.ए.टी. उदयपुर द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी., उदयपुर को ग्रामीण गरीब समुदाय के लिए सुस्थिर आजीविका सुरक्षा में शोध के लिए किए गए विशेष योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।
4. आई.एफ.एफ.डी.सी. को मनरेगा जलग्रहण परियोजना, श्योपुर में उत्तम कार्य के लिए जिलाधीश तथा एम.एल.ए. द्वारा 26 जनवरी, 2011 को सम्मानित किया गया।
5. आई.एफ.एफ.डी.सी. को झांकी प्रदर्शन के लिए श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, मंत्री, आदिवासी विकास, राजस्थान सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2011 को प्रथम पुरस्कार प्रदत्त किया गया।
6. आई.एफ.एफ.डी.सी. को 'हरित राजस्थान कार्यक्रम' के अन्तर्गत उदयपुर संभाग में आदिवासी विकास मंत्री, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय द्वारा 15 अगस्त, 2009 को उत्कृष्ट वानिकी कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
7. एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल (एमिटी यूनीवर्सिटी), नोएडा, ने 5वीं ग्लोबल एच.आर. शिखरवार्ता के अवसर पर सफलता एवं विकास के लिए इसके सुसंगत एवं अथक प्रयासों से अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए "एमिटी एच.आर. वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अवार्ड 2008" प्रदत्त किया गया।
8. एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल (एमिटी यूनीवर्सिटी), नोएडा, ने बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के विशिष्ट योगदान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में योगदान के लिए 'एमिटी कारपोरेट एक्सीलेन्स अवार्ड 2008' प्रदत्त किया गया।
9. अध्यक्ष आई.एफ.एफ.डी.सी. को अर्थ मैटर फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा देश में वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि का विकास करने हेतु 'अर्थ मैटर' अवार्ड प्रदत्त किया गया।
10. 'उत्कृष्ट सामूहिक नागरिकता तथा स्थायित्व' योग्य पहलों हेतु किये गये प्रयासों के लिए टेरी (द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट) द्वारा इसके सामूहिक सामाजिक दायित्व पुरस्कार 2004–05, 2007 तथा 2008 के अन्तर्गत तीन बार प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।
11. देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिये भारतीय व्यापार मंडल, मुंबई द्वारा 'पर्यावरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास पुरस्कार 2002' शीर्षित आई.एम.सी. डायमण्ड जुबली एण्डोवमेण्ट ट्रस्ट अवार्ड प्रदत्त किया गया।
12. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999'। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
13. राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं बारां तथा ओडिशा के जाजपुर जिलों में संचालित आई.आई.आर.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वच्छता तथा समुदाय विकास के उत्कृष्ट कार्यों को जिला व ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया एवं विभिन्न स्तरों पर इनकी प्रशंसा की गई।
14. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, प्रतापगढ़ (राजस्थान) व जाजपुर (ओडीशा) को ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सृजन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्क्रोच अवार्ड–2018 से सम्मानित किया गया।
15. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रोत्साहित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना अल्मोड़ा के अन्तर्गत 6 सहकारी आजीविका समितियों (आजीविका समितियों) एवं 3 उत्पादक समूहों को विभिन्न श्रेणियों जैसे उत्तम व्यापार एवं उत्तम टर्न ओवर आदि के लिए जिला प्रशासन द्वारा 9 पुरस्कार प्रदान किये गये।

Awards and Recognition

The IFFDC has been honoured with several prestigious awards:

1. IFFDC has been selected for the prestigious Social Impact Award 2015 by Times of India in Environment Sector under Corporate Category for its outstanding performance in environment protection and development.
2. The Times of India "Social Impact Award" under the Livelihood category on 2nd October, 2011 in the presence of Hon'ble Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, for its remarkable and excellent work on Sustainable Livelihood Enhancement of the Poor Tribal Community.
3. IFFDC Udaipur has been honoured with "Certificate of Appreciation" by Dr S. Ayyappan, Secretary (DARE) & Director General of ICAR, Dr. Bangali Babu, National Director, NAIP, New Delhi and Dr O. P. Gill, Vice Chancellor of MPUAT, Udaipur for outstanding contribution of IFFDC in Research on Sustainable Livelihood Security of the poor rural community.
4. Excellent work in MGNREGA Watershed, Sheopur by District Collector & M.L.A., Sheopur (Madhya Pradesh) on 26th January, 2011.
5. First Prize for Tableau during Independence Day Celebration at Udaipur (Rajasthan) by Sh. Mahendrajit Singh Malviya, Minister, Tribal Development, Government of Rajasthan on 26th January 2011.
6. Excellent work of Plantation under "Harit Rajasthan Program" in Udaipur Division by Sh. Mahendrajit Singh Malviya, Minister, Tribal Development, Government of Rajasthan on 15th August 2009.
7. "Amity HR Workplace Environment Award 2008" conferred by Amity International Business School (Amity University), Noida on the occasion of 5th Global HR summit for its consistent and inexorable efforts to create a conducive environment yielding success and growth.
8. "Amity Corporate Excellence Award 2008" conferred by Amity International Business School (Amity University), Noida for IFFDC's outstanding contribution for afforestation on wasteland, environment conservation and promoting the growth of rural economy.
9. "Earth Matter Award" conferred on Chairman, IFFDC by Earth Matters Foundation, New Delhi for Integrated Development of Wastelands through afforestation in the country.
10. The "Certificate of Appreciation" of "Corporate Social Responsibility" Award 2004-05, 2007 and 2008 conferred by The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi for efforts made by the IFFDC towards initiatives for Corporate Citizenship and Sustainability.
11. IMC Diamond Jubilee Endowment Trust Award, titled "Environment, Agriculture and Rural Development Award 2002" conferred by Indian Merchants' Chamber, Mumbai for outstanding contribution to the cause of promoting the growth of rural economy in the country.
12. "Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999" conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.
13. The remarkable work of IIRDP Projects, Pratapgarh and Baran in Rajasthan and Jajpur in Odisha for Health and Sanitation and Community Development have been awarded by District and Block Administration and also appreciated at different level.
14. The "IFFCO- Tokio Integrated Rural Development Project" (IIRDP) Pratapgarh (Raj.) and Jajpur (Odisha) implemented by IFFDC was honoured with "SKOCH Award- 2018" for its excellent work of "Livelihood Generation for Rural Women.
15. IFFDC promoted 6 Cooperatives (Livelihood Federations) and 3 Producer Groups under "Integrated Livelihood Support Project" (ILSP) Almora has won 9 Awards under different categories i.e. Best Business & Best turnover etc by District Administration.

सहयोगी संस्थायें

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. इंडिया कनाडा इनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.), कनाडा
4. डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंगडम
5. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
10. रैन–फॉरेस्ट एलाइन्स, न्यूयार्क
11. राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट (इफाड)
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.), नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), नई दिल्ली
14. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
15. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
16. उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड
17. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, नई दिल्ली
18. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
19. इफको किसान संचार लिमिटेड (आई.के.एस.एल.), नई दिल्ली
20. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
21. एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली
22. यस बैंक, नई दिल्ली
23. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), नई दिल्ली
24. भारत–ओमान रिफाइनरी लि., बीना, मध्य प्रदेश
25. ग्रामीण गैर–कृषि विकास एजेंसी (रूडा), जयपुर, राजस्थान
26. मित्सुई इंडिया एण्ड कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
27. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि.
28. बायर बायोसाइंस प्रा. लि.
29. नोंगवू सीड इंडिया प्रा. लि.
30. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारत सरकार
31. भारतीय बाँस स्त्रोत एवं तकनीकी केंद्र, नई दिल्ली
32. बी पॉजिटिव प्रा. लि., नई दिल्ली
33. मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
34. परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि., गुड़गाँव

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर.आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
6. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
7. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए.एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
8. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी.आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
9. राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. संस्थान
10. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
11. गेंहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल, हरियाणा
12. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
14. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

Support Organisations

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. IFFCO-Tokio General Insurance Company Ltd.
3. India Canada Environment Facility (ICEF), Canada.
4. Department for International Development (DFID), United Kingdom (UK).
5. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India
6. Ministry of Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt of India.
7. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
8. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
9. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
10. Rain-forest Alliance, New York.
11. International Fund for Agriculture Development (IFAD) through State Government of Rajasthan.
12. Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), New Delhi.
13. National Afforestation and Eco Development Board (NAEB), New Delhi.
14. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
15. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
16. Uttarakhand Gram Vikas Samiti, Dehradun (Uttarakhand).
17. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
18. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
19. IFFCO Kisan Sanchar Ltd (IKSL), New Delhi.
20. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
21. HDFC Bank, New Delhi.
22. Yes Bank, New Delhi.
23. Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), New Delhi.
24. Bharat-Oman Refinery India Limited, Bina, Madhya Pradesh.
25. Rural Non-Farm Development Agency, Jaipur, Rajasthan.
26. Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., New Delhi
27. Maharashtra State Seed Corporation Ltd.
28. Bayer Bioscience Private Ltd.
29. Nongwoo Seed India Pvt. Ltd.
30. National Bee Board, Govt. of India
31. Centre for Indian Bamboo Resource and Technology, New Delhi
32. Bee Positive Pvt. Ltd., New Delhi
33. Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., New Delhi
34. Paridyam Health Care Pvt. Ltd., Gurgaon

Research Institutes/Universities

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad (AP)
6. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
7. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
8. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
9. State Agriculture Universities and ICAR Institutes.
10. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
11. Directorate of Wheat Research, Karnal (Haryana)
12. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
13. University of Agriculture Sciences, Dharwad (Karnataka)
14. CCS, Haryana Agriculture University, Hisar

वित्त एवं लेखा
Finance & Accounts

Financials Snapshot

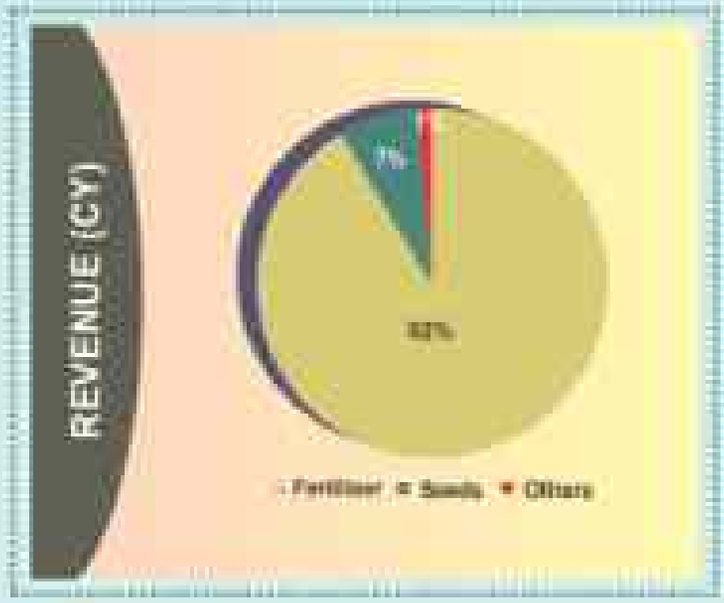

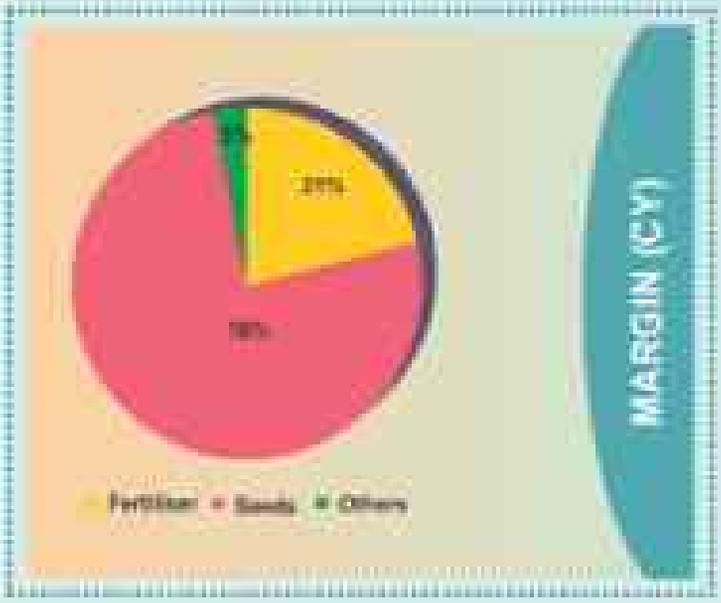

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड के शेयरधारकों को

राय

हमने इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (एक बहुराज्य सहकारी समिति) के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2019 तक का तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनायें दी गई हैं की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये संलग्न वित्तीय विवरण बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) में यथा अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं और भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते है।

हमारी राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत विस्तार से बताया गया है। हम आईएसीआई द्वारा जारी आचार सहिंता के अनुसरण में तथा उन नैतिक अपेक्षाओं जो भारत में वित्तिय विवरणों को लेखापरीक्षा करने के लिये महत्वपूर्ण है, के अनुसार समिति की लेखापरीक्षा करने के लिसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं तथा हमने इन नैतिक अपेक्षाओं व आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा राय के संबंध में समुचित और पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन व प्रबंधन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारी

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरुप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो समिति कह वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिस्पादन और नकदी प्रवाह का उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बंध आंतरिक नियंतत्र का डिजायन, कार्यान्वयन और अनुक्षरण भी शामिल है जो वित्तीय विवरणें का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करें और जो किसी बड़ी गलतबयानी चाहे वह कपट या गलती से हों, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन समिति की लाभकारी संस्था के तौर पर कार्य करने सम्बंधी योग्यता का मूल्यांकन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समिति की कार्यकुशलता से सम्बंधित मामलों के बारे में जानकारी देने और लाभकारी संस्था के आधार पर लेखाकरण करने के लिये जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का समिति का परिसमापन करने या प्रचालनों को रोकने का कोई इरादा नही है अथवा समिति के पास समिति को प्रभावशाली संस्था के तौर पर चलाने के लिये इसके अलावा कोई विकल्प न रहे।

प्रबंधन के लिये जिम्मेदार अधिकारी समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

Independent Auditors' Report

To the Shareholders of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

Opinion

We have audited the financial statements of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (A Multi State Cooperative Society) which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (the Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2019, and profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institiue of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act 2002 (the Act). This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material mis-statement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त करना हैकि पूरे वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई बड़ी गलत जानकारी नही दी गई है, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च आश्वासन है परन्तु इस बात कि गारंटी नही हैं की एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगा लेगी। गलत जानकारियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और यदि इस गलत जानकारी को एकल या पूर्णतः गलत माना जाता है तो ये इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णायों को प्रभावित कर सकती है।

एसएएस के अनुसार कराये जाने वाले लेखापरीक्षा के तहत, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायकि निर्णय देते है और पूरे लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाये रखते हैं हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं–

(क) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में दी गई बड़ी गलत जानकारी के जोखिम को पहचानना और मूल्यांकन करना, इन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करना व लेखापरीक्षा करना और उसका सबूत प्राप्त करना जो हमारे विचारों के लिये पर्याप्त व उचित आधार है। धोखाधड़ी के कारण दी गई बड़ी गलत जानकारी का पता न लगने से होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या जानकारी, या आंतरिक नियंन्त्रण की अनदेखी शामिल हैं।

(ख) लेखापरीक्षा के सम्बंध में आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो विद्यमान परिस्थितियों में उपयुक्त हों परन्तु उनका उद्देश्य समिति के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में विचार व्यक्त करना नही है।

(ग) अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और प्रबंधन द्वारा दी गई इससे सम्बंधित जानकारी का मूल्यांकन करना।

(घ) प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत जिससे किसी घटना या परिस्थिति से सम्बंधित किसी बड़ी अनिश्चितता का पता लगे जिससे समिति की भविश्य में लाभकारी संस्था के रुप में कार्य करने की क्षमता पर संदेह पैदा हो, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रबंधन भविष्य में भी प्रभावशाली रुप से कार्य करने के लिये उपयुक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे लिये लेखारीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित जानकारी की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है या यह निष्कर्ष निकालते है कि ये जानकारियां हमारा विचार बदलने के लिये अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त सबूत पर आधारित है। तथापि, यह हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समिति प्रभावशाली रुप से कार्य करने वाली संस्था न रहें।

Auditors' Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

(b) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of Society's internal control

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

(d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

(ड़) वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, ढ़ांचे और विशय वस्तु तथा जानकारियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेनदेन तथा घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की गई है या नही।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से अन्य मामलों के साथ–साथ सुनियोजित स्कोप, लेखापरीक्षा के समय या लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जों लेखापरीक्षा के समय सामने आती है, के बारे में बात करते है।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को यह बताते है कि हमने स्वतंत्र रुप से, सम्बंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम सभी सम्बंधों व अन्य मामलों पर स्वतंत्र रुप से विचार करते है तथा जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बातचीत करते है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारे विचार से समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसायटीज नियमावली, 2002 के अनुसार यथावश्यक लेखा पुस्तकें समुचित रुप से रखी है, जैसा कि पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा पाए हैं वहां से समुचित रिटर्न्स हमें प्राप्त हो गई है और जो रिटर्न्स लेखापरीक्षा के हमारे प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) इस रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण अर्थात तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b. In our opinion proper books of account as specified in the Multi State Cooperative Societies Rules, 2002 have been kept by the Society so far as appears from our examination of those books, and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us:

c. The financial statements i.e. the Balance sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

कृते ओसवाल सुनील एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.:016520एन
For OSWAL SUNIL & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.N. : 016520N

(सी.ए. सुनील भंसाली)
साझेदार
(CA Sunil Bhansali)
PARTNER
M.No. 054645

Place : New Delhi
Date : 30.05.2019

तुलन–पत्र मार्च 31, 2019 को
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2019

(Amount in ₹)

		टिप्पण संख्या/Note No.	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
इक्विटी तथा देयताएं	**EQUITY AND LIABILITIES**			
शेयरधारकों की निधियां	**Shareholder's Funds**			
शेयर पूंजी	Share Capital	1	132,666,000	132,666,000
आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	Reserves and Surplus	2	272,296,828	221,777,896
गैर–चालू देयताएं	**Non-current Liabilities**			
दीर्घावधिक ऋण	Long-Term Borrowings	3	30,593,446	10,336,588
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	Deferred Tax Liabilities (Net)		10,965,800	6,310,702
दीर्घावधिक प्रावधान	LongTterm Provisions	4	6,152,098	6,165,357
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
अल्पावधिक ऋण	Short-Term Borrowings	5	25,000,000	420,000,000
व्यापारिक देयताएं	Trade Payables			
– बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम	- Outstanding due to Micro & Small Enterprises		-	-
– बकाया अन्य	- Outstanding due to Others		2,089,196,674	3,288,781,584
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	6	389,738,659	331,292,273
अल्पावधिक प्रावधान	Short-Term Provisions	7	4,927,196	80,522
योग	**Total**		**2,961,536,701**	**4,417,410,922**
परिसम्पत्तियां	**ASSETS**			
गैर–चालू परिसम्पत्तियां	Non-current Assets			
सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण	Property, Plant and Equipment			
– मूर्त परिसम्पत्तियां	- Tangible Assets	8	253,049,701	244,409,185
गैर–चालू निवेश	Non Current Investment	9	41,349,000	31,100,000
दीर्घावधिक ऋण व अग्रिम	Long-Term Loans and Advances	10	1,927,220	3,108,451
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assets**			
मालसूचियां	Inventories	11	128,562,524	860,182,415
व्यापार प्राप्य	Trade Receivables	12	2,157,906,006	2,626,174,293
नकदी तथा बैंकों में शेष	Cash and Bank Balances	13	144,619,251	436,297,839
अल्पावधिक ऋण व अग्रिम	Short-Term Loans and Advances	14	234,122,999	216,138,739
योग	**Total**		**2,961,536,701**	**4,417,410,922**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं के लिये टिप्पणियां उक्त उल्लेखित टिप्पणियों वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 25
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते ओसवाल सुनील एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.:016520एन
For Oswal Sunil & Company
Chartered Accountants
FRN:016520N

(सी.ए. सुनील भंसाली)
साझेदार
(CA Sunil Bhansali)
(Partner)
M.No. 054645

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 30.05.2019

लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(Amount in ₹)

		टिप्पण संख्या/ Note No.	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
राजस्व:	**REVENUE:**			
प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	15	17,932,188,792	14,534,189,017
सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	16	80,929,245	90,645,243
अन्य आय	Other Income	17	17,523,696	18,103,309
कुल राजस्व	**Total Revenue**		**18,030,641,733**	**14,642,937,569**
व्यय:	**EXPENSES:**			
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	18	16,776,780,098	13,452,086,669
प्रमाणन, पैकिंग तथा वितरण व्यय	Certification, Packing and Distribution Expenses		238,559,971	188,343,349
स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूची में परिवर्तन	Changes in Inventories of Stock-in-Trade	19	735,534,459	794,095,831
सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	Social & Rural Development Programme Expenses	20	100,813,326	110,046,363
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	21	24,073,992	19,496,190
वित्तीय लागत	Finance Costs	22	44,960,433	41,358,126
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	23	9,277,623	6,619,206
अन्य व्यय	Other Expenses	24	24,007,127	17,100,915
कुल व्यय	**Total Expenses**		**17,954,007,029**	**14,629,146,649**
कर पूर्व लाभ	**Profit before Tax**		**76,634,704**	**13,790,920**
कर व्यय	Tax Expense:			
– चालू कर	- Current Tax		(21,759,000)	(193,842)
– पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन	- Tax Adjustment for Earlier Years		808,618	-
– आस्थिगत कर – संपत्ति /(देयता)	- Deferred Tax - Asset / (Liability)		(4,655,098)	(5,544,910)
अवधि के लिए लाभ (हानि)	**Profit (Loss) for the Period**		**51,029,224**	**8,052,168**
मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (ईपीएस)	**Basic & Diluted Earning Per Share (EPS)**			
– ₹ 1000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 1000/- each		384.64	60.70
– ₹ 10000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 10,000/- each		3846.44	606.95
– ₹ 50000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 50,000/- each		19,232.22	3034.75

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं के लियेः टिप्पणियां उक्त उल्लेखित टिप्पणियों वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 25
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते ओसवाल सुनील एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.:016520एन
For Oswal Sunil & Company
Chartered Accountants
FRN:016520N

(सी.ए. सुनील भंसाली)
साझेदार
(CA Sunil Bhansali)
(Partner)
M.No. 054645

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 30.05.2019

वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

टिप्पण – 1 **NOTE - 1** (Amount in ₹)

1. शेयर पूंजी	Share Capital	As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
		Number	Amount	Number	Amount
प्राधिकृतः	**Authorised**				
इक्विटी शेयर	Equity Shares	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
जारी	**Issued**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	2	20,000	2	20,000
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	6,896	6,896,000	6,896	6,896,000
योग	**Total**	**9,413**	**132,666,000**	**9,413**	**132,666,000**
अभिदत्त तथा प्रदत्तः	**Subscribed & Paid up**				
₹50000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
₹10000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid	2	20,000	2	20,000
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid	6,896	6,896,000	6,896	6,896,000
योग	**Total**	**9,413**	**132,666,000**	**9,413**	**132,666,000**

अ. शेयरों का मिलान	a. Shares Reconciliation	As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
		Number	Amount	Number	Amount
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 50000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2,515	125,750,000	2,515	125,750,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2,515**	**125,750,000**	**2,515**	**125,750,000**
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 10,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2	20,000	2	20,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2**	**20,000**	**2**	**20,000**
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 1,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	6,896	6,896,000	6,896	6,896,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**6,896**	**6,896,000**	**6,896**	**6,896,000**

ब. शेयरधारियों का 5% शेयरों से अधिक नियन्त्रण	b. Shareholder(s) holding more than 5% shares	As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
		No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
कुल देय ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर – इफको	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid - Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.	2,507	99.68	2,507	99.68
कुल देय ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid				
– यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	- UP Sehakari Gram Vikas Bank Ltd.	1	50.00	1	50.00
– एम.पी. राज्य सहकारी विपणन संघ लि.	- MP State Coop. Mktg. Fed. Ltd.	1	50.00	1	50.00
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity shares of ₹ 1,000 each fully paid				
– पी.एफ.एफ.सी.एस. हरखूमऊ	- PFFCS Harkhumau	550	7.98	550	7.98
स. सदस्य को कम से कम एक पूर्ण प्रदत्त शेयर को प्राप्त करने पर ही मतदान का अधिकार होगा।	c. Member will have the voting right only on acquiring at least one fully paid up share.				

टिप्पण – 2 NOTE - 2

(Amount in ₹)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	Reserves and Surplus	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
अ. आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(अ) के अनुसार)	**a. Reserve Fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)**		
आरंभ में शेष	Opening Balance	220,672,679	213,806,250
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	45,116,010	6,866,429
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
अन्त में बकाया	**Closing Balance**	**265,788,689**	**220,672,679**
ब. दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	**b. Reserve fund for Contingency (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)**		
आरंभ में शेष	Opening balance	805,217	-
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	5,102,922	805,217
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
अन्त में बकाया	**Closing Balance**	**5,908,139**	**805,217**
स. प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	**c. Reserve for Donation (As per Section 63(1)© of MSCSA 2002)**		
आरंभ में शेष	Opening balance	300,000	-
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	300,000	300,000
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
अन्त में बकाया	**Closing Balance**	**600,000**	**300,000**
द अतिरिक्त	**Surplus**		
आरंभ में शेष	Opening balance	-	-
जोडें: चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि)	Add : Net profit/(Net Loss) for the current year	51,029,224	8052,168
		51,029,224	8052,168
घटाएं: अंतरित	Less : Transferred to		
– प्रतिधारित आय	- Retained earning	-	-
– आरक्षित निधि (बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के खण्ड 63(1)(अ) के अनुसार)	- Reserve fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)	(45,116,010)	(6,866,429)
– सहकारी शिक्षा कोष में योगदान के लिए प्रावधान (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(ब) के अनुसार)	- Provision for Contribution to Cooperative Education Fund (As per Section 63(1)(b) of MSCSA 2002)	(510,292)	(80,522)
– प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Contingency (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)	(5,102,922)	(805,217)
– दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)	(300,000)	(300,000)
अंत में बकाया	**Closing Balance**	**-**	**-**
योग	**Total**	**272,296,828**	**221,777,896**

टिप्पण – 3 NOTE - 3

दीर्घावधिक ऋण	Long Term Borrowings	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
आरक्षित – आवधिक ऋण	**Unsecured- Term Loan**		
राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ*	- From National Cooperative Development Corporation*	36,121,188	11,431,788
घटाएं: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ टिप्पण 6)	Less: Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 6)	(5,527,742)	(1,095,200)
योग	**Total**	**30,593,446**	**10,336,588**

* Term of Repayment - Repayable in two yearly installment on each part of loan and shall be fully repaid by 2027. The carrying interest rate @11.45% and 10.90% and 11.90%.

टिप्पण – 4 NOTE - 4

दीर्घावधिक प्रावधान	Long Term Provisions	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
– अनुपस्थिति नकदीकरण	- Leave Encashment	6,152,098	6,165,357
योग	**Total**	**6,152,098**	**6,165,357**

टिप्पण – 5 NOTE - 5

(Amount in ₹)

अल्पावधिक ऋण	Short Term Borrowings	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
रक्षित	**Secured**		
बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण – यस बैंक*	Working Capital Loan from Banks - Yes Bank*	25,000,000	420,000,000
योग	**Total**	**25,000,000**	**420,000,000**

* Secured against hypothecation of Inventories and Book Debts of the Society

टिप्पण – 6 NOTE - 6

अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
सावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि (संदर्भ टिप्पण 3)	Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 3)	5,527,742	1,095,200
सांविधिक देयताएं	Statutory Dues Payable	4,608,401	3,142,494
व्ययों पर देयताएं	Expenses Payable	46,243,082	83,636,933
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from Customer	47,768,097	16,949,587
धरोहर राशि/जमानत राशि	Earnest Money / Security Deposit	268,746,057	222,222,843
अनुपयोगी परियोजना योगदान/अनुदान	Unutilised Project Contribution / Grant	16,845,280	4,245,216
योग	**Total**	**389,738,659**	**331,292,273**

टिप्पण – 7 NOTE - 7

अल्पावधिक प्रावधान	Short Term Provisions	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
सहकारी शिक्षा निधि के लिए प्रावधान	Provision for Cooperative Education Fund	510,292	80,522
आयकर के लिए प्रावधान	Provision for Income Tax	4,416,904	-
योग	**Total**	**4,927,196**	**80,522**

टिप्पण – 10 NOTE - 10

दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	Long-Term Loans & Advances	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
अरक्षित, सुविचारित सामान	**Unsecured, Considered Good**		
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposits	1,020,155	1,785,949
समितियों के साथ चक्रीय निधि	Revolving Fund with Societies	1,627,065	2,042,502
घटाएं: चक्रीय निधि के लिए प्रावधान	Less: Provision for Revolving Fund	(720,000)	(720,000)
योग	**Total**	**1,927,220**	**3,108,451**

टिप्पण – 11 NOTE - 11

मालसूचियाँ* (लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो)	Inventories* (Valued cost or Net Realisable Value, whichever is lower)	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
पैकिंग सामग्री	Packing Material	19,507,473	15,592,905
स्टॉक–इन–ट्रेड	Stock-In-Trade	109,055,051	844,589,510
योग	**Total**	**128,562,524**	**860,182,415**

* As taken, valued and certified by the Management.

टिप्पण – 12 NOTE - 12

व्यापार प्राप्तियाँ	Trade Receivables	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋण	**Outstanding for a period less than six months**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	1,871,807,896	2,615,965,927
छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	**Outstanding for a period more than six months**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	286,098,110	10,208,366
अरक्षित, विचारणीय संदिग्ध	Unsecured, Considered Doubtful	2,182,246	-
कमः संदिग्ध व्यापार प्राप्ति के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Trade Receivable	(2,182,246)	-
योग	**Total**	**2,157,906,006**	**2,626,174,293**

टिप्पण – 13 NOTE - 13

(Amount in ₹)

नकद एवं बैंकों में शेष	Cash and Bank Balances	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
पास में नकदी	Cash on hand	119,866	106,158
बैंकों के साथ शेष	Balances with Banks		
– लघु अवधि खाते में शेष	- Balances in Short-Term Accounts	43,479,385	335,171,425
– 12 महीने से कम परिपक्वता के साथ सावधि जमा*	- Fixed Deposits with less than 12 months maturity*	101,020,000	101,020,256
योग	**Total**	**144,619,251**	**436,297,839**

* Includes Rs. 3,20,000 (P.Y. Rs. 5,20,265) held as security with Authorities/Banks.

टिप्पण – 14 NOTE - 14

अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम	Short-Term Loans and Advances	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
असुरक्षित, सुविचारित सामान	**Unsecured, Considered Good**		
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं है	Interest accrued but not due on Fixed Deposits	3,302,302	5,514,493
प्रीपैड व्यय	Prepaid Expenses	3,335,651	3,165,443
दावा/अनुदान वसूली योग्य	Claim/Grant Recoverable	43,238,070	48,228,148
राज्य सरकारों से वसूली योग्य सब्सिडी*	Subsidy Recoverable from State Govt.*	132,232,899	71,492,120
आपूर्तिकर्ता/किसान/समितियों को अग्रिम	Advance to Supplier/Farmer/Societies	23,855,232	26,495,181
अग्रिम आयकर/टी.डी.एस.	Advance Income Tax/TDS	22,437,509	21,581,339
जी.एस.टी. वसूली योग्य	GST Recoverable	4,934,623	38,352,448
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	Advance to Employee	526,572	65,676
अन्य अग्रिम	Others Advance	260,141	1,243,891
योग	**Total**	**234,122,999**	**216,138,739**

* FY 2018-19: Rajasthan 992.70 lakhs, Madhya Pradesh 0.26 lakhs, Haryana 18.91 lakhs, Uttar Pradesh 307.10 lakhs, Maharashtra 3.35 Lakhs.
FY 2017-18 : Rajasthan 318.01 lakhs. Madhya Pradesh - 0.26 lakhs. Haryana 82.18 lakhs. Uttar Pradesh 311.12 Lakhs, Maharashtra 3.35 lakhs.

टिप्पण – 8 / NOTE - 8

सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण
Property, Plant and Equipments

(Amount in ₹)

विवरण PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION/AMORTISATION				NET BLOCK	
	As at 01.04.2018	Additions	Deductions/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 01.04.2018	For the year	Deductions/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
मूर्त परिसंपत्तियाँ/Tangible Assets :										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (a) Freehold Land	61,558,980	-	-	61,558,980	-	-	-	-	61,558,980	61,558,980
(ख) भवन कारखाना (b) Factory Building	137,158,305	7,455,853	-	144,614,158	5,228,413	4,500,298	-	9,728,711	134,885,447	131,929,892
(ग) वाहन (c) Vehicle	4,507,492	-	-	4,507,492	2,448,384	403,125	-	2,851,509	1,655,983	2,059,108
(घ) जलापूर्ति स्थापना (d) Water Supply Installation	70,258	-	-	70,258	66,745	-	-	66,745	3,513	3,513
(ड़) कार्यालय उपकरण (e) Office Equipments	3,957,207	764,425	3,710	4,717,922	2,498,120	294,865	3,710	2,789,275	1,928,646	1,459,087
(च) फर्नीचर एवं फिक्सचर (f) Furniture & Fixtures	3,611,331	141,592	17,450	3,735,473	2,194,652	341,164	16,702	2,519,114	1,216,359	1,416,679
(छ) कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स (g) Computer and Printers	12,262,887	122,892	-	12,385,779	10,124,105	1,566,597	-	11,690,702	695,078	2,138,782
(ज) जैनसैट एवं वातानुकूल उपकरण (h) Genset & Air Conditioner	1,149,125	207,321	98,335	1,258,111	509,903	110,505	53,322	567,086	691,024	639,222
(झ) संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण (I) Plant, Machinery & Other Equip.	48,405,868	9,238,306	-	57,644,174	5,201,946	2,027,559	-	7,229,504	50,414,670	43,203,922
कुल मूर्त परिसंपत्तियाँ TOTAL TANGIBLE ASSETS	**272,681,453**	**17,930,389**	**119,495**	**290,492,347**	**28,272,268**	**9,244,112**	**73,734**	**37,442,646**	**253,049,701**	**244,409,185**
पिछले वर्ष का कुल योग PREVIOUS YEAR'S TOTAL	**162,790,918**	**110,268,463**	**377,928**	**272,681,453**	**22,017,591**	**6,566,995**	**312,318**	**28,272,268**	**244,409,185**	**-**

(Amount in ₹)

टिप्पण – 9	NOTE - 9		As at 31.03.2019		As at 31.03.2018	
गैर चालू निवेश (लागत पर)	Non Current Investments (At Cost)	Face Value (₹)	No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
(अ) व्यापार निवेश (लागत पर) – अनुद्धृत	(A) Trade Investments (At Cost) - Unquoted					
(i) सहायकों पर निवेश	(i) Investment in Subsidiaries					
(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹ 500 प्रत्येक के 26738 शेयर लिये	(a) 26,738 Equity Shares of ₹ 500/- each fully paid up in PFFCS of U.P. State					
कनकसिंहपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kanaksinghpur PFFCS District Sultanpur	500	5,448	2,724,000	5,448	2,724,000
चन्दौकी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Chandauki PFFCS District Sultanpur	500	1,456	728,000	1,456	728,000
रामसहायपुर हरदोइया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Ramshahpur Hardoiya PFFCS District Sultanpur	500	1,828	914,000	1,828	914,000
नन्दमहर–भीखीपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Nandmahar-Bhikhipur PFFCS District Sultanpur	500	2,109	1,054,500	2,109	1,054,500
कनकपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kankupur PFFCS District Sultanpur	500	1,617	808,500	1,617	808,500
रिछौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Richhaura PFFCS District Sultanpur	500	1,191	595,500	1,191	595,500
कटारी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Katari PFFCS District Sultanpur	500	1,356	678,000	1,356	678,000
बेला पश्चिम पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Bela Paschim PFFCS District Sultanpur	500	218	109,000	218	109,000
कमालपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Kamalpur PFFCS District Raibarelly	500	1,793	896,500	1,793	896,500
रसूलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Rasoolpur PFFCS District Raibarelly	500	2,423	1,211,500	2,423	1,211,500
हरदोई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Hardoi PFFCS District Raibarelly	500	1,421	710,500	1,421	710,500
खारा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Khara PFFCS District Raibarelly	500	1,741	870,500	1,741	870,500
बेलहा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Belha PFFCS District Pratapgarh	500	1,398	699,000	1,398	699,000
केशवपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Keshavpur PFFCS District Pratapgarh	500	1,117	558,500	1,117	558,500
सबलगढ़सराई इन्द्रावत पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Sabalgarh Sarai Indrawat PFFCS District Pratapgarh	500	686	343,000	686	343,000
कैमा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kaima PFFCS District Sultanpur	500	936	468,000	936	468,000
(ब) मध्य प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹100 प्रत्येक के 10637 शेयर लिये	(b)10,637 Shares of ₹ 100/- each in PFFCS of M.P. State					
करैया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Kariya PFFCS District Sagar	100	3,080	308,000	3,080	308,000
समनापुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Samnapur PFFCS District Sagar	100	2,785	278,500	2,785	278,500
चितौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Chitora PFFCS District Sagar	100	1,492	149,200	1,492	149,200
मौकलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Mokalpur PFFCS District Sagar	100	2,490	249,000	2,490	249,000
सुरखी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Surkhi PFFCS District Sagar	100	790	79,000	790	79,000
(स) राजस्थान राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹10 प्रत्येक के 156730 शेयर लिये	(c) 1,56,730 Shares of ₹10/- each in PFFCS of Rajasthan State					
सांगवा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sangwa PFFCS District Udaipur	10	56,000	560,000	56,000	560,000
रख्यावल पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Rakhiyawal PFFCS District Udaipur	10	25,000	250,000	25,000	250,000
पीपलवास पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Pipalwas PFFCS District Udaipur	10	35,200	352,000	35,200	352,000
सिन्धु पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur	10	17,400	174,000	17,400	174,000
जावड पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Jawad PFFCS District Udaipur	10	21,230	212,300	21,230	212,300
नाई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Nai PFFCS District Udaipur	10	1,900	19,000	1,900	19,000
उप–योग	Sub-Total			16,000,000		16,000,000
(ii) सहयोगी में निवेश	(ii) Investment in Associates					
इफको (253 शेयर ₹1,00,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (253 Shares of ₹ 1,00,000/- each)	100000	253	25,300,000	151	15,100,000
इफको (4 शेयर ₹10,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (4 Shares of ₹ 10,000/- each)	10000	4	40,000	-	-
इफको (9 शेयर ₹1,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (9 Shares of ₹ 1,000/- each)	1000	9	9,000	-	-
उप–योग	Sub-Total			25,349,000		15,100,000
योग	Total			41,349,000		31,100,000

टिप्पण – 15 NOTE - 15

(Amount in ₹)

प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
बिक्री	**Sales**		
उर्वरकों की बिक्री	Sales of Fertilisers	16,378,353,757	13,383,480,462
बीज बिक्री (संलग्न अर्थ सहायता और प्रोत्साहन राशि)	Sales of Seeds (Including subsidy and incentive)	1,325,064,386	1,039,949,918
अन्य उत्पादन की बिक्री (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, अचार इत्यादि)	Sales of Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, Pickle etc.)	228,770,649	110,758,637
योग	**Total**	**17,932,188,792**	**14,534,189,017**

टिप्पण –16 NOTE - 16

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
नाबार्ड	NABARD	3,026,255	2,483,452
रुडा	RUDA	2,703,127	907,505
आई टी जी आई	ITGI	21,585,433	47,973,544
मित्सुई	MITSUI	786,301	1,275,644
मित्सुबिशी कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd.	900,278	-
मेटल वन कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	Metal One Corporation India Pvt. Ltd.	805,085	-
एस एफ ए सी	SFAC	-	20,415
एम पावर	Mpower	101,844	2,953,776
यू.एल.आई.पी.एच.	ULIPH	9,200,455	8,154,882
जिला पंचायत / आई.डब्ल्यू.एम.पी.	Zila Panchayat/IWMP	392,000	441,831
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	11,040,000	5,000,000
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
आर बी एस जी वाई	RBSGY	4,937,512	1,213,353
एल आई आई आर डी	LIIRD	10,478,547	8,073,569
आर एल डी पी	RLDP	10,326,992	8,849,512
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	4,645,416	3,297,760
योग	**Total**	**80,929,245**	**90,645,243**

टिप्पण – 17 NOTE - 17

अन्य आय	Other Income	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
ब्याज	Interest From:		
– सावधि जमा	-Fixed Deposits	7,277,967	6,121,623
– अन्य	-Others	89,502	54,984
विनियोग पर लाभांश	Dividend on Investment	3,020,000	3,020,000
संस्थागत शुल्क	Institutional Charges	6,109,842	5,984,537
विविध आय	Miscellaneous Income	1,026,385	2,922,165
योग	**Total**	**17,523,696**	**18,103,309**

टिप्पण – 18 NOTE - 18

स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
क्रय	**Purchase**		
– खाद	- Fertiliser	15,611,279,872	12,477,974,898
– बीज	- Seeds	940,967,773	869,095,062
– अन्य उत्पाद (पौध, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, अचार आदि)	- Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, Pickle etc.)	224,532,453	105,016,709
योग	**Total**	**16,776,780,098**	**13,452,086,669**

टिप्पण – 19 NOTE - 19

स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूचियों में परिवर्तन | **Changes in Inventories of Stock-in-Trade**

(Amount in ₹)

		Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
इति स्टॉक:	**Closing Stocks:**		
खाद	Fertiliser	95,633,412	773,251,401
बीज	Seed	10,951,846	69,863,857
अन्य	Others	2,469,793	1,474,252
		109,055,051	**844,589,510**
अथ स्टॉक:	**Opening Stocks:**		
खाद	Fertiliser	773,251,401	1,631,005,329
बीज	Seed	69,863,857	4,509,825
अन्य	Others	1,474,252	3,170,187
		844,589,510	**1,638,685,341**
(वृद्धि)/कमी	**(Increase) / Decrease**	**735,534,459**	**794,095,831**

टिप्पण –20 NOTE - 20

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय | **Social & Rural Development Programmes Expenses**

		Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
नाबार्ड	NABARD	8,313,503	5,147,846
रुडा	RUDA	2,615,129	853,580
आई टी जी आई	ITGI	20,339,631	44,394,935
मित्सुई	MITSUI	906,726	1,275,644
मित्सुबिशी कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd.	900,278	-
मेटल वन कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि.	Metal One Corporation India Pvt. Ltd.	805,085	-
एस एफ ए सी	SFAC	554,070	902,437
एम पावर	Mpower	101,844	2,555,381
यू.एल.आई.पी.एच.	ULIPH	8,842,909	8,016,925
जिला पंचायत / आई डब्ल्यू एम पी	Zila Panchayat/IWMP	833,242	931,978
बी.ओ.आर.एल.	BORL	1,605	3,008
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	28,141,234	26,395,047
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
आर बी एस जी वाई	RBSGY	4,558,551	1,097,168
एल आई आई आर डी	LIIRD	9,757,433	7,542,671
आर एल डी पी	RLDP	9,849,630	7,891,259
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	4,292,456	3,038,484
योग	**Total**	**100,813,326**	**110,046,363**

टिप्पण – 21 NOTE - 21

कर्मचारियों के हितलाभों पर व्यय | **Employee Benefits Expense**

		Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
वेतन एवं प्रोत्साहन	Salaries and incentives	12,342,004	7,793,981
अंशदान –	Contributions to -		
– भविष्य निधि तथा अन्य निधियाँ	- Provident Fund and other Fund	433,749	470,523
– उपदान तथा अन्य लाभ	- Gratuity and other Benefit	9,059,159	9,304,487
– कर्मचारी कल्याण व्यय	- Staff Welfare Expenses	2,239,080	1,927,199
योग	**Total**	**24,073,992**	**19,496,190**

टिप्पण – 22 NOTE - 22

(Amount in ₹)

वित्त लागत	Finance Costs	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
ब्याज पर व्यय	Interest Expense	44,949,838	41,349,449
बैंक एवं वित्तीय प्रभार	Bank and Finance Charges	10,595	8,677
योग	Total	**44,960,433**	**41,358,126**

टिप्पण – 23 NOTE - 23

अवमूल्यन, परिशोधन एवं हानिकरण पर व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
अवमूल्यन	Depreciation	9,244,112	6,566,996
सम्पत्तियां परिशोधन	Assets Amortization	33,511	52,210
योग	Total	**9,277,623**	**6,619,206**

टिप्पण – 24 NOTE - 24

अन्य व्यय	Other Expenses	Year ended 31.03.2019	Year ended 31.03.2018
मरम्मत तथा रख–रखाव:	Repairs and Maintenance:		
– भवन	-Buildings	229,404	340,884
– अन्य	-Others	186,973	152,692
यात्रा व्यय:	Travelling Expenses:		
– निदेशकगण	-Directors	362,856	970,829
– अन्य	-Others	2,378,593	2,615,872
यात्रा व्यय	Conveyance Expenses	225,326	222,051
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री	Printing and Stationery	373,298	341,295
किराया	Rent	80,800	104,000
संचार व्यय	Communication Expenses	635,451	879,829
प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	Publicity and Sales Promotion	1,455,068	1,481,689
उत्सव खर्च	Celebration Expenses	199,442	602,319
निदेशकों का शुल्क	Directors' Sitting Fee	150,000	234,000
वाहन किराया, चालन तथा रख–रखाव	Vehicle Hire, Running and Maintenance	928,200	1,036,384
विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार	Legal and Professional Charges	6,012,409	4,737,603
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	3,224,718	-
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts	2,182,246	-
मुआवजा भुगतान	Compensation paid	2,262,633	313,633
आम सभा बैठक व्यय	AGM Expenses	2,406,013	1,655,287
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fees		
– वैधानिक अंकेक्षण	- Statutory Audit	110,000	110,000
– कर, लेखा परीक्षा, एफ.सी.आर.ए. एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट शुल्क	- Tax, Audit, FCRA and Gratuity Trust	40,000	40,000
विविध खर्च	Miscellaneous Expenses	563,697	1,262,548
योग	Total	**24,007,127**	**17,100,915**

टिप्पण – 25

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का विवरण जो 31 मार्च 2019 तक के लेखाओं का भाग है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(I) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और लेखा मानक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया और बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हिस्टोरिकल लागत के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ii) आय/व्यय की स्वीकरण

(क) माल की बिक्री से राजस्व का हिसाब किया जाता है जिसके अंतर्गत मालिकाना हक के सभी प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदारों को अंतरित आमतौर पर माल की डिलीवरी पर हो जाते हैं। माल की बिक्री से नेट वापसी राजस्व की गणना निवल, भत्ते, व्यापार छूट के बाद की जाती है।

(ख) सरकार एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं से आय / व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है। जो राशि खर्च हो गई लेकिन वसूल नहीं हुई है वह अनुदान वसूली योग्य दर्शाया गया है। शेष राशि यदि कोई अनुदान खाता है उसी को हस्तांतरित किया जा रहा है। आय के रूप में व्यय के खिलाफ आगामी वर्षों में किया जा रहा है।

(ग) सभी अन्य आय को रिवॉलविंग फंड पर लाभांश आय, मात्रा छूट और सेवा शुल्क को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(घ) विशेष रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान संबंधित सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के खर्च में शामिल किया गया है।

(iii) बीज पर अनुदान

(क) प्रमाणित बीज की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार के साथ दावा की गई विपणन सब्सिडी प्रोद्भवन आधार पर है।

(ख) प्रमाणित / आधार बीजों की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के साथ दावा किया गया उत्पादन सब्सिडी रसीद के आधार पर माना जाता है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के साथ दावा किया गया संयंत्र सब्सिडी रसीद के आधार पर माना जाता है।

(iv) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को हिस्टोरीकल लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। समिति को जो परिसम्पत्तियां उपहार में हस्तांतरण हुई हैं उनको ₹ 1/- की लागत पर खातों में लिया है।

(v) निर्माण अवधि के दौरान किया गया व्यय

इकाई के नये / प्रमुख विस्तार के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान किये गये अप्रत्यक्ष व्यय जोकि उस परियोजना के निर्माण से संबंधित हैं, को आनुपातिक आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(vi) मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास का प्रावधान उनकी उपयोगी जीवनाधि के आधार पर किया जाता है। समिति ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" में दी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया गया है। समिति ने मूल्यह्रास की गणना के लिए स्ट्रेट लाईन मैथड को अपनाया है।

(ख) परिसम्पत्तियां जिनका मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास हो गया है, ₹ 5000 तक की प्रत्येक मद को छोड़कर, जो उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया गया है।

NOTE - 25

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED AS AT 31ST MARCH, 2019

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Basis of Preparation

The Financial Statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the Accounting Standards Prescribed by ICAI and the relevant provisions of Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

(ii) Recognition of Income / expenditure

(a) Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured net of returns and allowances, trade discounts and volume rebates..

(b) The income and expenditure in the case of rural development projects run on behalf of Government or other agencies are recognized as income to the extent of expenses incurred thereon. The amount which is incurred but not realized is shown as Grant Recoverable. The balance amount, if any is transferred to Unutilized Grant Account and the same is being accounted as income against expenses in the subsequent years..

(c) All other income is recognized 145 accrual basis except dividend income, quantity rebate and service charges on revolving fund.

(d) The salary and allowances paid to the employees deputed on particular Social & Rural Development Programs have been included in the expenses of the respective Social & Rural Development Programs.

(iii) Subsidy on Seeds

(a) The Marketing Subsidy Claimed with the State Government under various scheme on sale of certified seeds is accounted for on accrual basis.

(b) The Production Subsidy Claimed with the Central Government under various scheme on sale of certified/Foundation seeds is accounted for on receipt basis.

(c) The Plant Subsidy Claimed with the Government under various scheme is accounted for on receipt basis.

(iv) Property, Plant and Equipments

Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. Assets transferred to the society as gift are accounted for at ₹ 1/- each.

(v) Expenditure incurred during Construction period

In respect of new/ major expansion of units, the indirect expenditure incurred during construction period up to the date of commencement of commercial production, which is attributable to the construction of the project, is capitalized on proportionate basis.

(vi) Depreciation

(a) The Depreciation is charged on the basis of useful life of the Property, Plant and Equipments . The Society has adopted useful life of Property, Plant and Equipments as given in Part "C" of Schedule II of Companies act, 2013 in respect of all Property, Plant and Equipments. The Society has adopted Straight Line Method for computation of depreciation charged.

(b) Assets are depreciated to the extent of 95% of the original cost except items individually costing upto ₹ 5,000/-, which are fully depreciated in the year of acquisition.

(vii) माल सूचियाँ

(क) माल सूचियों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर एफआईएफओ (फीफो) आधार पर किया जाता है।

(ख) कच्चे बीज की खरीद के लिए किए गए खर्चों को "कच्चे बीज की मालसूची" के तहत माना जाता है और उसी वर्ष उस अवधि में व्यय के रूप में माना जाएगा जिसमें बीज संसोधित होते हैं।

(viii) निवेश

(क) गैर मौजूदा निवेश का हिसाब लागत पर लगाया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल उस अवस्था में किया गया है जब वह कमी निवेश की लागत में अस्थायी तौर से भिन्न हो।

(ख) चालू निवेशों का मूल्य लागत के न्यून पर अथवा प्रत्येक निवेश के आधार पर समुचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

(ix) सेवा निवृत्ति लाभ

(क) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ व हानि खातों में अनडिस्काउंटिड आधार पर व्यय के रूप में दिया जाता है, जिस वर्ष में सेवा प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में योगदान मासिक और लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों को देय ग्रैच्युइटी के संबंध में उत्तरदायित्व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समूह ग्रैच्युइटी स्कीम की नीति योजना के तहत वित्त पोषित है। व्यय को वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। निधि में चुकाए गए वार्षिक योगदान को लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है।

(x) पूर्व अवधि आय/व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 2,00,000 / – से अधिक नहीं होने वाली पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित आय / व्यय आइटम प्रत्येक वर्ष / इकाई को चालू वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

(xi) कराधान

(क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लाभ स्वीकार्य पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) समय अंतरालों पर आस्थगित कर को विवेकपूर्ण विचार माना जाता है। आस्थगित परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि 'आभासी निश्चितता' नहीं होती है, भविष्य में जब कर योग्य लाभ होगा तब इस प्रकार की आस्थगित कर सम्पत्तियों को वसूल किया जा सकेगा।

(xii) प्रासंगिक देयताएं

प्रकृति में प्रासंगिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनता, लेकिन अगर यह प्रभावित करता है तो लेखों को अलग टिप्पणियों द्वारा बताया गया है।

(ख) लेखाओं पर टिप्पणियां:

1. संविदा पर प्रस्तावित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) जोकि पूंजीगत खातों राशि ₹ 48.06 लाख प्रदत्त नहीं किये गये हैं
(पूर्व वर्ष में ₹ 25.00 लाख)
2. प्रासंगिक देयतायें प्रदान नहीं करने के लिए –

(vii) Inventories:

(a) Inventories are valued on FIFO basis at the lower of cost or net realisable value.

(b) The expenses incurred for procurement of raw seeds are accounted under "Raw Seed Inventory" and the same would be treated as expense in the year in which seeds are processed.

(viii) Investments

(a) Non current Investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of such investment is made to recognise a decline, other than temporary in the value of the investments.

(b) Current Investments are valued at lower of cost or fair value determined on an investment basis.

(ix) Retirement benefits

(a) Short Term Employees Benefits are recognised as an expenses in the Statement of Profit & Loss Account of the year in which the related services is rendered.

(b) Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund is made monthly and debited to the Statement of Profit and Loss. Liability in respect of gratuity payable to employees is funded under a policy scheme of Group Gratuity Scheme of Life Insurance Co. Ltd . The expenses is recognised at the present value of the amounts payable determined using actuarial valuation techniques. Yearly contribution paid to the Fund is debited to Statement of Profit and Loss.

(x) Prior Period Income / Expenditure

Income/Expenditure items relating to prior period(s) not exceeding ₹ 2,00,000/- in each case is at each Project/Unit is treated as Income/ Expenditure for the current year.

(xi) Taxation

(a) Provision for Current Tax is made after considering benefits admissible under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(xii) Contingent Liabilities

No provision is made for liabilities, which are contingent in nature, but if material the same are disclosed by way of notes to the accounts.

B. Notes on Accounts

1. Estimated value of Contracts (Net of Advances) to be executed on Capital Accounts and not provided for - Rs. 48.06 lakh (Previous year Rs. 25.00 lakh)
2. Contingent liabilities not provided for -

(Amount in ₹)

विवरण	Particulars	As at 31.3.2019	As at 31.3.2018
बैंक गारंटी	Bank Guarantee	-	-
आयकर अधिकारियों द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by Income Tax Authorities	20,954,242	47,678,992
ऋण की रसीद न देने के रूप में संस्था के खिलाफ दावा	Claim against society not acknowledge as debt	980,000	3,381,240
योग	Total	21,934,242	51,060,232

Note: The Society's pending litigations comprise of claims against the Society and proceedings pending with Tax Authorities. The Society has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The Society does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position.

3. संपत्ति का अनुमानित मूल्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और गैर चालू निवेशों के अलावा परिसंपत्तियों का यह मूल्य व्यापार की सामान्य परिसंपत्तियों में वसूल होने वाले उन मूल्यों से कम नहीं होगी जिनका उल्लेख इस तुलन पत्र में किया गया है।

4. स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं)

शुद्ध स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं) का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है: –

3. Realisable Value of Assets

In the opinion of the Management, the value of assets other than Property, Plants and Equipments and non-current investments, on realisation in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.

4. Deferred Tax Asset/ (Liabilities)

The breakup of net Deferred Tax Asset/ (Liabilities) is as under:-

(Amount in Rs.)

विवरण	Particulars	As at 31 March'2019	As at 31 March'2018
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**Deferred Tax Asset**		
कर्मचारी लाभ – प्रावधान	Employee Benefits - Provision	(4,632)	544,133
		(4,632)	**544,133**
विलंबित कर देयता	**Deferred Tax Liability**		
समय अंतर – मूल्यह्रास	Timing Difference - Depreciation	(10,961,168)	(6,854,835)
घटाएं: विलंबित कर देयता (समय अंतर)	Less: Deferred Tax Liability (Timing Difference)		
मूल्यह्रास	Depreciation	**(10,961,168)**	**(6,854,835)**
योग	**Total**	**(10,965,800)**	**(6,310,702)**

In accordance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income", the net increase deferred Tax Liabilities (Net) ₹ 46.55 Lakhs, for the year, has been charged to the Statement of Profit & Loss.

5. संबंधित पार्टी के बारे में विवरण

(क) संबद्ध पार्टियों की सूची (जैसाकि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है)

(i) उच्च प्रबंधक वर्ग

श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक

श्री सुकांत शर्मा, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(ii) एसोसिएट

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

(ख) संबद्ध पार्टियों से लेन–देन

5. Related Party Disclosure

A List of Related Parties (as identified by the management)

(i) Key Management Personnel

Sh. S.P.Singh, Managing Director

Sh. Sukant Sharma, Manager (F&A)

(ii) Associates

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited

B Transactions with Related Parties

(Amount in Rs.)

	Particulars	Associates		Key Management Personnel	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
क्रय*	Purchases*	15,784,455,782	12,564,986,867	-	-
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	177,515,804	207,509,315	-	-
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	61,530,628	26,434,194	-	-
लाभांश आय	Dividend Income	3,020,000	3,020,000	-	-
अन्य एवं परामर्श आय	Other & Consultancy Income	8,473,701	1,885,472	-	-
किराया भुगतान	Rent Paid	115,800	-	-	-
शेयर में निवेश	Investment in Shares	10,249,000	-	-	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक**	Managerial Remuneration**	-	-	-	-
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण का क्रय	Purchase of Property, Plant and Equipment	227,635	-	-	-
जमा शेष***	Closing Balance***	₹ 2,072,401,114 (Credit Balance)	₹ 3,241,687,952 (Credit Balance)	-	-

Notes: * Difference of Rs. 63.47 Crores balances with IFFCO in reconcilation of purchase of fertilsier, which is due to Taxes i.e. Rs. 79.51 Crores, TPT Reimbursement Rs. (14.33) Crores, Discount (1.52) Crores and Others (0.19) Crores.

** Managerial Remuneration paid by IFFCO.

*** Difference of Rs. 1.11 Crores balance with IFFCO in reconciliation of Creditors with IFFCO, which is due to Collection Received but not incorporated in IFFCO Ledger Rs. (0.85) Crores, and net balance of Debtors & Creditors Rs. 1.96 Crores.

6. सेगमेंट रिर्पोटिंग नीतियां

(अ) सेगमेंट की पहचान

(i) प्राथमिक सेगमेंट

व्यापारिक सेगमेंटः समिति प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों (पीएफएफसी) के सदस्यों के लाभ हेतु सामाजिक ग्रामीण विकास की गतिविधियों एवं भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान, आदिवासी और विशेषतर महिलाओं के निरंतर आजीविका विकास हेतु उर्वरक और बीज इत्यादि के प्रसंस्करण एवं व्यापार में संलग्न हैं।

(ii) द्वितीय सेगमेंट

जियोग्राफिक सेगमेंटः चूँकि प्राथमिक तौर पर समिति द्वारा गतिविधियाँ देश में सम्पन्न की गई हैं। प्रतिवेदन सेंगमेंट के एएस–17 की परिभाषा के आधार पर अलग से जियोग्राफिक सेगमेन्ट उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) आवंटन अयोग्य मद

संयुक्त/विभाग की आय, व्यय, सम्पत्ति, देनदारियाँ, पूँजी, और संचय को आवंटन आयोग मद का हिस्सा माना जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए पहचान योग्य है।

(स) सेगमेंट सूचना

6. Segment Reporting Policies

(a) Identification of Segments

i. Primary Segments

Business Segment: The Society is primary engaged in Social & Rural Development activities for the benefits of members including Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) and for sustainable livelihood of the landless, marginal and small farmers, tribal and women in particular. To achieve its objectives, The Society also deals in Fertilizers Distribution and Processing & Multiplication of Seeds.

ii. Secondary Segment:

Geographical Segment: Since the activities of Society are primarily carried within the country, hence separate geographical segment disclosure is not required.

(b) Unallocable Items

Common / Corporate income, expenses, assets, liabilities, capital and reserves are considered part of unallocable items which are not identifiable to any business segment.

(c) Segment Information (Amount in ₹)

विवरण	Particulars	Social & Rural Development Programmes		Fertiliser Trading & Seed Multiplication		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
आय	Income						
बिक्री	Sales	-	-	17,932,188,792	14,534,189,017	17,932,188,792	14,534,189,017
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	80,929,245	90,645,243	-	-	80,929,245	90,645,243
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**80,929,245**	**90,645,243**	**17,932,188,792**	**14,534,189,017**	**18,013,118,037**	**14,624,834,260**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	-	-	17,557,274,990	14,287,540,626	17,557,274,990	14,287,540,626
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	100,813,326	110,046,363	238,559,972	188,343,349	339,373,298	298,389,712
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**100,813,326**	**110,046,363**	**17,795,834,961**	**14,475,883,975**	**17,896,648,288**	**14,585,930,337**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**(19,884,081)**	**(19,401,119)**	**136,353,831**	**58,305,042**	**116,469,750**	**38,903,922**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income	-	-	-	-	17,523,696	18,103,309
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses	-	-	-	-	57,358,742	43,216,311
कर	Taxes	-	-	-	-	20,950,382	193,842
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-	-	-	4,655,099	5,544,910
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,029,224**	**8,052,168**
		As at		As at		As at	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**						
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	37,159,343	42,526,205	2,692,147,557	3,924,259,240	2,729,306,900	3,966,785,445
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets	-	-	-	-	232,229,800	450,625,477
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**37,159,343**	**42,526,205**	**2,692,147,557**	**3,924,259,240**	**2,961,536,701**	**4,417,410,922**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	17,031,201	8,306,813	2,430,331,560	3,582,446,114	2,447,362,761	3,590,752,927
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities	-	-	-	-	109,211,112	472,214,098
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**17,031,201**	**8,306,813**	**2,430,331,560**	**3,582,446,114**	**2,556,573,873**	**4,062,967,025**

7. प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share (Amount in ₹)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
खातों के अनुसार कर के बाद लाभ (रुपये)	**Profit after tax as per accounts (Rs.)**	**51,029,224**	**8,052,168**
वर्ग ए के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 1000/-)	Weighted average number of equity shares Class A (face value Rs.1000/-)	6,896	6,896
लाभ/(हानि) वर्ग ए इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class A Equity Shares (Rs.)	2,652,507	418,553
वर्ग बी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 10000/-)	Weighted average number of equity shares Class B (face value Rs.10,000/-)	2	2
लाभ/(हानि) वर्ग बी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class B Equity Shares (Rs.)	7,693	1,214
वर्ग सी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 50000/-)	Weighted average number of equity shares Class C (face value Rs.50,000/-)	2,515	2,515
लाभ/(हानि) वर्ग सी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.)	Profit/(Loss) attributable to Class C Equity Shares (Rs.)	48,369,843	7,632,401
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.)	**Basic & Diluted EPS (Rs.)**		
वर्ग ए – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 1000/–	Class A - Face value per share Rs.1000/-	**384.64**	**60.70**
वर्ग बी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 10000/–	Class B - Face value per share Rs.10,000/-	**3846.44**	**606.95**
वर्ग सी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 50000/–	Class C - Face value per share Rs.50,000/-	**19,232.22**	**3,034.75**

8. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत 31 मार्च 2019 तक आपूर्तिकर्ताओं को समिति की कोई रकम देय नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

8. The Society has no amounts due to suppliers under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, [MSMED Act] As at 31st March 2019. The disclosure pursuant to the said Act is as under:

(Amount in ₹)

	Particulars	As at 31st March 2019	As at 31st March 2018
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण प्रिंसिपल राशि	Principal amount due to suppliers under MSMED Act, 2006	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण अर्जित ब्याज	Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान (ब्याज के अलावा) वर्ष के दौरान नियत दिन से परे	Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान किया गया (धारा 16 के अलावा)	Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than Section 16)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान	Interest paid to suppliers under MSMED Act (Section 16)	-	-
पहले से किए गए भुगतान के लिए एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज	Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-
एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के अंत में अर्जित और शेष भुगतान नहीं किया गया ब्याज	Interest accrued and remaining unpaid at the end of the year to suppliers under MSMED Act		

Note: The Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ("the Act") has been determined to the extent such parties have been identified by the Society, on the basis of information and records available with them. The information has been relied upon by the auditors.

9. रिवोल्विंग फंड धन का एक ऐसा साधन है जिससे कई प्रकार की लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों के विकास के लिए व्यवसाय आरम्भ करने तथा आय अर्जन हेतु ऋण की व्यवस्था की जाती है। रिवोल्विंग फंड ऐसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म प्रतिष्ठान व ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने में विशिष्ट रूप से उपयोगी है जिन्हें जोखिम की अधिकता को देखते हुये अन्य पारम्परिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ऋण लेने वाले विशेष रूप से वस्तुओं व सेवाओं के छोटे उत्पादक जैसे दस्तकार, कृषक व महिलाऐं होते हैं जिनके द्वारा पूर्व में कभी ऋण नहीं लिया होता है अथवा किसी ऋण देने वाली संस्था तक जिनकी पहुँच नहीं होती है। रिवोल्विंग फंड से ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का उद्देश्य गरीब किसानों, स्वयं सहायता समूहों विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। वर्ष के दौरान रिवोल्विंग फंड की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. A Revolving Loan Fund (RLF) is a source of money from which loans are made for various micro small business development initiatives or income generation. Revolving loan funds has many characteristics with microcredit, micro-enterprise, and village banking, providing loans to persons or groups of people that do not qualify for traditional financial services or are otherwise viewed as being high risk. Borrowers tend to be small producers of goods and services - typically artisans, poor farmers, and women who have no credit history or access to other types of loans from financial institutions. Organizations that offer revolving loan fund lending aim to help Poor farmers and member of the self help group particularly women become financially independent. No provision has been made during the year as there is recovery in revolving fund.

10. विविध देनदार / लेनदारों और अन्य पक्षों के लिए देय / देय / शेष राशि की पुष्टि / सुलह और उसके बाद के प्रभाव के अधीन होते हैं यदि लाभ और हानि खाते पर कोई हो।

10. Balances receivable/payable from/to Sundry Debtors/Creditors and other parties are subject to confirmation/reconciliation thereof and subsequent effect if there is any on Profit & Loss Account.

11. जहाँ–कहीं आवश्यक समझा गया है, गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ पुनः व्यवस्थित दर्शाया गया है।

11. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते ओसवाल सुनील एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.:016520एन
For Oswal Sunil & Company
Chartered Accountants
FRN:016520N

(सी.ए. सुनील भंसाली)
साझेदार
(CA Sunil Bhansali)
(Partner)
M.No. 054645

Place : New Delhi
Date : 30.05.2019

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(Amount in ₹)

				Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018
(अ)	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
	कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) before tax		76,634,704		13,790,920
	के लिये समायोजन	Adjustment for:				
	मूल्यह्रास से	Depreciation	9,244,112		6,566,995	
	ब्याज आय	Interest Income	(7,367,469)		(6,176,606)	
	लाभांश की आय	Dividend Income	(3,020,000)		(3,020,000)	
	निवल ब्याज व्यय	Net Interest Expenses	44,949,838		41,349,449	
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) on sale of Property, Plant and Equipments	33,511	43,839,991	52,210	38,772,048
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	Operating Profit before Working Capital Changes		120,474,696		52,562,968
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन	Adjustment for Working Capital Changes :				
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	468,268,287		85,918,636	
	इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	731,619,891		787,046,403	
	अल्पावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Advances	(17,128,090)		(28,914,601)	
	दीर्घावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Advances	1,181,231		471,754	
	व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Payable	(1,199,584,910)		(1,028,677,266)	
	अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Liabilities	58,446,386		72,171,584	
	अल्पावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Provision	4,846,674		(294,170)	
	दीर्घावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Provision	(13,259)	47,636,210	1,621,174	(110,656,486)
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	Cash flow from operating activities		168,110,906		(58,093,518)
	घटाएं: आयकर (धन वापसी का निवल)	Less: Income Tax (Net of Refund)	(21,806,552)		(16,270,625)	
	घटाएं: सहकारी शिक्षा निधि	Less: Cooperative Education Fund	(510,292)	(22,316,844)	(80,522)	(16,351,148)
	प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES		145,794,062		(74,443,643)
(ब)	निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:				
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी	Purchase of Property, Plant and Equipments / CWIP	(17,930,389)		(53,205,307)	
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant and Equipments	(10,249,000)		-	
	सावधि जमा से प्राप्त लाभ	Interest Received from Fixed Deposits	12,250		13,400	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह	NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	7,367,469	(20,799,669)	6,175,584	(47,016,323)
(स)	वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		(20,799,669)		(47,016,323)
	शेयर पूंजी से प्राप्तियां	Proceeds from Share Capital	-		-	
	दीर्घावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Long-Term Borrowings	20,256,858		(9,551,412)	
	अल्पावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Short-Term Borrowings	(395,000,000)		420,000,000	
	प्राप्त लाभांश	Dividend Received	3,020,000		3,020,000	
	ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(44,949,838)		(41,349,449)	
	शेयर आवेदन से प्राप्तियां	Proceeds from share Application Money	-		-	
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES		(416,672,980)		(372,119,139)
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		(291,678,588)		250,659,173
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINING OF THE YEAR		436,297,839		185,638,666
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	CASH AND EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR		144,619,251		436,297,839
	नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी:	Notes to the cash flow statement:				
	नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी, बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं	(i) Cash and cash equivalents consists of cash in hand and Balances with Banks.				
	नकदी प्रवाह विवरण में जो प्रस्तुत नकदी व नकदी समतुल्य तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं शेष हैं	(ii) Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts.				
	पास में नकदी	Cash in Hand		119,866		106,158
	अनुसूचित बैंकों में शेष	Balance with Scheduled Banks:				
	– चालू खाते एवं बचत खाते	- Current accounts and saving accounts		43,479,385		335,171,425
	– सावधिक जमा	- Fixed Deposits		101,020,000		101,020,256
	कुल नगदी एवं नगदी में समतुल्य	Total Cash and Cash Equivalents		144,619,251		436,297,839

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached
कृते ओसवाल सुनील एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.:016520एन
For Oswal Sunil & Company, Chartered Accountants
FRN:016520N

(सी.ए. सुनील भंसाली)
साझेदार
(CA Sunil Bhansali)
(Partner)
M.No. 054645

Place : New Delhi
Date : 30.05.2019

कृते इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

आई.एफ.एफ.डी.सी. की 25वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष श्री डी.के. भट्ट

श्री एरिएल ग्वारको, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय कोआपरेटिव एलायन्स के साथ प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी.

ताखा, इटावा (उ.प्र.) में आई.एफ.एफ.डी.सी. के सरसों बीज उत्पादन कार्यक्रम
के अंतर्गत उत्पादित पूसा सरसों 28

IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड
INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

मुख्यालय: एफ.एम.डी.आई., इफको कॉलोनी, सेक्टर–17बी, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)
Head Office: FMDI, IFFCO Colony, Sector-17B, Gurgaon-122001 (Haryana)
दूरभाष / Telephone: 0124-2340148, फैक्स / Fax: 0124-2340149
ई–मेल / E-mail: iffdcchiefexecutive@gmail.com, वेबसाईट / Website: http://www.iffdc.in

Concept & Design: Publicity Deptt., IFFDC